वाणिज्य मंत्रालय

3922

ग्रादेश

नई दिल्ली, 4 अगम्त, 1997

का. डा. 2077. केन्द्रीय सरकार ने भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्णात से पूर्व ग्रंडा उत्पादों का क्यांतिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताय, निर्यात (वज्ञालिटी निसंवण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की ग्रंपेक्षानुसार भारत सरकार के वर्शणज्य मंत्रालय के ग्रादेश सं. का. ग्रा. 130(छ), तार्शाख 20 फरवरी, 1997 को राजपत्र, ग्रंमाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंष्ट (ii) नारीख 20 फरवरी, 1997 में प्रकाणित किए गए थे,

2. ग्रीर इसमे प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों में उल्ल ग्राइेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में पैतालीस दिल के भीतर ग्राक्षेप और सुझाव सांगे गए थे,

3 झौंग उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दो गयी थीं,

 ग्रीर उक्त प्राष्टा पर, जनना से प्राप्त आक्षेपों और सूमावों पर केसीय सरकारने विचार कर लिया है.

5. और यह आवश्यक है कि क्वालिटी नियंत्रण के उच्च गापदंड ग्रौर स्वास्थ्य स्वरों को यूरोपियन ग्राधिक समुदाय (ईईसी) 89/437/ईदिसी, तारीख 20-6-1989 ग्रौर संयुक्त राष्ट्र के कृति विभाग (यूएसडीए) के वितियमों में विहित निर्देगों का यत्पालन करने हुए मुनिधिचल किया जाए,

6. ग्रंडा उत्पादों के उत्पादन, भंडारण श्रौर परिवहन की बाबत स्वास्थ्य संबंधों अपेक्षाएं अधिकथित की जानी चाहिए श्रौर विशिष्टतया यह महत्वपूर्य है कि इस संबंध में स्थापनों को अनुमोदन को शामित करने वाले नियम अधिकथिन किए जाएं।

7. यह भी महत्वपूर्ण है कि ग्रंडा उत्पादों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अप्रेक्षत्र्यो की पूर्ति के लिए नियम ग्रधिकथित किए जाएं।

8. प्रसंस्करणकर्ताध्रों का, प्रमुखतया, यह उत्तर-दायित्व होगा कि थे यह सुनिश्चित करें कि इस म्रादेग में ग्रंडा उत्पाद के लिए ग्रधिकथिन स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते है झौर सक्षम प्राधिकारी यह देखेगा कि इस संबंध में बर्बालिटी नियंत्रण निरीक्षण ग्रारमानीटरिंग की उपरिवर्णित ग्रपेक्षाओं को पूरा करता है। यबालिटी नियंत्लग, निरीक्षण ग्रार मानीटरिंग को शासित करने वाले ये नियम ग्रंतरराष्ट्रीय वाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

 भवार्थों में ऐसे अर्थाणप्टों का जो मानव रवास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता लगाने के लिए बदाकदा ऐसी जांच करना ग्रावश्यक है। 10. भौर आयासित देशों की अपेक्षाओं के प्रसि निर्देश करते हुए मानीटर करने की प्रक्रिया की बाबत ऐसे उपबंध किए जाएं जो उपरोक्ष्त स्थितियों की समानता सुनिषितत हो जाए।

11. अतः, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी देश में ववःलिटी मानकों के प्रभावी ग्रनुपालन को सुनिश्चित करें।

12. घतः, ग्राव, केन्द्रीय सरकार के निर्यात (ववालिटी निपंत्रण प्रोर निरीक्षण) ग्रांधनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन णक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद में गरामर्श करने के पश्चात् उसकी यह राथ होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना ग्रावश्यक और समीचीन है:---

- क. यह म्रधिसूचित करती है कि निर्यात से पूर्व अंडा उत्पाद क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन रहने हुए होंगे।
- ख ग्रंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण श्रौर मानीटरिंग) नियम, 1997 के ग्रनुसार क्वालिटी नियंत्रण श्रौर निरीक्षण के प्रकार को ऐसे क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण श्रौर मानी-टरिंग के रूप में विनिदिप्ट करना जो ऐसे अंडा उत्पादों पर, ग्रधिस्चना में यथाविनिदिप्ट देशों को, निर्यात से पूर्व लागू होंगे।
- ग. विनिर्देशों को मान्धता देना ---
 - (i) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रन्थ निकायों के मानक तथा राष्ट्रीय प्रौर ग्रन्तर्रार्व्य्रीय मानक।
 - (ii) निर्धातक द्वारा घोषित ऐसे विनिर्देश जो केंता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए निर्यात करार में तय पाए गए विनिर्देश है परन्तु यह तब जब कि वे उपरोक्स खंड (i) में विनिर्दिष्ट मानकों मे निम्न मानकों के न हों:
- घ किसी युनिट डारा अन्तर्राखीय व्यापार के अनुकम में, जिसके अन्तर्गत यूरोपियन संघ (ई.यू.) श्रौर संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) भी सम्मि-लित है, श्रंडा उत्पाद का निर्यात तब तक प्रतिषिद्ध होगा जब तक कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंव्रण ग्रौर निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7(1) के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा अनुमोदिन श्रौर मानिटर की गयी ऐसी यूनिट वारा यह कथन करते हुए एक प्रमाणपत के साथ कि ग्रंडा उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप है।

[†n t [1--- **≭ s** 3(ii)]

13. इस आदेश की कोई भी बात भावी केताओं को प्रेडा उत्पाद के ऐसे वास्तविक नमूनों के भूषि या समुद्र या वाय, मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य संबद-संबद पर आयोत-निर्धांग तीर्ता में यथा अधिकथित अनुकेय वीसाओं से ग्राविक नहीं होगा और जहां ऐसा कोई उपबंध नहीं है वहां ति:शुस्क नम्तों की मूल्य सीमा 10,000/-घपए से अधिक नहीं होगी।

14. इस मादेश में, अंडा उत्पादों में संभिन्नेत है :---

प्रंडो से प्राप्त किया गया वह उत्पाद, जो उसके कावरण ग्रीर झिल्ली को पृथक करने से, विभिन्न संघटक और मिठण से प्राप्त होता है तथा जो मानव उपयोग के लिए आणपित है। वह ग्रांशिक रूप में ग्रन्व खाद्य पदार्थों या संयोजनों द्वारा अनुपूरित हो सकता है, जो मांदित, सूखा, किस्टलित, भगीतित, बूतगीतित या जमे हुए रूप में हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है।

[फा. स. 6(1)95-ईम्राई एण्ड ईपी]

कुम री सुमा सूख्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2077.—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Egg Products to quality control and Inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Extraordinary Gazette of Part II, Section, 3 Sub-section (ii) dated 20th February, 1997 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 130(E) dated 20th February 1997;

2. And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within a period of forty five days of the date of publication of the said order in the official Gazette;

3. And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 20th day of February, 1997;

4. Whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

5 And whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the standards prescribed in European Economic Community (EEC) Directives 89/437/EEC dt. 20-6-1989, the United States Department of Agriculture (USDA) regulations etc.;

6. Whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of egg products; whereas, in particular, it is important that rules be laid down govenning the approval of establishments;

7. Whereas, it is important also that the health requirements to be met by egg products be laid down:

8. Whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that egg products meet the health requirements laid down in this order; whereas, the competent authority must by carrying out quality control, inspection and monitoring see to it that processors comply with the above mentioned requirements; whereas, the rules governing these quality control, inspections and monitoring must take account of the demands of the international market;

2007 GI/97-2

9. Whereas, a random check must be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health:

10. And, whereas, provisions should, therefore, be made for procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

11. And, whereas, Central Government nominated Competent Authority should ensure the effective compliance of the quality standards in the Country;

12. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963), Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby;

- (a) notifies that Egg products shall be subjected to quality control, inspection and monitoring prior to export.
- (b) specifies the type of quality control, inspection and monitoring shall be in accordance with the Export of Egg products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997 as the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applied to such egg products prior to export, to the countries as specified, in the notification.

(c) recognises the specifications :

- (i) National and International Standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council;
- (11) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between buyer and the exporter, provided that the same are not below the standard specified in clause (i) above.
- (d) prohibits the export of Egg products by a unit in the course of International trade which includes European Union (EU) and United States of America (USA) unless it conforms to the standards applicable to it and is accompanied by a certificate stating that such unit is approved and monitored by the Export Inspection Agencies established under Section 7 (i) of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

13. Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of egg products to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in Exim Policy from time to time where no such provisions exist the value limit of free sample(n) shall not exceed Rs. 10,000/-.

14. In this order, Egg Products means :---products obtained from eggs, their various components or mixtures thereof man cossumption; they may be partially supplemented by after removal of the shell and membranes, intended for huother foodstuffs or addicts; they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;

> [F. No. 6/1/95-EI&EP] KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 4 ग्रगस्त, 1997

का.ग्रा. 2078.---केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंद्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 ढारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथति :---

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (क) इन तियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मामीटरिंग) नियम, 1997 होगा। 3924 -----

> (ख) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। भाग-1 (यूरोपियन संध (ईयू) को किए गए निर्यात पर लागू)

 परिभाषाएं.---इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यया श्रपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

- (क) ''ग्रहिनियम'' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) ग्रहिनियम, 1963 (1963 का 22) ग्रभिप्रेत है,
- (ख) "अभिकरण" में क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण प्रथवा दोनों के लिए धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई अभिकरण अभिन्नेत है,
- (ग) ''बैंच'' सें अंडा उत्पाद की वह माता श्रभिप्रेत है जो समान अवस्थाओं के अन्तर्गत संसाधित की गई हो और जिसे विशेष रूप सें माल एक ही सतत से किया में रखा गया 'हो,
- (घ) ''प्रमाण-पक्ष'' से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के श्रधीन जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्न अभिप्रेत है जिसमें यह कथित किया गया है कि बस्तु क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की णतों के अनुरूप है,
- (ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से कोई भी निर्यात निरीक्षण ग्रभिकरण जो मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित है या कोई भी मान्यता प्राप्त अभिकरण, जो निर्यात (क्वालिटी नियंक्षण और निरीक्षण) ग्रधिनियम, 1963 की घारा 7 के ग्रधीन मान्यता प्राप्त है भ्रभिप्रेत है,
- (च) "परेषण" से अंडा उत्पाद की ऐसी मात्रा ग्रभि-प्रेत है जो खाद्य उद्योग को ग्रप्रिम-प्रसंस्करण के लिए एक ही गंतव्य पर पहुंचाए गए एकल परिदान के रूप में है या वह सीघे मानव उपभोग के लिए ग्राणयित है,
- (छ) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिष्रेत है,
- (ज) ''गंतव्य देश'' से वह देश अभिप्रेत है जिसे भारत से प्रेषित किया जाता है,
- (झ) "अंडा उत्पाद" से मानव उपभोग के ग्राणय से अंडे की झिल्ली तथा उसके ग्रावरण को पृथक करने के उपरान्त उससे प्राप्त विभिन्न संघटक या मिश्रण श्रभिप्रेत है। यह अंशतः ग्रन्थ खाद्य पदार्थी या ग्रन्थ संयोजनों द्वारा बढ़ाया जा मकता है जो तरल संघटित, सुखा, कणिय, प्रशीतित, तुरन्त प्रणीतित या जमा हो सकता है,
- (अ) "प्रेषक देश" से भारत अभिन्नेत है,

- (त) "संभरणकर्ता निर्यातक" से इम नियम के ग्रधीन निर्यात हेतु अनुमोदित अंडा प्रसंस्करण प्लांट से अंडों की खरीद करने वाला निर्यातक अभिप्रेत है,
- (थ) ''उत्पादन फार्म'' से अंडा उत्पाद के लिए ग्राशयित अंडे की ग्रापूर्ति करने वाला फार्म ग्रभिप्रेत है,
- (द) ''पैकिंग'' सें अंडा उत्पाद को किसी भी प्रकार के पैकिंग में रखा जाना श्रभिप्रेत है,
- (ध) "प्लांट" से ऐसा परिसर ग्रभिप्रेत है जहां अंडा उत्पाद प्रसंस्कृत किया जात। है,
- (न) "पेयजल" से ऎस। जल ग्रभिप्रेत है जिसे राज्य म्वास्थ्य प्राधिकारी या ध्रन्य ध्रभिकरण या प्रयोगणाला द्वारा ध्रनुमोदित किया गया है और इसे सक्षम प्राधिकारी ढारा पीने और खाझ प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होने के रूप में स्वीकार किया है।

3. ग्रनुसरणीय ग्राधार: --- प्रसंस्करणकर्ताओं का यह मुनिश्चिन करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा कि निर्यात के लिए अंडा उत्पाद को उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के समीचरणों में उचित स्वास्थ्यकर अवस्थाओं के प्रधीन देखरेख व प्रसंस्करित किया गया है जिससे वे इन नियमों के ग्रधीन प्रधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और यह कि उत्पाद इस श्रधिनियम की धारा 6 के श्रधीन केन्द्रीय सरकार ढारा पारित ग्रादेश में दिए गए विनिदशों के ग्रनुरूप हैं।

सक्षम प्राधिनारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड के पैरा 4.18 में विहित नियंत्रण उपायों के अनुसार प्लांट की नियमित मानिटरिंग बारा सभी प्रसंस्करणकर्ती अपेक्षाओं का अनुपालन करें। इस योजना की प्रभावी मानिटरिंग के लिए इस संबंध में समय समय पर परिषद ढारा आवश्यक अनुदेश जारी किए जायेंगे।

 निर्यात के लिए भ्रंडा उत्पाद निम्नलिखित गर्तों के श्रधीन होगा :

4.1 किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्यिक/ पर्यावरणीय संरक्षण उपायों के संबंध में जो समय समय पर बताए गए उपायों के संबध में प्रधिरोपित किसी कानूनी निर्बंधन का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

4.2 वे मुर्गी, क्षेत्रख गुर्गावी, टर्की, नायना फाउल या बटेर के अंडों से प्राप्त किए गए होने चाहिए , परन्तु यह विभिन्न प्रकार के ग्रंडों का मिश्रण होना चाहिए ।

4.3 उनके अपर या उनमें स्वतः दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, ग्रंडा ग्रवथवों की प्रतिशतता जो उनमें से, उनके अपर ग्रंकित होनी चाहिए।

4.4 उन्हें ऐसे अनुमोदित सयंत्र में संसाधित और तैयार किया गया होना चीहिए जो उपाबन्ध के अध्याय 1 और 2 का अनुपालन करता है तथा इन नियमों की अपेक्षाग्रों को पूरा करता है।

4.5 उन्हें उपाबन्ध के प्रध्याय 3 प्रीर 4 में स्वास्थ्यकर परिस्थितियों के अधीन ऐसे अंडों से तैयार किया गया होना चाहिए जो उपाबन्ध के अध्याय 4 में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते है।

4.6. उन्हें संसाधन प्रसंस्करण द्वारा तैयार किया गया होना चाहिए जिससे कि वे अन्य बातों के साथ उपबन्ध के अध्याय 6 में अधिकथित विग्न्लेषण विनिर्देशों को पूरा करें।

4.7 उनकी उपाबन्ध के ब्रध्याय 8 के प्रनुसरण में स्वास्थ्य जाच की गई होनी चाहिए।

4.8 उन्हें उपाबन्ध के क्रध्याय 7 के क्रनुसार पैक किया गया होना चाहिए।

4.9 उनका उपाबन्ध के प्रध्याय 9 और 10 के प्रनुसार भंडारकरण श्रौर परिवहन किया गया होना चाहिए ।

4. 10 उन पर उपाबन्ध के अध्याय 9 के अनुसरण में स्वास्थ्य-प्रदत्ता का चिह्न लगा होना चाहिए और जहां उनका सीधे मानव उपयोग किया जाना है, खाद्य पदार्थों को लेब लिगाने, उनके प्रस्तुतीकरण और विज्ञापन के संबंध में जैसाकि अन्तिम बार उन्हें निदेश 86/197/ईईसी द्वारा संगोधित किया गया है, अन्तिम उपभोक्ता को विक्रय के संबंध में परिषद के निदेश 79/112/ईईसी तारीख 18 दिसम्बर, 1978 की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए ।

4.11 उपाबन्ध के अध्याय 6 में उपवर्णित विश्लेषण विनिर्देशन के अनुसार नमूनों को प्रयोगणाला जांच हेतु ने जाया जाएगा ।

4.12 उपाबन्ध के परिशिष्ट 9 व 10 में उल्लिखित अंडा उत्पाद जो परित्रेगो ताववान पर नहीं रखा गया है उसका भण्डारण श्रौर परिवहन नियत तापमान पर किया जाएगा।

4.13 जिसके लिए श्रंडा उत्पाद संरक्षित किया जाएगा, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उस श्रवधि का बीमा कराया जाएगा।

4.14 विभिन्न जांच श्रीर परीक्षण के परिणाम श्रभिलिखित किए जायेंगे श्रीर सक्षम प्राधिकारी को, प्रस्तृतिकरण के के लिए 2 वर्ष तक रखे जाएंगे।

4.15 ऐसे पदार्थों के अवशेषों का पता लगाया जाएगा भेषजीय या हार्मोनीय तथा एटीबायोटिक, कीटनाशी, अपमार्जक तथा ऐसे अन्य पदार्थ हैं जो हानिकारक हैं या जो अंडा उत्पाद के जैवीय गुणों को बदल सकते हैं और उनके उपभोग को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक बना सकते हैं।

4.16 यदि ग्रंडा उत्पादन के परीक्षण से यह पाया गया है कि अनुजेय नियत स्तर से अधिक अवशेष हैं तो उनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के विनिर्माण या सीधे तौर पर मानव उपभोग में अनुज्ञेय नहीं होना चाहिए।

4.17 अवशेषों की जांच सिद्ध म्रोर वैज्ञानिक तोर पर मान्यता प्राप्त रीतियों के प्रनुसार होनी चाहिए। 4.18 इसका समाधान होने पर कि प्लांट किया कलापों यदि किए जाते उनकी प्रकृति से संबंधित अपेक्षात्रों की पूर्ति करता है, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्लांट को अनुमोदन प्रदान करेगा।

4.19 सक्षम प्राधिकारी प्रसंस्करण प्लाटों के अनुमोदन के मामले में कृषि श्रौर प्रसंस्कृत खाद्य उत्पग्द निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) श्रौर विषणन श्रौर निरीक्षण निदेशालय (डी एम श्राई) तथा उद्योगों में से एक एक प्रतिनिधि से सहायता ले सकेगा।

4.20 सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित प्लाटों की सूची तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक में एक शासकीय संख्यांक होगी और सक्षम प्राधिकारी श्रनुमोदित प्लाटों की एक सूची तया उसमें फेरबदल भी सम्चित प्राधिकारियों को भेजेगा ।

4.21 निरीक्षण तथा प्लाट श्रीर पैकिंग केन्द्रों के मार्नटरिंग सक्षम प्राधिकारो द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। जो प्लाटों के सभी भागों में निबधि रूप से ज्ञा सकेंगे श्रीर यह सूनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन किया जा रहा है।

भाग II---संयक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) पर लागू

 परिभाषाः इस आदेश के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यया अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :---

- (क) 'ग्रधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण म्रौर निरीक्षण) म्रधिनियम, 1963 (1963 का 22) म्रभिप्रेत है।
- (ख) 'स्वीकार्य' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्राशयित प्रयोजन के लिए उचित श्रौर स्वीकार्प श्रभिप्रेत है ।
- (ग) 'अभिकरण' से धारा 7 के ग्रधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के लिए कोई ग्रभिकरण प्रभिप्रेत है ।
- (घ) आवेदक सें ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीत या इस भागके विनियमों के अधीन निरीक्षण, सेवा के लिए निवेदन करता है।
- (ङ) 'मानव खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने योग्य' में कोई भी अंडा उत्पाद श्रभिप्रेत है जब तक कि वह विक्वतन हो या अन्यथा मानव खाद्य के रूप में इसके उपयोग के लिए अन्य रूप में परिवर्तित या बिगड न गया हो।
- (ज) 'प्रमाण पक्ष' से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के श्रधीन जारी प्रमाण पत्न श्रभिप्रेत है जिसमें यह उल्लिखित हो कि पदार्थ क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की णतौं के श्रनुरूप है।
- (छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से मुम्बई, कलकत्ता, कोचीम, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण ग्रभिकरणों में स कोई एक या कोई भी

THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919

श्रभिकरण जो निर्यात (क्वालिटी नियंकण अंज निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के ग्रवीन मान्यता प्राप्त कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है।

- (ज) 'अवस्था' से किसी भी उत्पाद की कोई भी अवस्था जिसमें परिरक्षण की स्थिति सफाई स्वास्थ्यगत प्रदत्ता या मानव उपभाग के लिए उचित होना सम्मिलित है किन्तु उसी तक सीमित नहीं है अभिप्रेत है जो इसकी ब्यापारिकना या किसी अन्य अवस्था जिसमें एँसे उत्पाद के प्रसंस्करण, संभालने ऑर पैकिंग सम्मिलित है किन् इन्हों तक सीमित नहीं है, को प्रभाषित करेगी।
- (झ.) 'कंटेनर या पैकेज' में कोई भी डिट्वा, केन, टिन, प्लास्टिक या ग्रन्थ संबंधित ग्राधान रैपर या ढक्कन सम्मिलित है।
- (अ) 'परिषद' से श्रधिनियम की धारा 3 के ग्रधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद ग्रभिप्रेत है।
- (ट) 'संभरणकर्ता निर्यातक' से इस नियम के ब्राधीन निर्यात हेतु श्रनुमोदित अंडा प्रसंस्करण प्लांट से अंडों की खरीद करने वाला निर्यातक श्रभिप्रेत है।
- (ठ) 'अंडा उत्पाद' से मानव उपयोग के प्राणय से अंडे की झिल्ली तथा उसके जो अंडों के उत्पाद से प्राप्त किए जाते हैं के ग्रावरण को पृथक करने के उपरान्त उससे प्राप्त विभिन्न संघटक या मिश्रण श्रभिप्रेत हैं, यह अंशतः अन्य खाद्य पदार्थों या अन्य संयोजनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है जो तरल संघटित, सूखा कणिय, प्रशीतिन, तुरन्त प्रशीसित यो जमा हुआ हो सकता है।
- स्थष्टीकरण: उपरोक्त अंडा उत्पाद की परिभाषा में प्रशीतित सूखी उत्पाद, कृतिम अंडा उत्पाद, अंडा अनुकल्प, पोष्टिक खाद्य, सूखी बिना पकाए हुए कस्टर्ड मिश्रण, अंडा चिप्पड मिश्रण, ग्रमलीय मसाला, नूडल, दूध और अंडा मिश्रग, केक मिश्रण, फ्रेंच टोस्ट और अंडों या अंडा उत्पाद के सेंडविच सम्मिलित नहीं होंगे। बुलट और इसपे मिलते जुलते अन्य प्रमाणित स्वाद भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
- (ङ) 'उष्मामापक अरस्वीक्वत' से ऐसा अंडा अभिप्रेत है जिसे उष्मायक में रखा गया है किन्तु उसे अंडा सेने की प्रक्रिया के दौरान असंचित अंडे या अध्रेरे अंडों के रूप में सेने की प्रक्रिया से निकाल दिया गया है।
- (क) 'लेबल' से पोत कंटेनर या श्रध्यहित कंटेनर पर, यदि कोई है पहचान के रूप में कोई छपा हुग्रा, ग्राफिक या श्रन्य कोई प्रणाली का प्रदर्शन श्रभिप्रेत है।
- (ण) 'पैस्टोराइज्ड' से अंडा उत्पाद के प्रत्येक कण को ऊष्म करना या उसके सूक्षम जीवन समरू से हानि-

कारक पदार्थ को ऐसी किन्हीं ग्रन्य प्रणालियों द्वारा सप्ट करना जो इन विनियमों में निहिन है ग्रभिप्रेत है।

- (त) 'प्लग्ट' से कोई ऐसा परिसर ग्रभिप्रेत है जहा अंडा उत्पाद को प्रसंस्कृत किया जाता है।
- (थ) 'पैय जल' में ऐसा जल प्रभिन्नेत है जिसे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या जन्य अभिकरण या किसी ऐसी प्रयोगणाला ढारा अनुमादित किया है और वह सक्षम प्राधिकारी को सुरक्षित पेय और उपगुक्त खाद्य संसा-धन के रूप में स्वीकार्य है।
- (द) 'संसोधन' ये अंडा उत्पाद का विनिर्माण अभिप्रेत है इसमें टूटे अंडे या फिल्टरिंग (छानन) मिश्रण, छोलन, पैस्टोराइजिंग, स्थिरता प्रशीतित, हिंम शीतित या युखाए या पैकेजिंग अंडा उत्पाद प्लांट जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है सम्मिलित है।
- (ध) 'नमूना' में किसी उत्पाद का निरीक्षण या विष्लेषण में लिए नमुना लिया जाना ग्राभिप्रेत है।
- (त) 'स्वच्छ करना' से कोई जीव।णुनाकी उपचार प्रभिन्नेत है जो मूक्ष्म जीव।णुओं को नष्ट करने के लिए प्रभावी रूप में ग्रन्मोदित है, जिनमें रोगाणु सम्मिलित हैं।
- (प) 'नोवहन आधान' से ऐसा प्राधान श्रभिप्रेत है जो किसी उत्पाद के पैकिंग के उपयोग में श्राता है।
- (फ) 'स्थिरीकरण' से किसी अंडा उत्पाद का शर्करारहित संसाधन श्रभिप्रेत है ।
- (ब) 'इवेत या ण्वेतक' सें इस भाग के प्रयोजन के लिए एसा उत्पाद अभिप्रेत हैं जो किसी अंडे के ग्रावरण को तोडकर और उसे जरदी से ग्रलग करके प्राप्त किया जाता है।
- 2. ग्रन्पोलन का ग्राधार

प्रसंस्करणतों का यह प्रारंभिक दायित्व होगा कि वह यह सुनिष्चित करें कि निर्यात के आशय से अंडा उत्पाद की संभाल और प्रसंस्करण, उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के प्रत्येक स्तर पर उचित स्वास्थ्यकर अवस्थाओं में किया गया है और यह इन नियमों में अधिकथित स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा यह कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में किए गए विनिर्देशों के अनुरूष है।

सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस भाग के पैरा 3.4 में विहित नियंत्रण उपायों के ब्रनुसार सभी प्रसंस्करण-कर्ता प्लांट की नियमित मानीटरिंग करके घ्रपेंक्षाओं की पूर्ति करते है। इस योजना की प्रभावी मानीटरिंग के लिए, इस विषय में परिषद ग्रावश्यक ग्रनुदेश जारी करेगी।

 तिर्यात के लिए अंडा उत्पाद निम्नलिखित शतौं के अधीन होगा :

3926

3.1 किसी भी राज्य केन्द्रीय सरकार ढारा समय-समय पर जारी वाणिज्य पर्यावरणीव नंग्क्षण उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

3.2 उन्हें इस भाग के झब्याय 12 में अधिकथित सफाई, संसाधन और सुविधा अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए।

3.3 उन्हें इस भाग के श्रध्याय 13 में ग्राधिकथित अडा उत्पाद के लिए पहचान और चिन्नत का पालन करना चाहिए।

3.4 सक्षम प्राधिकार्रा का यह समाधान होने पर कि पलांट उसमें की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति को संबंधित ग्रंपेक्षाओं को पूरा करता है, वह ऐसे पलांट को ग्रनुमोदित करेगा।

3.5 सक्षम प्राधिकारी प्रसंस्करण प्लांटों के अनुमोदन के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी (एपीडा) और विषणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएम ग्राई) तथा उद्योग में से एक-एक प्रतिनिधि से सहायता ले सकेगा।

3.6 सक्षम प्राधिकारो अनुसंदित प्लांटो की एक सूची तैयार करेगा जिसमें से प्रत्येक को शासकीय संख्यांक दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित प्लांटों की अपनी सूची और उसमें पश्चातवर्ती परिवर्तन को समुचित प्राधिकारियों को ग्राधिसूचित करेगा।

प्लांट को नियमित निरोक्षण व मानीटरिंग और पैकिन सैटर्स का नियमित रूप से सक्षम प्राधिकारो निरोक्षण करेंगे जो यह मुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन किया गया है कि बह हर समय प्लांट के सभी भागों का मूल्यांकन करेंगे ।

3.7 प्लाट और पैंकिंग केन्द्रों का निरीक्षण और मानीटरिंग सक्षम प्राधिकारी ढारा नियमित रूप से किया जाएगा। वह प्लांटों के सभी भागों में निवति रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जा सकेगा कि इन निययों का पालन किया जा रहा है।

4. प्रमार्णाकरणः प्लांट एकक के अनुरांध पर सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान हो जाने पर कि सुसंगत अपेक्षाओं की पूर्ति करने के उपरान्त प्लांटों को विधिमान्य अनुमोदन संख्यांक प्राप्त है, विहित रूप में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्न जारी करेका ।

4.1 सक्षम प्राधिकारी संसाधनकर्ताया निर्यातकर्ता के अपनुरोध पर अपना यह समाधान हो जाने पर कि सुसंगत मानकों की अपेक्षाएं पूरी कर दी गयी हैं, कोई अन्य प्रमाण, पव भी जारी करेगा।

8. पीमः

6.1 अंडा संसाधन प्लांट के ग्रनुमोदन के लिए इन नियमो के खंड 4.18 और 4 4 के ग्रनुसार ग्रावेदन के साथ संसाधन कर्ताद्वारा ६. 2000/- का संदाय फीग के रूप में किथा जाएगा। 0.2 निर्यातव अथवा निर्यात संभरणकर्ता अंडा प्रसंस्करण ग्लॉट के उपराक्त अनुमोदित नियम 6.1 के प्रनुसार सक्ष्म प्राधिकरण को प्रसंस्करणकर्ताद्वारा 0.2 प्रतिझत की दर से एफ ओ.बी. सुल्य की दर से जुल्क सदत्त विया जाएगा।

टिप्पण : संभरणकाी/निर्यातकरी ढारा संदेध प्रत्येक परेषण के लिए फोलकी राणि के रुपए के निकटतम तक पूर्णकित किया जाएगा ओर इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राणि में रपए का भाग सम्मिलित है वहां, यदि ऐसा भाग 50 पैंसे या अधिक है, इसमें एक रगए की नृद्धि कर वो जाएगी और यदि ऐसा भाग 50 पैंसे के कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा ।

7. अपेक्षा पूरी नहीं किए जाने की देशा में सक्षम प्राधिकारी उपाय करेगा।

- 7. प्रपील.
- 7.1 कोई भी व्यथित व्यक्ति,
- (i) नियम 4.18 (भाग-I) आंर नियम 3.4 (भाग-II)
 के अनुसार अनुमोदन के अनुसरण में सक्षम प्र/धि-कारी का विनिण्चय नहीं होने की दशा मे,
- (ii) इस अधिसूचना के नियम 4 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी दारा पणु चिकित्मा म्वास्थ्य प्रमाण प व जारी करने से इंकार करने पर,
 - (iii) इस अधिसूचना के नियम 7 के प्रनुसार सक्षम प्राधिकारी ढारा ग्रनुमोदन को वापिस लेने के लिए विनिम्च्य की दणा में,

7.2 अपीली प्राधिकारी में कथित कोई भी व्यक्ति ऐस विनिष्ण्वय की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार ढारा नियुक्त अपीली प्राधिकारी वो प्रपील कर सकेगा।

7,3 इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ढारा अपीली प्राधिकरण में पांच सदस्य नियुक्त होंगे।

7,4 अपपोली प्राधिकरण की कुल सदस्यता का कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

7.5 अपील प्राधिकरण की किसी भी बैटक की गणपूर्ति तीन से होगो ।

7.6 म्रपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा ।

ग्रध्याय 1

ग्रनुमोदन और प्रचालन की सामान्य शर्ते

 प्रतिस्थापन के पास कम से कम निम्नुलिखित होना ग्रावश्यक है :

 ग्रब क्षेत्रों में जहां अंडों का भंडारण और अंडा उत्पाद का विनिर्माण या भंडारण किया जाता है ----

1.1 जल सहय पर्ण जो आसानी से माप. और संदूषित किया जासके य सडन रहित हो तथा इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी नाली में पानी की निकास्टे दी सुविधा हो, णनी की THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919 [PART II—SEC. 3(ii)]

निकासी के मार्ग में नाली की ओर होना चाहिए जिसमें थे टिंग तथा ट्रैप लगे हो यो बदयूको दुर करमके।

1.2 दीवारें चिकनी, टिकाऊ, अभेद और हल्के रग वाली दो मीटर तक धोयी जासकने वाली परत चढ़ी हुई और भंडारण के लिए टंडा या प्रशीतित करने के ककरे कम से कम भंडारण की उंचाई तक धोने वाली परतदार दीवारे होशी चाहिए, दीवारे ब पखं जहां मिलते हों वह गोलाई लिए हुए या इस प्रकार बनी होनी चाहिए, जिससे उन्हें साफ करने में असानी हो ।

1.3 दरवाजों की सामग्री इस प्रकार की टोनी चाहिए कि जिसका कोई भाग विक्रुतन हो और यदि लकड़ी की होतो उसके दोनों तरफ चिकनी व अभेद्य ग्रावरण होना चाहिए।

1.4 छत ऐसी होगी चाहिए जो कि आसानी से साफ की जासके और जिसका निर्माण इस प्रकार का होना चाहिए कि धुल मिट्टी को इकटटा होने से रोक सकेव टीलों का बनना, रंग रोगन का उतरना रोका जासके और वहां पर भाष का जमाव न हो।

- 1.5 पर्याप्त वायु संचालन हो, श्रौर यदि ग्रावश्यक हो, तो ग्राच्छे प्रतिपारिक निष्कर्षण लगे हों;
- 1.6 पर्याप्त प्राकृतिक या कृतिम प्रकाश की व्यवस्था।
- 1.7 जहां तक संभव हो कार्यस्थल के पास पर्याप्त संख्या में गर्म पानी से उपकरण हों, हाथों को साफ व रोगाणुमुक्त करने की सुविधाएं होनी चाहिये । नल हाथों से या बाहों से संबंधित नहीं होने चाहिये, हाथों को साफ करने के लिये चलते हुए गर्म पानी/ठंडे पानी की सुविधा होनी चाहिये या पहले से उपयुक्त तापमान पर मिश्रित पानी उपलब्ध हो, जो उत्पादों को रोगाणुमुक्त श्रीर साफ करने के लिये हों श्रीर हाथ साफ करने वाले तौलिये एक बार प्रयोग किए जाने चाहिये । श्रीजारों को रोगाणुमुक्त करने की सविधायें होनी चाहिये ।

2. परिवर्तनशील कमरे की समुचित संख्या हो जिसमें चिकने, अभेध श्रौर धोई जा सकने वाली दीवारें श्रौर फर्श, धावन पान्न, स्वक्षालन शौचालय होने चाहिये। इनका बहाव सीधे कार्यस्थल की ओर नहीं होना चाहिये। धावन पातों में बहता हुआ गर्म श्रौर ठंडा पानी या उपयुक्त तापमान पर पहले से मिलाया हुग्रा पानी होना चाहिये, हाथों को साफ करने के लिये व रोगाणुमुक्स करने के लिये सामग्री होनी चाहिये, छोटे तौलिये केवल एक बार उपयोग किये जाने के लिये होने चाहिये। धावन पात्न के नल हाथों से प्रचालित किये जाने वाले नहीं होने चाहिये। शौचालयों के निकट पर्याप्त संख्या में धावन पात्न होने चाहिये।

3. स्थिर श्रौर गतिक्षील ग्राधानों श्रौर टंकियों को साफ करने श्रौर रोगाणुमुक्त करने के लिये एक ग्रलग क्षेत्र ग्रौर पर्याध्त सुविधार्ये होना चाहिये। तथापि यह क्षेत्र श्रौर यह सुविवार्ये उनदर्णा में ग्रावल्यक नहीं होगी यदि <u>⊢</u> ग्राधानों ग्रीर टंकियों को साफ करने श्रीर रोगाणुमुक्त करने की व्यवस्था किल्हीं ग्रन्य केन्द्रों पर की गई है।

4. पेयजल प्रदाय करने की सुविधायें, कच्चे पानी की पूर्ति, वाष्प उत्पादन अग्रिमशयन श्रौर रेफ़िजरेशन उपकरणों को ठंडा करने के लिये प्राधिकृत है, परन्तु इस प्रयोजन स लगाये गये पाइपों से अन्ध प्रयोजनों के लिये जल का प्रयोग वर्जित होगा श्रौर श्रंडा उत्पाद को संक्रमण का कोई जोखिम नहीं होगा, ऐसी भाप श्रौर संबद्ध जल श्रंडे के संपर्क में नहीं श्रायेंगे या साफ किये जाने के लिये या रोगाणुमुक्त डिब्बे प्लांट या उपकरण जो श्रंडा उत्पाद के संपर्क में है उनके संपर्क में नहीं श्रायेंगे, कच्चे पानी को ले जाने वाले पाइपों को पीने योग्य जल से श्रलग रखा जायेगा।

 कटाणुश्रों जैसे कीड़े श्रौर मकौड़े से सुरक्षित रखने के लिये समुचित उपकरण होंगे।

6 उपकरण, कर्पालग ग्रौर उपस्कर या उनकी सतह, जो ग्रंडा उत्पाद के संपर्क में ग्रायेगी वह चिकनी सामग्री की बनी होनी चाहिये जिसको ग्रासानी से साफ किया जा सके ग्रौर धुलाई तथा रोगाणुमुक्त किया जा सके जंग के प्रभाव से मुक्त तथा ग्रंडा उत्पाद को ऐसे पदार्थ, इतनी मान्ना में ग्रंतरित न करने वाला हो, जो मानव स्वास्थ्य को खतरा पैदा न करे, ग्रंडा उत्पाद की संरचना में हानि पहुंचाये या उनके जोखिम गुणों को विपरीत रीति में प्रभावित करे।

ग्रध्याय—–∏

प्लांट के अनुमोदन के लिये विशेष शर्तें ग्रध्याय—1 में उल्लिखित सामान्य शर्तों के घतिरिक्त प्रति स्थापना में निम्नलिखित होना चाहिये।

 ग्रंडों ग्रौर परिष्कृत ग्रंडा उत्पाद के लिये उचित ग्रौर ग्रलग भंडारण कक्ष जहां ग्रंडा उत्पाद की रेफ़ि-जरेशन में उचित तापमान पर रखा जा सके। प्रशीतित गृह में थर्मामीटर लगा होना चाहिये या रिमोट रिकार्डिंग थर्मामीटर होना चाहिए।

2. जहां प्रदूषित ग्रंडों का प्रयोग होता है, वहां उन्हें धोने श्रौर रोगाणुमुक्त करने की सुविधायें होनी चाहिये, उत्पादों की सुची ओ इग्हें रोगाणुमुक्त करने के लिये प्राधिकृत है, बनाई जानी चाहिये।

- j. ग्रंडों को तोड़ने के लिये उनके ग्रंतवस्तुश्रों को प्राप्त करने के लिये तथा उनके भाग श्रौर छिल्ली को प्रकार करने के लिये एक विशेष कक्ष उपयुक्त सुविधाश्रों के साथ होना चाहिये।
- ii. उपरोक्त रंग में निदिष्ट के ग्रलावा ग्रन्थ संचालन के लिये एक पृथक कक्ष होना चा।हये, जहां ग्रंडा उत्पाद पेस्चुराइज्ड है, पेस्चुराइजेशन जैसा कि पूर्वत रॉग में निर्विष्ट है, कक्ष होना चाहिये यदि प्रतिस्थापना के पास बंद

3928

परंकूराइजेशन पढ़ति है ग्रौर अन्य मामलो में पेस्चु-राइजेशन प्रक्रिया को पृथक रूप में पृथक कक्ष में (जैसाकि रंग में निदिष्ट है) किया जाना चाहिये, अन्य मामलों में श्रंडे उत्पाद को प्रदूषित होने से बच्चाने के लिये पेस्चुराइ-जेशन के उपरान्त प्रत्येक सावधानी बरती जानी चाहिये।

4. ग्रंडा ग्रंग को संयंत्रों में नेजाने के लिये उपयुक्त स्विधार्य हों।

5. इन नियमों में उपबंधित के अनुरूप, अंडा उत्पाद के संसाधन के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उपस्कर हो, जो कम में कम निम्नलिखित के साथ होने चाहिये।

- (i) पेस्चुराइजेशन से संबंधित मामलों में :
 - —-स्वचालित तापमान नियंवण
 - ––रिकार्डिंग तापमापक
 - ----स्वचालित सुरक्षात्मक उपकरण जो ग्रपर्याप्त ऊप्मा का प्रतिरोधक हो
- (ii) निरंतर पैंस्चुराइजेशन प्रणाली के मामले में उपस्कर में निम्नलिखित उपकरण भी लगाये जायेंगे

6. खाद्य पदार्थ ग्रौर उसके संयोजक के भंडारण के मिश्रण के लिये पृथक कक्ष ।

7. जहां उत्पाद प्रयोजन श्राधानों में पैक किया जाता है यदि आवश्यक हो ऐसे आधानों झौर उनके विनिर्माण मे झाने वाली कच्ची सामग्री के भंडारण के लिए एक समुचित एवं पृथक क्षेत्र होना चाहिए।

8. श्रंडा छिलकों का तात्कालिक रूप से हटाने के लिए सुविधायों होनी चाहिए तथा ग्रंडे ग्रौर श्रंडा उत्पाद जो मानव उपभोग के लिये उन्हें तुरन्त हटाने श्रौर उन्हें पथक रखने की सविधायों होनी चाहिए)

 ग्रांडा उत्पाद की स्वास्थ्यकर पैंकिंग के लिये उपयुक्त उपस्कर होने चाहिये।

10. इन नियमों की अपेक्षानुसार कच्ची सामग्री ग्रौर ग्रंडा उत्पाद का विश्लेषण ग्रौर उसकी जांच की जानी चाहिए, प्लांट में उपयुक्त प्रयोगणाला होनी चाहिए, यदि नहीं है, तो इन श्रपेक्षाग्रों की पूर्ति करने वाली प्रयोगणाला की संबायें ली जानी चाहिए, पण्चात् वर्नी के मामले में वह सदनुसार सक्षम प्राधिकारी को सचित करें । 11. जहां अपेक्षित हो, प्रशीतित अंडा उत्पाद की गलाने के लिये उचित उपस्कर होने चाहिये और अनुमोदिन प्लांट में उसको संसाधन तथा आगे संभाल होनी चाहिए।

_. ____

1.2. साफ स्रौर रोगाणुमुक्स उत्पाद के भंडारण के लिये पृथक कक्ष होना चाहिए।

ग्रध्याय--3

परिसर उपकस्र ग्रीर प्लांट के कर्मचारियों में संबंधित स्वास्थ्यकर ग्रीपेक्षायें

कर्मचारी परिसर श्रौर उपस्करों की सफाई के लिये उच्चतम स्तर श्रपेक्षित हैं :---

 जो कर्मचारी ग्रंडा उत्पाद की संभाल ग्रौर उसे संसाधित करेंगे व विशेष रूप से स्वच्छ कार्य करते समय पहनने वाले वस्त्र पहनेंगे ग्रौर सिर पर टोपी लगायेंगे।
 इन को कार्य ग्रारम्भ करने समय श्रौर कार्य के विशेष सत्र में हाथों को कीटाणुमुक्त करने के लिए बार-बार हस्त प्रक्षालन करना होगा। जहां श्रंडा उत्पाद का संसाधन ग्रौर भंडारण किया जाता है वहां पर धुम्रपान, खाना, थकना ग्रौर चवाना निषेध होगा।

2. कोई भी पशु प्लांट के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी कीड़े मकौड़े और कोई अन्य कीटाणु यदि पाये जायेंगे तो उनको अच्छी प्रकार से नष्ट कर दिया जायेगा।

3. ग्राडा उत्पाद में संबंधित कार्य में प्रयोग होने वाले परिसर, उपकरण श्रौर उपस्कर हैं स्वच्छ श्रौर ग्रच्छी श्रवस्था में रखे जाने चाहिये। उपकरण श्रौर उपस्कर, यदि ग्रावश्यक हों कार्य दिवस के दौरान दिन का कार्य समाप्त होने पर श्रौर यदि वे मिट्टी पर पड़े है तो बुबारा प्रयोग करने से पहले सावधानी से श्रनेक बार साफ श्रौर कीटाणुमुक्त किये जाने चाहिये। श्रंडा उत्पाद को ले जाने के लिये ढकी हुई पाइप लाईन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे ऐसी समुचित सफाई प्रणाली हो जो यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी भाग सफाई श्रौर रोगाणुमुक्त हैं। पाइपों को सफाई श्रौर रोगाणुमुक्त करने के पश्चात् साफ पानी से खंगालना चाहिये।

4. सक्षम प्राधिकारी से अनुजा लेने के पश्चात् मन्य खाद्य पदार्थों को प्रसंस्करण के सिवाय, चाहे यह साथ न हो या भिन्न समय पर, परिसर, उपकरण और उपस्कर प्रंडा उत्पाद को संसाधन करने के भ्रातिरिक्त और किसी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिये। परन्तु प्रदूषित होने से रोकने के लिये सभी उपयुक्त उपाय ध्रपनाये जाने चाहिये या इन नियमों के अन्तर्गत उत्पाद में विपरीत बद्दलावों से संबंधित उपाय करने चाहिये।

5. पेय जल सभी उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये तथापि अपेयजल अपवाद ात्मकमामलों में भाष उत्पादन के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये क्षशतें कि

डुसके लिये लगाये गये पाइप अन्य उद्देश्यों के लिये इनसे जल का प्रयोग नहीं होने देत प्रार इसमें अडों या छंडा उत्पाद को किसी प्रकार का संदूषण नहीं होगा। इसके प्रतिरिक्त प्रपेय जल का प्रयोग, रेफ़िजरेशन उपस्कर की ठंडा करने के ग्रपवादात्मक मामलों में किया जा सकता है। ग्रपेय जल पाइप पेय जल पाइपों से स्पष्ट तथा अलग होनी चाहिये।

6. साफ करने वाले पदार्थ, रोगाणुमुक्त करने वाले पदार्थ ग्रौर दूसरे पदार्थी का प्रयोग ग्रीर भंडारण इस प्रकार से होना चाहिये कि उपस्कर, उपकरण ग्रौर श्रंडा उत्पादों पर उनका प्रतिकृल प्रभाव न पड़े। उपकरणों ग्रौर उपस्करों पर इंनके प्रयोग के बाद उनको पेय जल से ग्रच्छी प्रकार से खंगालना चाहिये।

7. ऎसे व्यक्ति जो संदूषितकरण के संभव स्रोत हो सकते हैं, उनको ग्रंडों या ग्रंडा उत्पादों या उनके रखरखाव से संबंधित कार्य करने की ग्रनमति नहीं होनी चाहिये।

8. कोई भी व्यक्ति जिसको ग्रंडों या ग्रंडा उत्पादों के कार्य में लगाया गया है उसको स्वास्थ्य प्रमाणपत प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का प्रति वर्ष जीनीकरण कराता चाहिये जब तक कि उसी प्रकार की गारंटी देने वाली दूसरी कर्मचारी चिकित्सा जांच योजना को सक्षय प्राधिकारी द्वारा मान्यता न दे दी गई हो।

ग्रध्याय—⊸∤

क्रॉडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये क्रंडों से संबंधित क्रपेक्षायें

 ग्रंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये प्रयोग किये गये ग्रंडों को उचिंग पैकिंग में रखना चाहिये।

- 2. (i) ग्रंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये केवल उष्मायित में रखे बिना ऐसे ग्रंडे प्रयोग किये जाने भोहिये जो मानव उपभोग के लिये उचित हो। उनको पूर्णतः विकसित और बिना तोड-कोड के होना चाहिये।
- (ii) उपरौक्त (i) के अल्पीकरण के ढारा ग्रंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये टूटे हुए ग्रंडे प्रयोग में लाये जा सकते हैं बणर्ते वे अनुमोदित प्लांट को जहां उन्हें जल्दी से जल्दी तोड़ा जायेगा, उत्पादन फार्मढारा सीधे भेजे गये हों।

3. श्रंडा श्रीर श्रंडा उत्पाद, जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त है, उनको हटा लेना चाहिये श्रीर उनको ऐसी गीति से विक्रुत किया जाना चाहिये ताकि वे मानव उपभोग के लिये पुनः प्रयोग न हो सके। उन्हें श्रध्याय-2 के बिन्दु 8 की व्यवस्थानुसार तुरन्त कमरे में रखा होना चाहिये। न्नध्याय- 5

अंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये विज्ञेष स्वास्थ्यकर ग्रेगेक्षायें

सभी प्रक्रियायें इस प्रकार में की जानी चाहिये ताकि श्रंडा उत्पाद के उत्पादन संभाल श्रौर भंडारण के दौरान किसी प्रकार के संदूषण से बचा जामके श्रौर विशेष रूप से निम्नलिखित किया जाना चाहिये।

- श्रंडा अगरे श्रंडा उत्पाद का अनुमोदित प्लांट में आगे के संसाधन के लिये अध्याय 2 के बिन्दु) में बताये गये कमरों में पहुंचते ही उनका संसाधन होने सक तुरन्त भंडारण किया जाना भाहिये। इन कक्षों की तापमान इतना होना चाहिये जिससे यह सुनिध्चित हो सके कि वे संदूषित नहीं है। ग्रंडे के छिलकों की है सीधे रूप में फर्श पर नहीं रखनी रखनी चाहिये।
 - 2. अंडों को पैक नहीं किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो उनको उस कमरे में धोना चाहिये और रोगाणुमुक्त कर लैना चाहिये जो घंडा तोड़ने वाले कक्ष में पृथक होगा। पैकिंग सामग्री को छंडा तोड़ने वाले कक्ष में नहीं ले जाना चाहिये।
 - 3. श्रंडों को अध्याय 2 के बिन्दु 3(i) में बताये गैये कमरे में ही तोड़ना चाहिये। श्रध्याय 4 के बिन्दु 2(ii) में उल्लिखित श्रनुमार टूटे श्रंडों का संसाधन बिना किसी देरी के करना चाहिये।
 - 4. गंदे श्रंडों को तोड़नें से पूर्व साफ कर लेना चाहिये । यह कक्ष श्रंडे तोड़ने वाले कक्ष से या किमी ऐसे कक्ष से जहां खुमे श्रंडों की अर्न्तवस्तु रखी जाती है, पुथक होगा । सफाई प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिये ताकि ग्रंडे की श्रर्त्तवस्तुश्रों को संदूषण श्रौर मिलावट से बचाया जा सके । श्रंडों के छिलके तोड़ने समय पर्याप्त सूखे होने चाहिये जिससे श्रंडे की झर्त्तवस्तुश्रों को साफ करने वाले जल की ग़र्द्रगी से होने वाली मिलावट से ब्रुचाया जा सुके ।

5. मुर्गी या टकी या गोइना फालके ग्रंडों से भिल्त ग्रंडों की संभाल ग्रौर संसाधन पृथक रूप से करनी चाहिये। जब मुर्गी, टर्की, गोइना , फालके के ग्रंडों का संसाधन करना हो तो सभी उपस्कर साफ ग्रौर कीटाणुरहित होने चाहिए । 6. ग्रंडों को तोड़ने की प्रक्रिया, चाहे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया ग्रयनाई गयी हो, इस प्रकार की होनी चाहिये जिसने कि ग्रंडों के तत्वों को संभावित संदूषण से बचाया जा सके । इसके लिये ग्रंडों के तत्व को सेंट्रीक्यूगेशन या उन्हें तोड़कर प्राप्त नहीं करना चाहिए ग्रौर या खाली खोलों से ग्रंडें की सफोदी के ग्रवशेंयों कों सेन्ट्रीक्यूगेशन में भी प्राप्त नहीं करना चाहिए जहां तक संभव हो सके खोलों के ग्रवशेवों या झिस्लियों को भंडे उत्पाद से मलग रखना चाहिए भोर भ्रष्ट्याय-6 के दिल्दु 2(ii) में विमिदिष्ट माक्षा से श्रधिक नडीं होगी चाहिए।

7 यहे उत्पार को, तोड़ने के उपरास्त जहां तक संभव हो सके जी गातिणीझ प्रत्येक थंण को समाधित किया जाना चाहिए। ताप संमाधन, जिसमें ग्रंडा उत्पाद को किसी विद्यमान पेथोनिक ग्रोरंगेनिज्म को हटाने के लिए समुचिन ग्रवधि तक, समुचित नाप दिया जाना सम्मिलित है, दिया जाना चाहिए। ताप संसाधन के दौरान तापमान सतत रूप से रजिस्टर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैच के साथ किए गए संसाधन का ग्रमिलेख दो वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकारी के निपटान हेनु रखा जाना चाहिए। प्रत्येक ग्रपयपित रूप से संसाधित किए गए बैच को तुरन्त उसी प्लांट में पुनः संसाधित किए गए बैच को तुरन्त उसी प्लांट में पुनः संसाधित ग्रंडा उत्पाद मानव उपभोग के लिय जचित हो। यदि यह मानव उपभोग के लिए ग्रनुपयुक्त पाया जाए तो उसे श्रध्याय-4 के बिन्दु 3 के ग्रनुमार नष्ट कर देना चाहिए।

8. यदि तोड़ने के उपरान्त तुरन्त उनका संसाधन नहीं किया जाता है तो ग्रडे के तत्वों को संतोषप्रद स्वास्थ्यकर परिस्थितियां में भंडारण कर देना चाहिए या तो उनको प्रशीतित या चार डिग्री सेल्सियस से ग्रनधिक तापमान पर रखा जाना चाहिए। शर्करा रहित ग्रवयवों के मामले को छोड़कर, चार डिग्री सेल्सियस पर भंडारण 48 घंटों मे ग्रधिक नहीं होना चाहिए।

 9. निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन किया जाना चाहिए :----

- (i) उनकी पैंकिंग, जांच, परिबहन ग्रौर संभाल इन नियमों की ग्रपेक्षान्सार की जायेगी।
- (ii) उनको अध्याय 2 में प्रधिकथित अपेक्षाओं के अनुसार लेबल किया जाएगा माल की प्रकृति निम्नॉकित रूप में उपदर्शित की जाएगी — अप्राव्यूराइड अडा उत्पाद गन्तव्य स्थान पर संसाधित किया जायगा तथा तोड़ने का समय व तारीख,

10. संसाधन के उपरान्त यागामी संसाधित प्रक्रियाये यह सुनिषिचत करेगी कि ग्रंडा उत्पाद में पुनः कोई संदूषण नहीं होगा । तरल उत्पाद या ठोस उत्पाद जिन्हें कक्ष तापमान पर नहीं रखा गया है, या तो सूखा हो या ठंडा हो जो 4 डिग्नी सेन्सियस में ग्रंधिक नहीं होना चाहिए । तरन्त पा खमीरीकरण प्रक्रिया के उपरान्त उत्पाद को संसाधित करने के वाद तुरन्त प्रणीतित करने के लिए रग्यना चाहिए ।

.11. जब तक कि उन्हें ग्रन्थ खाद्यों के बिनिर्माण के प्रयोग में न लाया गया हो श्रंडे उत्पाद को बन नियमों में श्रपेक्षित नापमान पर रखना चाहिए। 2007 GI/97—3 12 अनुमोदित ब्लांट में, ऐसी कच्ची सामग्री से जो खाद्य पदार्थ के बिनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, अंडा उत्पाद कर प्रतिषिद्ध है भने ही वह ग्रखास प्रयोजनों के लिए हो।

ग्रध्याय-- ७

विश्लेषणात्मक विनिर्देश

1. सुध्मजैविकी मापदंड

संसाधन के बाद ब्रंडा उत्पादों के सभी वैचो की यह गारंटी देने के लिए कि वे निम्नलिखिन माप दण्डों को पुरा करते हैं, संसाधन ज्वांटों में नमुनों के आधार पर सक्ष्मजैविकी जांच की जानी चाहिए :----

- (ii) ग्रन्थ मापदंड:
- ----वर्णमञ्यक वरायुजीवी जीवाणुः ए.म. = 10⁵ / ग्राभ या ामि.ली. में
- ----प्रवेश या म्राहार नाल जीवागु---एस. ≕ 10² / ग्राम या 1 मिली लीटर में

—–गुच्छाण् – ग्रंडा उत्पादन में 1 ग्राम का भ्रभाव

- एम ≕ जीवाणु की संख्या का मान, यदि एक या अधिक नमुना एक को में जौवाणु की संख्या एम या अधिक है तो यह परिणाम असंतोषजनक माना जाता है ।
- 2 ग्रन्थ मापदड

अंडा उत्पादों के सभी बैंचों की. यह गारंटी देने के लिए कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने हैं, संसाधन परथापनायों में नमुने के ग्राधार पर जांच की जानी चाहिए:---

- (i) 3 श्रो एच-व्यूटिरिक अम्ल की सान्द्रता अपरिष्कृत ग्रंडा उत्पाद के सूखे पदार्थ में प्रति किलो ग्राम, 10 मिलीग्राम में अधिक न ठां।
- (ii) संसाधन से पहले ग्रंडे व ग्रंडा उत्पादों को स्वास्थ्यप्रद रूप में सचालन को सुनिष्ठित करने के लिए निर्म्नालस्वित मालकों का प्रयोग किया जाएगा। ग्रंडा उत्पाटों के सुखे पदार्थो में दुग्धाम्ल की मात्रा प्रति किलाग्राम में 1000 मिलीग्राम से ग्रधिक नहीं होनी चाहिए। केवल ग्रसंसाधित उत्पादों पर लागू है।
- एककीनिक ध्रम्ल की मात्रा धडा उत्पाद के सूखे पदार्थ में प्रति किलोग्राम में 25 मिलीग्राम में ग्रधिक नहीं होनी चाहिए । तथापि किर्ण्वाणत उत्पादों के मामलों में वह मान वह होगा जो किण्णन प्रक्रिया में पहले श्रभिलिखित किया गया है ।

- (iii) बचे हुए श्रंडों के छिनकों को माला, श्रंडों की झिल्लो और श्रंडा उत्पाद में श्रम्य दूसरे कण, अंडा उत्पाद में प्रति किलोग्राम में 100 मिली ग्राम से ग्रधिक नहीं होने चाहिए।
 - (iv) पक्षर्थ की अपशिष्ट मात्रा सह्य सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मध्याय-7

स्वास्थ्य नियंत्रण श्रीर उत्पादन का पर्यवेक्षण

 प्लांटों का पर्यवेक्षण सक्षम प्राधिकारी के घ्रधीन होगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में ऐसे पर्यवेक्षण उपाय सम्मिलित होंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिये घावश्यक समझे जायेंगे कि घंडा उत्पाद के विनिर्माताओं ने इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है श्रीर इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित होगी:----

- ----प्लांटों से प्रेषण पर ग्रंडा उत्पादों का निरीक्षण।
- —परिसर की स्वच्छता, सुविधाओं और उपस्करों तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य का सत्यापन।
- -----प्रयोगशाला परख के लिये प्रपेक्षित कोई नमूना यह सुनिश्चित करने के लिये लेना कि झंडे व झंडा उत्पाद इन नियमों की प्रपेक्षाओं के अनुरूप है। ऐसी जांच के परिणामों को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये और उसे झंडा उत्पाद विनिर्माता को प्रधिसुचित करना चाहिये।

2. सक्षम प्राधिकारी की प्रार्थना पर, अंडा उत्पाद की विनिर्माताओं को, जहां यह अंडा उत्पाद के स्वास्थ्यप्रद उत्पादन के सुनिश्चित करने के लिये ग्रावश्यक प्रतीत होता है, प्रयोगशाला परीक्षगों की पारम्परता बढ़ायी जानी चाहिये।

ग्रध्याय– ८

अंडा उत्पाद की पैंकिंग

 अंडा उत्पादों को संतोषजनक स्वास्थ्यजनक परि-स्थितियों में पैक करना चाहिये जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए संदूषित नहीं है।

ग्राद्यानों के मामलों में निम्नलिखित सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन करना भाहिए:---

- ---ये ग्रंडा उत्पाधों में ऐसे पडार्थों को ग्रम्तरित करने 'बाले नहीं होने चाहिये जो मालक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हों।
- ---ये ग्रंडा उत्पादों को पर्याप्त रूप से संरक्षण देने वाले ग्रीर मजबूत होने चाहिये।

2. जिस कक्ष में श्राधान रखे जाएं वह धूल ब कीड़े मंकोड़ों से रहित होना चाहिएं । प्रयोज्य ग्राधानों को बनाने वाली सामग्री का भंडारण जमीन पर नहीं करना चाहिए।

3. ग्रंडा उत्पाद के लिये प्रयोग किये गये ग्राद्यानों को प्रयोग करने से पहले साफ करने चाहिए। पुनः प्रयोज्य श्राद्यान भरने से पहले साफ होना चाहिए, उसे रोगाणुमुक्त करके खंगाल लेना चाहिए।

4. ग्राधार्मी को स्वास्थ्यजनक ढंग से कार्य करने वाले कक्ष में लाना चाहिए तथा ग्रनावक्यक देरी किए बिना इनका प्रयोग होना चाहिए।

5. पैकिंग के तुरन्त बंद, प्राद्यानों को बंद करना और उन्हें ग्रध्याय—II के बिन्दु 1 में निर्दिष्ट भंडारकक्ष में ले जाना चाहिए ।

6. अंडा उत्पाद के लिए आद्यानों का प्रयोग, यदि अपेक्षित हो, ग्रन्थ खाद्य सामग्री के लिए किया जा सकता है, परन्तु ये साफ और रोगागुमुक्त हों जिसने अंडा उत्पाद संदूषित न हो।

7. बड़ी माला में, अंडा उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले, ग्राद्यानों को स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए । इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित हैं :---

- ----प्राद्यानों की बनावट इस प्रकार की होनी चाहिए कि अंडा उत्पाद स्रासानी सें पूर्ण रूप से हटाया ज सके। यदि वह टेप सें बंद किया गया है तो उन्हें हटाना, खोलन।, धोना, साफ करना व रोगाणु-मुक्त करना श्रासान होना चाहिए ।
- —–पुनः प्रयोग से पूर्व यदि अपत्रध्यक हो प्रत्येक के तुरन्त बाद की इन्हें धोना, साफ करना, रोगाण्मुक्ल करना और खंगातना चाहिए।

١

---इनको भराई केबाद उचित सील लगाई जानी जाहिए और इन्हें परिवहन के दौरान तथा उपयोग किए जाने तक सील रहना चाहिए ।

----इन्हें अंडा उत्पादों के परिवहन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए ।

ग्रध्याय---9

भंडारण

 अंडा उत्तादों को अध्याय 2 के बिन्दु 1 में निर्दिष्ट भंडारकक्ष में रखना चाहिए।

2. अंडा उत्पादों को जिनके भंडार के लिए कतिषय तापमान भ्रापेक्षित है; उन्हें उसी तापमान पर रखना चाहिए। भंडार कक्ष के तापमान को लगातार म्राभिलिखित किया जाए। प्रशीतन दर ऐसी होनी चाहिए कि उत्पाद शीधतातिशीध्र प्रपेक्षित तापमान पर पहुंच जाए। प्राद्यानों को ऐसी रीति सें भंडार करना चाहिए कि उनके चारों ओर वायु ग्रासानी से आ जा सके।

 अंडार कक्ष में तापमान निम्नलिखित मान में अधिक न हो ----

ग्रधिक जमा हुन्रा उत्पाद	18 डिग्री सेल्सियस
जमा हुम्रा उत्पाद	12 डिग्री सेल्सियस
ठंडा उत्पाद	+4 डिग्री सेल्सियस

निर्बल उत्पाद (अंडे की सफेदी के बिना) + 15 डिग्री मेल्सियस ।

ग्रध्याय--- 1 0

परिवहन

 अंडा उत्पादों के परिवहन के लिए वाहन और ग्राद्यानों काढांचा और सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि इन निथमों ढारा ग्रपेझित तापमान परिवहन की संपूर्ण ग्रवधि में सतत रूप से बना रहे।

2. बंडा उत्पादों को ऐसी रीति में प्रेषित किया जाना है चाहिए कि परिवहन के दौरान किसी भी ऐसी भीज से जो उनके लिए हानिकारफ है, पर्याप्त रूप से मुरक्षित रहे ।

 अध्याय 1 में बिस्टु 3 में विहित तापमान परिवहन के दीरान बने रहना चाहिए ।

ग्रध्याय---- 1 1

अंडा उत्पादों का चिन्हांकन

 प्लांट के अंडा उत्पादों के प्रत्येक परेषण पर तिम्नजिबित विवरण वाला लेबल लगा होना चाहिए :---

 (i) या तो :---ऊपरी भाग पर प्रेषिती देश के नाम के झारंभिक अक्षर/म्रक्षरों की साफ झक्षरों में लिखा जाए झर्यात् -- बी/डी/डी के/के एल/ई एस पो/एक/ आई मार एल/माई/एल/ एन एल/पी/ यू के, जिसके पश्चात् प्लांट का अनुमोदन संख्यांक दगित हो। नीचे के भाग पर निम्नलिखित सेटों में से एक के आधाक्षर लिखे जाए : सीईई---ईईसी---ईईजी---ईओके----ईडब्ल्यूजी----ईओएफ ।

- (ii) या :---ऊपरी भाग पर प्रेषिती देश का नाम साफ ग्रक्षरों में। मध्य में प्लांट का अनुमोदन संख्यांक होना चाहिए ; नीचे के भाग पर निम्नलिखित सैटों में से एक के प्राद्याक्षर लिखे जाएं : सीईई---ईईसी---ईईजी ---ईओके---ईडब्ल्य्जी---ईओएफ।
- (iii) वह तापमान जिस पर अंडा उत्पाद को रखना है तथा वह म्रवधि जिसके दौरान उनका संरक्षण मुनिध्चित किया गया है । लेवल सुपाठ्य ग्रमिट और आसानी से ग्रर्थ निकाला जा सकने वाली प्रकृति का होना चाहिए।
 - परिवहन वस्तावेजों में विशेष रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होने चाहिए :----
 - (i) उत्पादों की प्रकृति उद्गम के वर्ग सहित इंगित होनी चाहिए;
 - (ii) बैभ संख्यांक;
- (iii) गन्तव्य स्थान और पहले पाने वाले का नाम व पता;
- (iv) यह जानकारी और पौष्टिकता का चिन्ह राज-भाषा में या गन्तव्य देश की भाषा में होना चाहिए।

अध्याय--12

[यू एस एं (संयुक्त राज्य अमरीका) को किए गए निर्धात पर लागू]

1. सफाई, संसाधन और सुविधा की अपेक्षाएं

1. प्लांट की अवेक्षाएँ

 1.1 प्लांट आपत्तिजनक गंध, घूल और घुएं वाली वायु से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए।

1.2 परिसर कूड़ा करकट, कबाड़, रद्दी और अन्य दूसरे तत्वों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए और ऐसी अवस्थाएं जो गंध के साधनों का सृजन करनी है या कीट, क्रुन्तकों तथा अन्य कीड़े मकौड़ों के स्त्रोत बनती है, से मुक्त होना चाहिए।

1.3 भवत का मजबूती से निमित होना चाहिए और अच्छी मरम्मत करके रखा गया हो जिससे उसमें कोड़े मकौड़ों के णरण लेने या प्रवेश की गुंजाइश न हो।

1.4 मक्ष मुंडा करकड, कमाइ, रही तर्थों, दर्गध, कीटों, कुन्तकों से मुक्त रखा जाएगा और रेसी अवस्थाएं जो गंध के साधनों का सुजन करती है या कीट कुल्तकों तथा अन्य कीई मकीड़ों के स्वोत बनती है, से मक्त होना चाहिए । ऐपो सामग्री और उपस्कर की, जो वर्तमान में प्रयोज्य नहीं है, संभाल और भंडारकरण ऐसी रोति में किया जाएग। जिसने कि वह स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदान करे।

1.5 दरवाजे और खिड्किया जो बाहर को खलती है, कृत्तकों ब अन्य कीओं आदि के प्रवेण को रोकने वाले होंगें। दरवाजे, खिडांकयों व सेविका कक्ष, जहा खाद्य पदार्थ रखा गया हो की, संरचना व बनावट इस प्रकार होनी चांहिए कि वे धुल व गंदगी को रोक सकें। उन दरवाजो का निर्माण, जो उन कमरों में खुलते है जहां खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण होता है, मजबूती से होता चाहिए और ऐसे दरवाजे जो फिज या कूलर के दरवाजों से भिन्न है, स्वयं बंद करने वाली युक्ति सहित होने चाहिए।

1.6 दरवाजे और ऐसे अन्य निकास जिनसे कृन्तक प्रवेश कर सकते है, कानिर्माण क्रुन्तक प्रफ होना चाहिए ।

1.7 प्लांट और परिसर के लिए मुचारू पानी निकास और नलसाजी की व्यवस्था होनी चाहिए।नाली और मलवहन नाल अन्मोदित जाली और छिदो के साथ उचिन रूप से लगायी जानी चाहिएं। पर्याप्त ढलान के साथ शीघता और निवीध रूप सगरेंदे पानी का निकालना और अन्य बहुत सो संसाधन की प्रक्रिया का संचालन होना चाहिए। फर्श की नाली का भाग निकास जाली के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ हो जो पानी के ठहराव को न होने दे। नयी या पूर्ण संशोधित रूप देकर बनाए गए शौच रोके पानी से निकास की नालियां प्लांट की अन्य निकास नालियों से नहीं/ जोड़ी जानी चाहिए।

 8 पानी को आपूर्ति (गर्म और ठंडा दोनों) प्रचुर, साफ व पेय रूप में पर्याप्त दबाव के साथ होगी । तथा प्लांट या उसके किसी भाग को पानी की आपूर्ति की सुविधाएं दी जाएगों जो अंडा प्रसंस्करण और संचालन व्यवस्था तथा उन्हें संदुषित तथा प्रदुषित होने से बचाया जाना चाहिए।

1.9 फशं, दीवारें, छतं, पुथककरण, स्तंभ दरवाजे, सभी अन्य प्रकार के भागों का निर्माण ऐसे पदार्थी से होगा जो उनका त्वरित और सम्पूर्ण सफाई को सूकर बना सके। फर्श और मोड जलराधो होने चाहिए।

1.10 प्रत्येक कमरा और कक्ष जिसमें झिल्ली अंडा या अंडा उत्पाद का रखरखाव या प्रसंस्करण होता है, उसका डिजाइन निर्माण और रखरखाव इस प्रकार किया जाएगा कि यह साफ और सूचारू प्रकृति जो आपसिजनक गंध और बाष्प से मुक्त हो, के संसाधन और संचालन शर्तों को सूनिधित्रित करे। साथ ही सफाई और स्वास्थ्य जनक पर्रास्यति को भी बनाएँ रखे।

1.11 प्लांट या उसके फिर्मा भाग, जिसमें झिल्ली अंडा या अंडा उत्पाद का रुखरंगाय या भंडारण किया में रहा है, से मृत्ते, विभिनयों और कोडे-मात्रीकों (जिसमें) कीट, कुल्तक और जन्तु समिमांलत ह परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है) को बाहर रखने की प्रत्येक सावधानी वरती जाएंगी ।

1.12 (i) वहां पर्याप्त संख्या में तकाणपंच, ईसिंग कक्ष, प्रमाधन कक्ष जिनकः आकार विजयत हो और सुदिधा-जनक व कुणलता। पूर्ण उपलेक्त स्थिर हत। का मूलिया नतक स्थान पर स्थित हों तथा उन कमरों भार कभीं में पृथक हो जिनमें झिल्ली अंडाय। अंडा उत्पाद का रखराधाव, संसाधन या भंडतरण होता है। ड्रेसिंग कक्षों जॉन प्रसाधन ककी में पृथक रूप से बाय संचार होता काहिए उन्हें स्वास्थ्य निर्माण व उपस्कर संबंधी मभी अक्षण्यजन ओं की पुलि करने वाला होना चाहिए।

(ii) निम्नलिखित सूत्र अनेकित प्रसाधन सूविधाओं के निर्धारण के लिए आधार हैं:——

एक ही लिग भेद के व्यक्ति अ	अर्थाक्षत प्रमाधन	
	ঀ৾৾৻য়	
01 से 15, दोनों सम्मिलित		1
16 से 35, दोनों सम्मिलित		2
36 में 55, दोनों सम्मिलित	¢¢	3
56 से 80, दोनों सम्मिलित	20	4
80 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 30 व्यक्तियो		
के लिए	*	1

*प्रसाधन पाझ केस्थान पर सूत्रालय रखे जा सकते है परन्तु यह पात्रों की कुल संख्या के 1/3 भागतक ही हो सकता है।

1.13 शौचालय ही जगह प्लांट में जिनमें, गर्भ व टंडा बहता हुआ पानी, एक बार प्रयोज्य तौलियों और साक्षुन जिसमें ऐसी गंध न हो जो उत्पाद के ठीक मुल्यांकन करने में हस्तक्षेप करे, सम्मिलित है परन्तु यह इन्हीं ब(तों तक सीमित नहीं है उस स्थान पर स्थिति होगी जहां किसी झिल्ली अंडा या अंडा उत्पादों का रखरखाव करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सफाई सुनिश्चित हो सके। संसाधन क्षेत्रों में हाथ धोने को सुविधाएं संचालन नियंत्रण करने वाले व्यक्ति से भिक्ष व्यक्ति द्वारा संचालित होगी। और निकास केलिए जाली होगी जो नल साज-व्यवस्था से जुड़ी होनी चाहिल ।

1.14 प्लांट में सभी सुबिधाजनक स्थानों पर उप-करणों व उपस्करों की सफाई श्रौर स्वच्छता के लिए उपयुक्त मूर्विधात्रों की व्यवस्था होगी ।

[भाग II— खंड 3(ii)]

1.15 झिल्लियों, कचरा श्रीर दूसरे कूड़े को रखने ग्रौर इकठठा करने के िए कुड्राघर की व्ययस्था होनी चाहिए। ये पूर्ण **रूप** के अब जक्ष होते है, जो अंडा तोड़ने वाले कक्षों या छ रने वाले नहीं होंगेंया वे उन कमरों में तहीं खुलेनें गहां ग्रंडा उत्पाद और बकिंग पदार्थों की संभाल की जाती है या भंडारण होता है और ये सफाई केलिए अनुमोदित नालियों सुवि-धाग्रों सहित होंगें तथा बाहर हवा फेंकने वाली ग्रनुमोदिन महित वने होंगे। झिल्ली का रखरखाव तथा कचरे ग्रौर ग्रन्य कड़े की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम प्राधिकारी डाग प्रयुमोदित हो स**कती है ब**प्तर्ते इस व्यवस्था में कचर को हटाने और **उसकी व्य**वस्था करने के लिए तुल्यमाप मान की सफाई की व्यवस्था की गई है

े उपस्कर और उपकरण :---पोलीक लोरीनेटिड वाईपिनाइल्स (बीसी बी) रखने वाला उपस्कर

2,1 झिल्ली ग्रंडा ग्रौर ग्रंडा उत्पाद के संसाधन प्रयुक्त उपकरणों की बनावट सामग्री ग्रौर निर्माण Ħ. तथा ग्रपेक्षा निम्न प्रकार होगी:---

- (i) जो ऐसे उत्पाद का परीक्षण, पृथककरण श्रोर संसाधन के सुचारू, साफ और संतोषजनक रूप में करने में सहायता करें।
- (ji) वे पूर्ण सफाई और स्वच्छता को सूनिश्चित करने के लिए सभी भागों में ग्रासानी से पहुंच सकें। जहां तक व्यवहार्य होंगें सभी श्रौजार धातु से या अन्य ऐसी अप्रभावित सामग्री से बने होंगे जो रसायनिक किया या भौतिक सम्पर्क से उत्पाद को प्रभावित नहीं करें ।

2.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत नए ग्रांर पुनः माडल किए उपस्कर ग्रीर उसके स्थापित करने को छोड्कर स्थापित उपस्कर ऐसे उपस्कर के लिए श्रंगी-कुत रीति से उसे लागू स्वच्छता के मानकों को अनुपालन करेगा ।

2.3 नए या पुराने उपस्कर के बदले नए उपस्कर या मशीन (जिसमें बदला गया कोई भाग सम्मिलित है) जो किसी ग्रनमोदित प्लाट के परिसर में लाई गयी है उसमें द्रव्य माध्यम के 50 पीपी एम भार से अधिक सांद्रता वाली द्रव्य पोलीक्लोरीनेटिड बाईफिनाइल नहीं होगी। व्यवस्था दोनों खाद्य संसाधन और ऋखाद्य संसाधन उपस्कर और मशीनरी तथा ऐसे उपस्कर मणी-नरी के बदले में आए किसी भाग पर लागू होगी। पूर्ण रूप से घिरे हुए ऐसे संधारित जिनमें 3 पौण्ड पीसीयी से कम हो इस प्रतिषेध से मुक्त होंगे।

3 सामान्य संचालन प्रतिया

3.1 संचालन, जिसमें संसाधन, भंडारण ग्रीर ग्रंडा झिल्ली अवयवो तथा ग्रंडा उत्पादों की व्यवस्था अन्तीवष्ट

······ है, पूर्णतया सफाई व स्वच्छता के तरीकों का कक्षाई से पालन करते हुए किया जाएगा । प्रभिक्रिया, स्थरीकरण ग्रौर ग्रन्थ संसाधन इस भाग के अनुसार होनी चाहिए तथा वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्मोदित हो सभी संचालनों में संसाधन के तरीके और तापमान इस प्रकार होंगे कि वें ग्रंडा उत्पाद के विनाश को रोके।

3.2 ग्रनुमोदित प्लांटों में संसाधित झिल्ली अंडा श्रीर ग्रंडा उत्पादों का प्रत्येक संसाधन संचालन के दौरान स्थायी और लगातार निरीक्षण होगा। कोई भी झिल्ली श्रंडा या ग्रंडा उत्पाद जो उन विनियमों के ग्रनुसार संसा-धित न हो या जो मानवीय खाद्य के योग्य न हो उन्हें हटा कर ग्रलग किया जाएगा।

3.3 सभी हानि और ग्राखाद्य ग्रंडे या ग्रंडा उत्पाद को "ग्रखाद्य" लेबल श्रंकित श्राद्यान में रखा जाएगा तथा जिसमें पर्याप्त मात्रा में अन्मादित विकृतिकारक या लक्षणहीन कारक रखेहों, जैसे भूरा, नीला, काला य। गहरा रंग मांस कम श्रौर पेषण उपोत्पादन या कोई अन्य उत्पाद जो सक्षम प्राधिकारी ढारा श्रन्मोदित हो इसधारा का प्रयोजन पूरा करेगा।

झिल्ली अडा को तोड़ा जाएगा और उसके अंग को उत्पाद में ऐसी पर्याप्त मात्रा में निखेर दिया जाएगा जो उत्पाद को एक भिन्न रूप या गंध दे सके। पूर्ववर्ती के होते हुए भी ग्रीर सक्षम प्राधिकारी की ग्रनुमति से <mark>प्रोव</mark>ेटक खाद्य उत्पाद को "ग्रखाद्य" लेवल किए गए श्राद्यान में रख सकता है जिनमें विकृतिकारक नहीं रखा गया है यदि ऐसा ग्रखाद्य उत्पाद को अनुमोदित प्लांट से नौमरण के पहले विकृत या लक्षनहीन कर दिया है परन्तु यह कि ऐसा उत्पाद उचित रूप से पैक लेबल और पृथक किए गए हैं और उनके संबंध में नियंत्रण सूची बनाई गई है। इसके ग्रतिरिक्त इन्द्र-मोदित प्लांट से मौद्योगिक प्रयोग के लिए या पशु खाय के लिए भेजे गए उत्पाद को विकृतिकारक या सक्षण विहीन करना जरूरी नहीं है बणतें यह सरकारी सील के ब्रधीन नौभार किया गया है।

3.4 सक्षम प्राधिकारी सैंगनेला के लिए प्रयोगशाला परिणाम की प्राप्ति से पूर्व या किसी ग्राम कारण के जैसे कि ठोस वस्तुश्रों को लेबल करना, अनुमोदित प्लांट से श्रंडा उत्पादों को भेजने की अनुमति दे सकेगा, जब उनको यह संदेह नहीं हो कि इ.स. भाग के किसी व्ययस्था का अपालन हो रहा है। तथापि ऐसा नौभार ऐसी परिस्थितियों के संधीत होगा जो प्लांट में उत्पाद की बापसी, पुनः संसाधन, पुन: लेबल करने को, माझ्यस्त करें या ऐसी अन्य शर्तों के ब्रधीन हो जो सक्षम प्राधिकारी इस भाग की अनुपालन कराने के लिए निर्धारित करे।

[PART II-SEC. 3(ii)]

3.5 रिष्णुराइचिंग, स्थायीमाण या गुखा संसालन अंडा तोणने के पश्रिए यथा दोझ जम फरन, होशा जिनसे खरपाद जा बिनाश होने से रोका जा सके। यह अंधा उपतार के लिए अंडा तोडने दो सफेसी के भिल्ल हो जिंग गर्बरा रहित किया जाता है, के समय में अधिमालत: 72 वंटों के भोनर होना चाहिए ।

3.6 प्रत्येक व्यक्ति जो खुले या बिना पेक किए हुए अंडा उत्पाद या किसी औजार या ऐसे ग्राण्डान को जॉ अंडा उत्पाद के संपर्क में ग्रा स्पत्ता है सभाग करता है बह ग्रापने हाप धोएगा और उन्हें साफ रखेगा।

3 7 कोई उत्पाद या सामग्री जो आपक्तिजनक स्थिति उत्पन्त करती है. इंसाधित, नहीं की जाएगी या पर्न्ध ऐने कक्ष, तमरे या स्थान पर नहीं रखा जाएगा जहां क्षिल्लो अंडा या अंडा उत्पादन का संसानन भंडारण या संभान होगो है।

3.8 अनुभोदित प्लांट में केवल जीवाणु नाजी. कीट-नाशी साफ. करने वाले या नभी नाशीकारक या धूसरे ऐसे समतुल्य यौधिक, जो अंडा व अंडा उत्पादों पर हानिकर प्रभाव नहीं डालते और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनु-मोदित किया गया हो, का प्रयोग हो सकेगा । ऐसे यौगिका का प्रयोग सक्षम प्राधिकार के समाधान पर किया आएगा ।

3.9 कोई औजार और उपस्कर जो अंडा झिल्ली या अंडा उत्पाद के संसाधन के बौरान संदूषित हो गए हों, उन्हें प्रयोग न करने के लिए तुरन्त ही हटा दिया जान। चाहिए और उनका जब तक प्रयोग नहीं किया जाए जब तक बे साफ व स्वच्छ दणा में न हों।

3,10 अंडा उत्पाद के संसाधन के वौरान मिलाया गया कोई भी पदार्थ मानव खाद्य के लिए साफ, व उचित होगा या श्रवयब ।

3 11 जब उन्हें अंडा उत्पादों से भरा जाए तब अंडा उत्पादों की पैंकिंग या ग्राद्यान के स्वच्छ डिजाइन के तथा साफ होंगे तथा भरते समय प्रत्येक प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि किसी पैंकिंग या ग्राद्यान की सतह, जो ऐसे अंडा उत्पाद के सीघे संपर्श में हो ग्राती है या ग्राएगी, धूल या संदूषण से दूर रहे केवल नए ग्राद्यान ही या प्रयोग किए गए ऐसे ग्राद्यान जो साफ हो और ग्रच्छी स्थिति में हो और भीतरी उपयुक्त सतह वाले ग्राद्यान ही खाद्य उत्पाद की पेंकिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। पाइबर ग्राद्यान, जिनका प्रयोग बिना ग्रन्तर की सतह के हथा हो, समक्ष प्राधिकारों को ग्रनुमोदन अपेक्षित है।

3.12 परिष्कृत उत्पाद की स्वास्थ्य प्रदता निर्धारित करने के लिए अंडा उत्पादों का निरीक्षण किया जाएगा ।

3.13 अंडा उत्पाद का संसाधन ऐसी रीति में यह सुमिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उससे रक्त और गोक्त के धडवे, झिल्ली के कण और बाहरी वस्तु तुरन्त गूर हो। 3.14 जुआने वाले एकक, पाउडर बाहुक, छनना, भिथक, मशीनी शाउडर कूखरों के सिवाय संसाधन संचालनों हे प्रारंभ में औजार और उपस्कर साफ और स्वच्छ शुगि । सभी संसाधन संचालनों के शोरान उपस्कर और शुगि । सभी संसाधन संचालनों के शोरान उपस्कर और

3.15 अंश उत्पाद को उपशोकता के लिएं भेजने से पहले इस अध्याध के पैरा 28 के अनुसार पेश्चुराइज किया जाएगा सिवाय एसके कि बिना पेश्चुराइज किए ब्रव से तैयार सूबी अयेरो का इस अध्याय के पैरा 27 के अनुसार गरक किया जाएगा ।

- (i) पर्याध्त पेश्चुराइजेगन निश्चित करने के लिए विश्वास पूर्वक हो कि रोग उत्पन्न उत्पादन जीवाणु की उपस्थिति के लिए अंडा उत्पाद का नमून लेकर उसकी समोनेला की उपस्थिति के लिए जांच करायी जाएगी । सैमोनेला की उपस्थिति की जांच के लिए नमूना धध्याय II के अनुसार होगी और यदि उत्पाद में सेमोनेला पार्जिटिव पाया जाता है तो इसे पुनः संसाधित, पेश्चुराइज किया जाएगा और सेमोनेला की विश्वमानता के लिए विश्लेषण किया जाएगा या इसे विक्ठत कर दिया जाएगा ।
- (ii) बिना भेक्चुराइज या सैमोनेला पार्जिटिव अंडा उत्पाद की अनुमोदित प्लांट में भक्ष्चुराध्ज, पुनः भेक्चुराध्ज या ताप संसाधित किया जा सकता है बिना पेक्चुराध्ज या संमोनेला पार्जिटिव उत्पाद वाले श्राखानों पर अध्याय XIII के चित्र 3 में दर्शित चिन्ह से पहचान बनायी जाएगी ।

3.16 उत्पाद या उत्पाद संपर्क सतहों में आने वाले वायु बाहरो वायु स्त्रोतों के श्रनुमोदित फिल्टर से श्राएगी।

3,17 अनुभोदित प्लांट में सभी द्रव और टोस अपक्रिण्ट सामग्री उत्पाद को संदूषण से बचाने के लिए सक्षन प्राधि-कारी द्वारा अनुमोदित रोति में हटायी जाएगी और यह स्वी-कार्य पर्यावश्णीय संरक्षण पद्धतियों के अनुसार होगी ।

4 इत्रिम प्रकाश और प्रन्तरएा कक्ष सुविधाएं तथा उपस्कर

4.1 कमरे की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त रूप में ग्रान्धेरा किया जा सके और कृतिम प्रकाश के द्वारा होने वाली प्रखाख या अंडों की हानि को हटाने में निश्चितता हो । उपस्करों की व्यवस्था सफाईजनक हो और कचरे को तथा पैकिंग सामग्रो को हटाने में सहायक हो ।

4.2 फ.सं का निर्माण पुणंतया सफ.ाई करने में सहायक हो और फर्म पानी का प्रतिरोधी बनावट वाखा हो तथा इ.समें उचित निकास थी हो ।

4.3 अनुसोदित निकास व्यवस्थालगातार सीधे रूप में भाष, धुआं, गंध व धुल को कमरे से बाहर फैकने वासी हो। संचालन के बौरान कमरे का नाप यथोलित अग गें कर्भ करने योग्य शापमाम पर रखा जाना आहिए।

4.4 अन्मोदित प्रकार की उन्क्षिभ प्रकाश व्यवस्णा हो जो प्रकाश रखने वाले को हानि प्रयाद, यन्दशी या एक अंडे तथा मुर्गी के अंडों में भिन्न अंधों का पता लगाने में सहायक क्षी।

4.5 लोकर ट्रे ऐसी सामग्री धार ऐसे डिपाया की बनी होनी चाहिए जिससे सफाई व स्वच्छता ग्रामान हो यके।

4.6 खाख अंधों के लिए ऐसे आद्यानों को दिया जाना चाहिए जो ऐसी सामग्री और ऐसे डिजाइनों से बने हो कि उनसी सफाई सरलता से की जासके। सभी ऐसे आद्यानों पर स्पष्ट रूप से चिन्हांकन किया जाए ।

4.7 कमरे के लिए ऐसे आद्यानों को दिया जाता चाहिए जो ऐसी सामग्री और ऐसे डिजाइन में बने हों कि उनकी मफाई सरखता से की जा सके जब तक कि प्रति-दिन प्रयोजक साफ प्रादान न दिए जाएं।

अ. १ झिल्ली अंडा वाहक का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें पूर्ण रूप में साफ किया जा सके ।

प्रकाशीय और स्थानांसरण कक्ष का संजालन

5.1 प्रकाशीय और स्थानांतरण कक्षों और उपकरणों को स्वच्छ मकडी के जालों, धूल श्रापत्तिजनक दुर्गधों और श्रत्यधिक पैंकिंग सामग्री से मुक्त रखा जाएगा ।

5.2 अखाद्य अंडों के डिब्बों की प्रकाणय कक्षों से दूर रखा जाएगा यदि प्रायः आवण्यकता समझी जाए तो प्रतिदिन प्लांट को स्वच्छता से साफ किया जाएगा। प्लांट को ग्रापत्तिजनक दर्गधों से मुक्त रखा जाएं।

5.3 मंडों के छित्रकों को तोड़ने से पूर्व प्रेस्वेदन किया को कम करने की किन्हीं रोति का प्रबंध किया आएगा.

5.4 जब तक इस ग्रध्याय के 6.4 के अगीन प्रति-षिद्ध न किया गया हो व्यापक रूप में क्षतिप्रस्त छिलकों सहित ग्रंडों के छिलकों को छिद्र-ट्रे में स्थानांतरित किया जाएगा श्रौर तत्काल तोड़ा जाएगा।

 छांडा उत्पाद प्रक्रिया में प्रयुक्त छंडों के छिलकों का वर्गीकरण

6.1 अंडे जिलकों को सक्षम प्राधिकारी बारा अनु-मोदित रीति से निम्तलिखित प्रवर्गों में छप्राई और वर्गीकृत किया जाएगा :

- (i) इस भ्रष्टपाय के पैरा 6.4 में सूचीवड अंडे।
- (ii) गंदे ।
- (iii) छिद्र जैसालि इस ग्रध्याय के पैरा 6.3 (ii) में वर्णित है।

- (iv) मुर्गी का चुजा बत्तच, पीरू (पक्षी) गिनी. कुकुमट और हंतनी के प्रंडों से भिग्न घन्य ग्रंडे से ।
- (v) तोडन स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए अन्य समा-धानप्रद ग्रंडे ।

6.2 अंडे छिलकों में यदि अधिक दुर्गध पाई जाए पा अधिक दुर्गेध युक्त अंडे के प्राप्त किए जाने के नामले में स्त्रीकार्यता से निश्चित करने के लिए पृथक रूप से प्रका-णित श्रीर तोड़ा जाएगा ।

6.3 जब ग्रंडों के छिलकों को तोड़ने के लिए प्रस्तुत किया जाए तब खाद्य ग्रंतरीय गुणवता को सुरक्षित रखा जाएगा ग्रीर (छिलके ठीक रखे जाएगे) ग्रीर धूल ग्रीर उसके ग्रतिरिक्त बाहुय सामग्री से मुक्त होंगे।

- (i) यदि ग्रंडों के साथ ग्रंडों के छिलकों के हिस्सों में मिल जांए उसकी जांच की जाए कि दुर्गंध धूल ग्रीर बाह्य सामग्री से मुक्त है ग्रीर छिलकों की झिरुली न फटी हो ।
- (ii) साफ छिलकों वाले प्रंडे जो प्रकाशन ग्रीर/या स्थानांतरण में क्षतिग्रस्त हो गए हैं ग्रीर छिलके के हिस्से (छिलके) झिल्ली में जप्रप्राप्त मिल जाए तो उन्हें केवल तभी उपयोग में लाया आएगा जब जर्दी खंडित नहीं हुई हो ग्रीर ग्रंडों के पदार्थ छिलकों के बाहरी भाग में से नहीं रिसते है। इस प्रकार के ग्रंडों को छिद्र ट्रे में स्थानांतरित किया जाएगा ग्रीर तत्काल तोडा जाएगा।
- (iii) अपंडों के साथ मांस और खून के धब्बे लग जाएं तो यदि धब्बों को स्वीकार्य रीति से मिटा दिया जाता है तो प्रयोग में लाए जा सकते है।

6.4 सभी घटित और प्रखाद्य (अभोज्य) झड़ों का नाम निर्दिब्ट आद्यानों में स्थातांतरित किया जाएगा भौर इस घध्याय के 3.3 में , की अपेक्षानुसार प्रबंध किया जाएगा। अखाद्य और घटित अंडों के इस अध्याय और इन आद्यानों के 9.9 के प्रयोजन के लिए परिभाषित जैसे काले, रोप्स सहित, सफेद रोटस, मिश्रित रोटस, हरा सफेद एवं बयुम या पीता भाग (जरदी) कुचला पीला भाग (जग्दी) गजकारी पीला भाग भूण विकसित, फफूंवीदार अंडे, खट्टे घंडे और अंडों का अपमिश्रण के इस प्रकार की जतों द्वारा उस भाग में परिभाषित है और कोई अन्य गले सड़े और विघटित अंडे जिसमें निम्तलखित भी सम्मिलित है :--

- (i) आंडों में से मांस और खून के हटाने योग्य धब्बों
 ने भिन्न दुश्य बाह्य पदार्थी याला कोई श्रंडा ।
- (ii) छिलके के किसी भाग वाला और अखाद्य झिल्ली वाला अंडा और छिलके के बाह्य हिस्से के साय चिपका हुग्रा या छिलकों के वाह्य हिस्सों से अंडा मांस में स्पर्श होने वाल कोई अंडा ।

THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23. 1997/BHADRA 1, 1919

- (iii) छिलके में भिषमकी हुई धूल या बाह्य पदार्थ वाला बीर छिलके भीर छिलके की झिल्ली में दरार वाला कोई झंडा ।
- (iv) ग्रंडों के छिलकों के पात्रों (डिब्बों) ग्रौर छिद्र ट्रे से प्तराप्त तरल ग्रंडा ।
- (v) स्वच्छता प्रचालन में बनाए गए खुले छिद्र ।
- (vi) एसा कोंई झंडा जो यह साक्ष्य प्रदर्शित करता हो कि फैस से स्थानांतरण के पूर्व द्रांतर्वस्तु रिसती है या रिस रही है ।
- 6.5 उष्मायित झस्वीक्वत श्रंडों को श्रनुमोदित प्लांट में नहीं लाया आएगा ।
- 7. ग्रंडों में स्वच्छता संचालन ।

3938

- 7.1 जब धले अंडों के छिलकों को तोडने के लिए पेग किया जाए तो निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जाएगी ।
- (i) झंडों के छिलकों को साफ करने के ब्रोजारों (उपकरणों) को पूर्ण रूप से व्यवस्थिति स्थिति में रखा जाए । यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रत्येक दिन प्रयोग करने के बाद उनकी स्वच्छता मे सफाई की जाए ।
- (ii) साफ करने वाले पानी के ताप को 32 डिग्री सेल्सिंयम पर या अधिक पर सुनिश्चित किया जाए और जब अंडों को घोया जाए तो तापमान को कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस पर होना बाहिए । ये तापमान पूर्णस्प से सफाई के आवर्तन में सुनिश्चित रखा जाएगा ।
- (iii) घुले पानी के लिए एक स्वच्छतापूर्ण प्रनुमोदित कंपाउंड का प्रयोग किया जाए । विक्रय में कंपाउंड डिस्पैनसिंग के लिए भाप मापीय उपकरणों के प्रयोग ग्रौर सिफारिशें की गई हैं ।
- (iv) घुले पानी को लगभग प्रत्येक 4 घंटों के ग्रन्तराज पर बदल दिया जाएगा यदि प्रायः श्रावश्यकता समझी जाए तो प्रत्येक श्राखिरी शिफ्ट पर इसे स्वच्छता की स्थिति में रखा जाए । श्रंडे की धुलाई प्रचालन (संचालन) के दौरान उपचारा-रमक मापकों से श्रतिमात्रा में फेल करने से रोका जाएगा ।
- (v) प्रशीतित पानी को कमशः निरन्तर प्रतिस्थापन कर दिया जाए और वासर्श को लगातार प्रवाहित किया जाएगा । प्रभालन पानी और रसार्यानक स्वच्छ प्रकालन प्रतिस्थापन बदलने का प्रयोग होना बाहिए । आयोडिन शढता प्रक्षालन का प्रयोग पानी के प्रतिस्थापन में नहीं किया जाना चाहिए ।

- (vi) अंडे की धुलाई (प्रचालन) संचालन से निकलने बासे पानी को सीधे निकासी से निकाथा जाएगा।
- (7) धुलाई संचालन को निरंतर किया जाएगा और जहां तक संभव हो संचालन को शीध्रता मे पूर्ण किया जाएगा। ग्रंडों को खड़ा करना या पानी में भिगोना स्वीकार्य नहीं होगा। निमञ्जन किस्म के वार्षत का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- (8) अंडे के छिलकों को धुलाई करने के पूर्व उनको गीला करने से पहले छंडों के ऊपर गण सम्पन्न पानी के लगातार बहाव द्वारा ऐसी रीति से छिड़काव किया जाए जो पानी को बाहर निकलने की अनुमति देती है या ऐसे संयत्नों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए। पानी का तापमान वहीं होगा जो इस अध्याय में निहित है ।
- (9) धुले ग्रंडों का प्रक्षालन छिकाव अनुमानित स्वच्छतापूर्ण स्थिति के साथ 100 पीपीएम से कम न किया जाए ग्रीरना ही 200 पीपीएम के ग्रधिक रसायनिक का, ग्रार्था इसके समत्त्य;

7.2 ग्रंडों को तोड़ने वाले कक्ष में न धोया जाएना या किसीकक्ष में जहां खाध उत्पाद की प्रक्रिया की जाए।

7.3 अंडे तोड़ते समय छिलकों को पर्याप्त रूप में मुखाया जाए श्रौर संदूषण से रोकने के लिए या तरल अंडे उत्पाद के ग्रंपमिश्रण से छिलके की नमी से मुक्त (दर) रखने के लिए।

8 तोड़ने वाली नक्ष (कमरों) की सुविधाए

8.1 तोड़ने वाले सभी कक्ष के कार्य सतह से प्रकाश को लगभग 30 फुट से बरावर रखा जाएगा इसके सिवाय यह प्रकाश तोव या तोड़ने वाले श्रौर निरीक्षण स्थान से कम से कन 50 फुट की दूरीपर रखा जाए। प्रकाश समुचित सुरक्षा गिस दूरी से संरक्षित होगी।

8.2 छतों श्रीर दीवारों की सतह को चिकनी श्रौर पानी रोक्षक सामग्री से बनाया जाएगा।

8.3 सतह की संरचना जलरोधक से की जाएगी और सतह की टूटी हुई और रारदरो से रहित होगी। दीवार के म्रंतरीय भागकी जगह से गंदे पानी की पर्याप्त निकासी के लिए नाली बनाई जान: चाहिए।

8,4 वायु आगमन के लिए व्यवस्था करना ।

- (1) पूर्णकक्ष में बाहय वायु ग्राने के लिए उपयुक्त छिद्रों की व्यवस्था।
- (2) संचालन प्रक्रिया के रामय हवा का उचित तापमान ।

8.5 व्यक्तिगत तौर पर सभी ग्रंडां का तोड़ने आसे कर्मियों के लिए पर्याप्त माता में हाथ धोने के लिए ग्रामान ष सुगम सुविधाएं होंगी । गर्म पानी की पर्याप्त व्यवस्था, म्घच्छ तौलिए या हाथ मुखाने के लिए अन्य सुविधाएं, वुगंन्ध रहित साबुन, काम मैं आने वाले तौलिए, डिब्बों की व्यवस्था होगी । हाथ धोने के लिए हस्सांतरित नियंत्रण से भिन्न द्वारा स्थवालित सुविधा होगी ।

8.6 ग्रंडे उत्पाद पैकिंग के लिए डिव्बे तरल ग्रंडे दाल्टियों के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

8.7 डिव्वों में सेएक उचित पहचान प्रदत्तकी जाए कि ग्रस्वीकार्य तरल व्ययन केलिए है।

8.8 छिलकों के हिस्सों भीर बाह्य सामग्री को प्रभावी तौर से हटाने के लिए श्रनुमोदित संरचना की छलनी, फिल्टर श्रयवा अपकेन्द्रीय निर्मल कर्मियों की ब्यवस्था की जाएगी जब तक कि अन्य यांत्रिक डिवाइसेंस के लिए सक्षम प्राधि-कारी से विशेव अनुमोदिन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

8.9 तरल अंडे उत्पाद पैकिंग के लिए, सिवाय स्वतः बंद पैकिंग प्रणाली के छलती, क्रुत और पूर्ण हवायार किस्म के भषक कक्ष की व्ययस्था की जाएगी।

9 तोड़ने वाले कक्ष का संचलन

9.1 तोड़ने वाले कक्ष को धूल से मुक्त स्वच्छता की दशा में ग्रौर मक्खियों कीट ग्रौर कृतकों से मुक्त रखा जाएगा। तोड़ने वाले कक्ष की फर्श के संचालन को समय पूर्णतया स्वच्छता से साफ ग्रौर सुखाया जाएगा। तथा ग्रंडा, मांस ग्रौर छिलकों से रहित रखा जाएगा।

9.2 सभी तोड़ने वाले कक्ष के कर्मियों को ग्रपने हाथों को दुर्गंध मुक्त साबुन से प्रन्येक समय तोड़ने वाले कक्ष में प्रवेण से पूर्व ग्रच्छी तरह से साफ करेंगे ग्रौर ग्रखाद्य ग्रंधों को तोड़ने के वाद साफ उपकरणों को प्रयोग में लाने से पूर्व साफ करेंगे।

9,3 कागज तौलिया भ्रथवा टिसूज को तोड़ने वाली मेज पर प्रयोग किया जाएगा म्रौर इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। कपड़े के तौलिए की म्रनुमति नहीं दी गई है।

9.4 तोड़ने वाले जव भी कार्य प्रारंभ किया आए श्रीर भोजनावकाश के बाद स्वच्छ उपकरण श्रौजार पूर्ण सेट का प्रयोग करेंगे। सभी मेजों केउपकरणों को प्रत्येक 2.5 घंटों में स्वच्छकर बारी-बारी से प्रयोग किया आएगा।

9.5 प्यालों को श्रत्यधिक मात्रा में नहीं भरा जाएगा। 9.6 प्रत्येक श्रंडे के छिलकों को संतोषजनक ढंग से भीर स्वच्छता के माध्यमों से श्रीर दुर्गन्ध का निरीक्षण करके श्रंडे मास का परीक्षण कर समयबद्ध दगा में तोडा 2007 GI/97—4 जाएगा। सक्षम प्राधिकारी दारा अन्यथा अनुमोदित के अलावा सभी ग्रंडा मांस का, टैंक या चूर्ण में खाली किए जाने के पूर्व इस. प्रकार के कार्यों को साफ करने के लिए प्रहित किसी व्यक्ति ढारा पुनः निरीक्षण किया जाएगा। 9.7 अंडों के दिखकों में मांस और खुन के धब्बों और अन्य बाह्य मामग्रो कप. ट्रे में लग जाए तो उन्हें चम्मच से हटाया जायेगा या अन्य अनुरोदित उपकरणों से हटाया जाएगा।

9.8 जब भी ग्रयाद अंडे तोड़े आीं प्रभावित तोड़ने बाले उपकरणों को स्वच्छता के साथ साप किया जाएगा।

9.9 ग्रखाद और घटित अंडों को इस ग्रथ्याय के 6 से परिभाषा दी गई है, लागुहोगी।

9.10 किसी भी प्याले के पदार्थ या अन्य तरल अंडों के पात्र जिसमें एक या श्रात्यधिक श्रखाद्य या घटित अंडे हों, को निकाल दिया जाएगा।

9.11 अंतवंस्तु को जब भी द्रिप, ट्रे में खाली किया जाए तो उसे सावधानीप्यंक तरल रूप में दुगंन्ध रहिन कर प्रवाहित किया जाए। द्रिप ट्रे प्रत्येक 15 दर्जन अंडों के लिए कम से कम एक बार प्रत्येक 15 मिनट में खाली किया जायेगा।

9.12 जैसाकि खाद्य अंधों (छिट्रों के संबध इस अध्याय के (2) 6.3 परिभाषा दी गई है तथा तोड़ने वाली मसीन का संचालन विषये रूप से प्रशिक्षित कार्मिक ढारा किसी पृथक स्थान पर किया जायगा।

9.13 अंडे उत्पाद प्रतिया में ग्रवक्ष्य और ग्रवक्षेषों का अयोग स्वच्छता के तरीके से संचालित कियाजायेगा।

9.14 तरल अंडों के डिब्बों को प्रकाणमय कमरे से नहीं गुजारा जाना चाहिए।

9,15 परीक्षण उपकरणों के किए की व्यवस्था की जायेगी और उसका प्रयोग स्वच्छता धोल की णक्ति निर्धारण करने के लिये किया जायेगा।

9,16 ਇਹ ट्रेंको प्रत्येक ग्राखिरी णिपट के बाद स्वभ्रतना से साफ किया जाय जव कभी भी छिद्र ट्रें गंदी हो ।

9.17 अंडों के फिलकों के डिब्बों में जब भी गंदगी हो तो उन्हें सुखाकर एवं स्वच्छता के साथ साफ किया जाये तथा प्रत्यक ग्राखिरी पारी के बाद स्वच्छता से साप, किया जायेगा।

9.18 बेल्ट किस्म अंडों का बाद्य पट्टा जब भी गंदा हो तो उसे लगभग 4 घंटों के धौरान स्वच्छता से साफ किया जायेगा तथा प्रचालन के समय पूर्ण रूप से माफ किया जायेगा जब वाहक पट्टा प्रयोग में लायान जाये तो उसे उ.ंचाकर हवा में सुखाया आयेगा। 9.19 कप, ट्रे. चाकू, रेकों, विभागीय ट्रे, चम्ममों तरल अंधों, रलास एवं ग्रन्थ तोड़ने वाले उपकरण यांत्रिक, अंडे तोड्ने वाले उपकरण के ग्रलावा सभी उपकरणों को प्रत्येक 2.5 धंटे में स्वच्छता से साप, किया जायेगा, यह उपकरण प्रत्येक ग्राखिरी पारी के बाद स्वथ्छता के साथ साफ, करने के बाद ही प्रयोग मे लाया जायेगा।

9.20 पात (बर्तनों) और खंडित उपकरणों को जलोत्सारित किया जायेगा और द्यनुमोदित स्वतः जल बहाने वाली धातृ की रेकों पर हवा में सुखाया आयेगा और पीडित रूपमें नहीं रखा जाएगा।

9.21 डम्प टेंकों, टेकों और संथन दोल को लगभग प्रत्येक 84 घंटो में साफ, किया जायेगा, सभी इस प्रकार के उपकरणों और सभी अन्य तरल उपकरणों की व्यवस्था एवं स्वच्छता नियमिता से की जायेगी तथा पृथवीकरण उपकरणों को प्रत्येक ग्राखिरी पारी के बाद साफ किया जायेगा। पसरोइजेशन उपकरण प्रत्येक दिन आखिरीपारी के बाद साफ किया जाएंगे इस प्रकार के सभी उपकरणों प्रथमत: स्वच्छता से साफ, करने के पण्चात ही प्रयोग में साया जाएगा।

9.22 छलनी, निर्गलीकरण, छलना और छिलका के हिस्सों और ग्रन्थ बाख्य मामग्री के हटाने के लिये प्रत्येक में लाये गये ग्रन्थ उपायों को प्रत्येक समय स्वच्छता से साफ, किया जायगा। यदि इस प्रकार के अपकरणों को बदलना ग्रावश्यक समझा जाये तो परीक्षण के 4 घंटों के अंतराल के दौरान बदला जाये।

9.23 तोखने वाले कक्ष के प्रत्निय।त्मिक उपकरणों का भंडारण पर्हा पर नहीं किया जायेगा।

9,24 धातु के डिब्बों और गुष्क उत्पादों दक्कनों को, से भिन्न के लिये पूर्णतः साप किया जायेगा और स्वच्छता से प्रदूषण मुक्त किया जायेगा तथा भरने से पूर्व श्रीव्रता से जलोत्मारित किया जायगा। यदि लिखित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्रनुमोदित समान प्रभावकारी उपायों का पालन यह श्राध्यस्त करने के लिये किया जाता है कि भरने के समय टिब्बे स्वच्छता से साफ किये जाते है तो उपरोक्त अन्यम की श्राव्यय्यक्ता नहीं होगी।

9.25 तरल श्रंडो का भंडारण, डिख्वों (टेंक ग्रौर ट्रकों सहित) सफाई से मुक्त करके परिवहन के काम में लाया जायेगा, इस प्रकार के उपकरण को प्रयोग में लाये जाने के पूर्व तत्काल माफ किया जायेगा तथा स्वास्थ्यप्रद किया जायेगा।

9.26 प्रत्येक ग्राखिरी पारी के बाद मेज, छिलका वाहक ग्रौर ग्रखाद्य ग्रंडे उत्पाद के डिब्बों को साम किया जायेगा। 9.27 यांझिक श्रंडे तोंड़ने वाली संशोन का संचालन पूर्णसया नियंद्रण श्रौर उचित निरीक्षण के हिसाब में चलाया जायेगा श्रौर त्रखाद्य श्रंडों का श्रौर सभी घाटे से विख्यास दिलाया जाये के लिये प्रत्यक श्रंडे का प्रथकरण किया जायेगा। संशीन का संचालन स्वच्छता पूर्ण ढंग से किया जायेगा।

- (1) जब अखाध अंडे यांत्रिक अंडों से मिल जाये तब पृथक करने वाले उपकरणों से अखाध अंडों और संद्रवित तत्व को हटा दिया जायेगा, मशीन को दोषमुक्त करने प्रथवा स्वच्छता से साफ किया जायेगा, अथवा सभी मशीनों के हिस्सों को साफ कर अखाद्य अंडों को तोड़ने वाली मशीन से उचित माध्यम से हटा दिया जाये।
- (2) तरल ग्रंडों के पंप चालन की प्रणाली सीघे तोलने वाली मशीन से अनुमोदित स्वच्छता डिजाइन से बनाई जाये जय प्रायाद्य ग्रंडों में मिल जाये तब नमूने द्वारा बनी नाली को बंद कर देना चाहिये तथा पंप चालन प्रणाली प्रत्येक ग्राखिरी पारी के बाद स्वच्छता से साफ किया जाये तथा प्रन्य पंप चालन प्रणाली के उपकरणों को स्वच्छता की द्राटि मे 4 घंटों के ग्रंतराल पर स्वच्छता से साफ किया जायेगा, सभी तरल ग्रंडों को तोड़ने वाली मशीन का पुनः निरीक्षण किया जायेगा। सिवाय इसके जो ग्रन्थया सक्षम प्राधिकार ढारा विहित ग्रीर ग्रन्योदित किये जायें।
- (3) यांत्रिक ग्रंडों को तोड़ने वाले उपकरण को प्रयोग करने से पूर्व स्वच्छता से साफ किया जायेगा श्रीर संचालन के दौरान उपकरण को लगभग प्रत्येक 4 घंटों के श्रंतराल उनकी स्वास्थ्यप्रद दशा बनाये रखने के लिये स्वच्छता से साफ किया जायेगा, श्रीर यह यंक्ष (उपकरण) प्रश्येक श्राखिरी पारी के बादमाफ किया जायेगा।

10. तरल अंडों का प्रशीतन

10.1 तरल श्रंडों का भंडारण कक्षों, कृलरों की सतह सहित घौर भंडारण टेंक कक्षों को भ्रापतिजनक दुर्गन्धों एवं धरीभूत करने से मुक्त एव साफ रखा जायेगा। जब भी कूलरों की सतह को तरल भंडारण के प्रयोग में लाया जाये तो तरल उत्पाद ढ़का होगा, तरलता प्रशीतन इकाइयां धनुमोदित संरचना की होगी और इस ग्रध्याय में निर्दिष्ट सभी तरल ग्रंडों को तापीय प्रपेक्षाओं से बचाने के लिये प्रशीतित सामग्री पर्याप्त क्षमता रखेगी।

10.2 तरले ग्रंडों को लागू होने वाली तापीय श्रपेक्षाग्रों का ग्रनुपालन एवं केवल सभी समाधान के रूप में समझा जायेगा, यदि तरल ग्रंडे पूर्णजनसाधारण की गत्रप्रयकता को पूरा करते हैं। 10.3 तरल अंडा उत्पाद के लिये प्रशीसन और तापीय अपेक्षाएं वेहोंगी जो इस अध्याय की सारणी-1 में विनिदिष्ट है।

10.4 लिखित आवेदन पर और ऐसी सतेँ के श्रधीन जोसक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित अन्यथा ऐसी तरल प्रशीतन श्रौर तापीय भंडारण की इस अध्याय में श्रन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है, अनुमोदित की जायेगी।

10.5 द्रव्यों (पदार्थों) को मिलाने वाले यंत्र का संचालन ऐसी रीति से किया जायेगा जिससे फेल कमहो।

10.6 जब बर्फ का प्रयोग किसी असामान्य परि-स्थितियों में प्रशीतन के लिये किया जाये तो सीधे संयंतों के स्थान में किया जाये तथा वर्फ का स्रोत जो खाद्य प्रसंस्काय के लिये सुरक्षित तथा यथोचित के लिये सक्षम प्राधिकारी के स्वीकार्य राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी या म्रन्य ग्रभिकरण या प्रयोगशाला द्वारा भ्रनुमोदित स्थानीय या राज्य स्थास्थ्य बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

11. तरल ग्रंडों का रख-रखाव

11.1 तरन श्रंडों के लिये रख-रखाव के लिये प्रयोग की रूपरेखा टेंकों श्रौर नालों की संरचना ग्रनुमोवित होंगी श्रौर ढक्कनों से फिट श्रौर स्वच्छता की स्थिति के कमरों में उपलब्ध होगी, जो पूर्ववर्ती के होते हुए श्रंकों के श्राकार के लिये व्यवस्थापन कक्ष या भवन के बाहर की तरफ इसके लिये स्वीकार्य है, श्रौर टेंकों की परीक्षण कक्ष से हटाकर खोला जाये।

11.2 तरल ग्रंडे का रख रखाव टेंकों या नादों की यथोचित थर्मामीटरों श्रौर हिलाने के यंत्रों से सज्जित रखा जायेगा।

11.3 रख-रखाव के टेंकों या वर्तनों की ग्रतिमान्ना में फैनन से रोका जायेगा।

11.4 यदि गैस केप्स को प्रयोग में लाया जाये तो बह पूर्ण से स्वच्छता युक्स हो।

12 प्रशीतन युक्त सुविधायें

12.1 प्रशीतन युक्त कक्ष या को चालू या बंद के के परिसर सभी तरह के श्रंडों के उत्पाद के लिये हिम-शीतन क्षमता जो इस ग्रध्याय के 13 में दी गई है। अपेक्षाश्रों के ग्रनुसार होगी, बंद परिसर प्रशीतन संविधाएं केवल तभी ग्रनुझात है जब सुक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्व ग्रनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

12.2 सभी हिमशीतन कक्षों में यथोचित हवा की ज्यवस्था की जाएगी। 13 प्रशीतन संचालन

13.1 प्रशीतन कक्षों की साफ और ग्रापत्तिजनक दुर्गन्धों से मुक्त रखा जायगा।

- 13.2 अप्रिमाण
- (1) श्रव पेस्चुराइज्ड अंखे उत्पाद जिसे जमाया जाता हो उसे दोस रूप में जमाया जायेगा और बोढ़ने के समय से ७० घंटों के अंदर ताप-12 डिग्री सेल्यिस या उससे कम किया जायेगा।
- (2) पेस्चुराइज्ड अंडे के उत्पाद जिसे जमाया जाता हो उसे टोस रूप में जमाया जायगा या पेस्चुराइ जेशन के समय से 60 घंटों के भीतर ताप 12 डिग्री सेल्यिस या उसने कम किया जायेगा।
- (3) जिस उत्पाद का ताप टोग प्रश्नीतन में न हो उसे इस अध्याय की अनुपालनजा के निर्धारण करने के लिय डिब्बों में केन्द्र पर लेजाया जायेगा।

13,3 डिब्बों को ढेर में रखा जायेगा ताकि वे चारों तरफ की हवा के प्रवाह को सहन कर सके।

13.4 तरल अंडे के डिब्बे केवाहर की नरफ सेसाफ. और तरल अंडे के साक्ष्य से सुक्त होंगे।

13.5 प्रसीतित अंडे के उत्पाद की प्रशीतन के बाद यह निर्धारित करने के लिये कि ये अंडे मानव खाद्य योग्य है आरगरानेलिभिटिक परीक्षण ढारा जांच की जायेगी, यदि इस प्रकार का उत्पाद जाम मानव खाद्य है योग्य न हो तो अश्राक्वतिक होगा और इस पर ऑफ्वारिक पहचान चिन्ह जोकि किसी डिब्बे पर लगा हो, ऐसे डिब्बों को हटाया जायेगा या पूर्णतः हटाया जायेगा या पूर्णतः नष्ट कर दिया जायेगा।

14. अप्रशोतन स्विधाये

14.1 द्राद सीतप टेकों एवं वर्तनों की संरचन ब्रानु्मोदित धातु से की जायेगी ताकि पर्णतः स्वच्छत। क) प्रबंध सुनिषिचत किया जासके।

14.2 प्रशीतन अंडे तोड़ने वाला यल जब प्रयोग में लाया जाये तो यह प्रनुमोदित धात्विक सरचना का होगा जो तोड्ने वाला यंत्र पुर्णतः स्वच्छ होगा और जब धारक और द्रब्य बनाई जाये तो उन्हे उचित माध्यम से सदूषित होने से रोका जायेगा।

14 3 काम करने वाली मेजों को श्रनुगोदित धान्त्विक संरचना से बनाया जायेगा तथा इनकी सतह को मुलायम एवं पूर्णतः :स्यच्छ की जाने योग्य होगी।

15. प्रशीतन प्रचालन

15.1 प्रशीतन अंधे उत्पाद जिन्हे अप्रजीतन किया जाता हो उन्हें किसी स्वास्थ्यप्रद नरीके से अप्रशीतन किया जायेगा । 3942 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919 [PART II—SEC. 3(ii)]

15.2 अप्रशीतन अंधे के प्रत्येक डिब्बे की प्रवेश टैंक में खाली करने सें पूर्य जांच की जाएगी कि डिक्बे दुर्गन्धित न हो, अप्रशीतन अंधे को आपत्तिजनक दुर्गन्धों से मुक्त और मानव उपयोग के योग्य न हो तो इन्हें अप्राक्ततिक (भ्राष्ट) किया जाए, जैसे खटटे. दुर्गन्धता पूर्ण, पर्प्रदीदार या सड़ने की द्रगंन्ध आदि !

15.3 सूखी के उत्पाद के प्रयोग किये जाने वाली जमी हुई सपेरी को कमरे के तापमान में पिषलाया जा सकता है, ग्रन्थ सभी सपेदी इस घ्रध्याय के पैरा 15.4 के ग्रनुमार पिषलाई जासकेगी।

15.4 जमे हुए संपक्षणं अंडे की सपे.दी और पित्रला हुआ काग और पीला काग नष्ट कर दिया जाए या कुछ पिषलाया जाए जो कि कमरे के प्रापमान में 48 घंट में प्राधिक न रखा गया हो इसका कक्ष का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस में प्रधिक न हो परन्तु यह कि पिषले हुए तरल का कोई भी भाग बर्तन में या इसके बाहर 10 डिग्री सेल्सियस से ग्राधिक नहीं होगा।

(i) धानु के बर्तन में पैक किए गए जमे हुए अंधों को बिना निभज्जन के ठडे नल के चलते पानी में रखा जा सकेगा।

15.5 बतंनों के उटाने और अंडे उत्पाद को हटाने के लिये स्वच्छता के तरीकों का प्रयोग किया जायगा।

15.6 पिथलाने की प्रक्रिया में प्रयोग किए गए दलित श्रीर ग्रन्य यंत्र प्रत्येक पारी के बाद खंडित कर दिए जाएंगें ग्रीर स्वच्छता से साफ किए जाएंगें;

- (1) जहां दलित कुछ अतराल पर प्रयोग में लाए जाते हैं ये हमेशा प्रत्येक प्रयोग के उपरांत श्रौर पुनः प्रयोग के लिए ग्राने के पूर्व साफ किए जाएंगें;
- (2) फशं ग्रौर काम करने वाला मेज साफ रखा जाएगा।
- 16. छिड्काथ की किया सुखाने की सुविधाएं

16.1 सुखाने वाले यंत्र निरंतर छिड़काष वाले होंगें ग्रौर इसकी संरचना ऐसी होनी भाहिए कि इसमें ज्यादा पाउडर जमा न हो सके ।

16.2 सुखाने वाले यंतों की संरचना अनुमोदित सामग्री से बनी होनी चाहिए इसके ब्लेड तेज हों ग्रीर इसका सतह समानांतर और सफाई युक्त हो । 16.3 मुखाने वाले यंत्र हवादार अनुमोदित फिल्टर से सज्जित होगें;

16.4 सुखाने वाले यंत्रों में हवा के स्रोत गंदी, गध, धूल और गंदगी से मुक्त स्रोतों की होगी;

16.5 ग्रप्रत्यक्ष गर्मी या किसी ग्रनुमोदित मिलावट के साधन का प्रयोग या प्रत्यक्ष ग्राग की इकाइयों के पूर्ध दहनशील श्रन्य ग्रनुमोदित साधनों के लिए ग्रावश्यक यदि किसी पूर्य मिश्रण प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाए तो यह ड्लोवर की श्रोर से स्वीक्वत हवा की छलनी से युक्त होनी चाहिए ।

16.6 उच्च सापमान के पंप हड और लाइन लैस स्टील के होने चाहिए इसकी संरचना स्टैनलैस स्टील की या इसके समकक्ष होनी चाहिए जिससे कि सफाई उचिन प्रकार हो सके।

16.7 यदि प्रीहिटिंग इकाई को प्रयोग में लाया जाए सो उसकी संरचना स्टैनलैस स्टील या समतुल्य से की जाए जिमे पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए।

16.8 पाउडर फेंकने वाले यन्स्रों की संरचना ऐसी होनीचाहिए जिसे कि पूर्णरूप सेसाफ किया जा सके।

16.9 छलनी अनुमोदित धातु को बनी हो या धातु की लाइनिंग को, छलनी का पर्दा तथा प्रेम की संरचना अनुमोदित धातु की हो, जिससे कि सूखे हुए अण्डों का बहुत सा भाग या ढेर जब छलनी का कार्य कर रही हो सो लगातार हटाया जा सके।

17. छिड्काव प्रक्रिय। मुखाने की किया

17.1 सुखाने का कमरा स्वच्छतापूर्ण स्थितियों में रखा जाना चाहिए ग्रौर मक्खी कीटों ग्रौर क्रुतस्कों से मुक्त होगा।

17.2 (1) छिड़काव की सूती, हिंद कोर या घ।इ-जरज, सुखाने की प्रत्रिया की समाप्ति के तत्काल वाद साफ कर दिए आएंगें;

कम दाब लाइन, उच्च दाब लाइन, उच्च ग्रोर कम दाब लाइन, उच्च ग्रौर कम दाब के पम्पों, होमोजका-इजरों श्रौर पेस्चुराइजरों को, जब उनका संचालन बन्द कर दिया जाता है, जैसा ग्रावश्यक हो स्वीकार्य इनसेट सफाई के तरीकों से साफ किया जाएगा या प्रयोग के पश्चात खांण्डित कर दिया जाएगा या साफ कर दिया आएगा । _____

(2) दोबारा संचालन के पूर्व यन्त्रे 2 घण्टे के श्रन्तराल पर साफ किए जाएं।

17.3 सुखाने वाली इकाइयां वाहक छलनी श्रीर पैंकिंग प्रणासी, तभी साफ की जामी चाहिए जब गीला पाउडर डाला जाए या अब ऐसे ग्रन्थ हालात हों जो उत्पाद पर विपरीत प्रभाव डाले पूर्ण सुखाने वाले इकाई छलनी जिसमें छलनी वाहक श्रीर पाउडर कूलर भी है, को या तो गीला ही साफ किया जाएगा या सूखा साफ किंया जाएगा, पूर्ण सुखाने वाली इकाई की गीली धुलाई श्रौर सूखी सफाई करना दोनों का मिश्रण तब तक ग्रनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि वह साफ किए जाने वाली इकाई मे बिल्कुल ग्रलग न हो गया हो।

(1) सूखे हुए सफोद से भिक्ष के लिए प्रयोग में लाई गयी छलनी तथा बाहक को पाउडर से साफ किया जाना चाहिए जब यह यन्त्र 24 धण्टे में ग्रधिक ग्रवधि तक प्रयोग में नहीं लाया जाता हो।

(2)क्लेक्टर बैंगज जब भी ग्रायश्यक हों साफ किए जाने चाहिएं, जिससे कि उनको स्वीकार्य साफ स्थिति में रखा जा सके।

17.4 पाउडर को छाना जाएगा झौर स्क्रीन को, जब यह फट गयी होतो उसे वदल दिया जाएगा।

17.5 सूखे अण्डे के जमा हुए भाग या सूखे अण्डों की डलियां छलनी की स्क्रीन से निरन्तर साफ की जाऐगी।

17.6 पतन, बरमा, उच्च दाब लाइन ग्रादि ग्रासपास सुखाने वाले स्थान के सभी फैले भाग, सुखाने की प्रक्रियाओं के समय जहां तक सम्भव हो। वन्द कर दिए जाएंगे जिससे कि बिना छनी हुई हवा ग्रन्दर प्रवेग न कर सके।

17.7 सुखाने वाली इकाइयों का खुला भाग सिवाय जब सुखाने वाली इकाई पाउडर घुलाई ग्रौर गीली घुलाई से पूर्णतः खाली हो जाने पर सुखाने वाले यन्स प्रयोग में न हों तो यह बन्द कर दिया जाएगा। यह खुले भाग तक ही सीमित नहीं हैं बरिक हवा का ग्रागमन ग्रौर निकासी तूती के खुलने, पतन, बरमा ग्रादि भी इसमें सम्मिलित हैं।

- पाउडर के छिड़काव की प्रक्रिया, परिभाषा ग्रीर ग्रावश्यकत।एं
- 18.1 उत्पाद की परिभाषा
- (1) "प्राथमिक पाउडर" वह पाउडर है जो कि सुखाने की इकाई की प्रक्रिया के समय प्राथमिक या मुख्य सुखाने वाले चैम्बर में निरन्तर हटाया जाए।

(2) सैकेण्डर पाउडर, वह पाउडर है जो कि सुखाने की इकार्ड की प्रक्रिया के समय सैकेण्डरी चैम्बर/ या बैंग कलेक्टर चैम्बर से मन्द्रवत छोर तिर-न्तर हटाए जाएं।

- (3) "झाड़ने वाला पाउडर" वह पाउडर है जो कि युश-डाउन प्रक्रिया के समय प्राथमिक या सैंकेण्डरी चैम्बर और वाहन में पाया जाता है।
- (4) ''कुण बैंगपाउडर'' वह पाउडर है जो कि क्ले-क्टर बैंग से बुण किया जाए।

18.2 सकेण्डरी पाउडर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रगली सेनिरन्तर फेंका जाएगा ग्रीर प्राथमिक पाउडर के साथ एजेंसियों में मिनाया जाएगा।

18.3 खाद्य अण्डों के सूखे उत्पाद सूखे अंकों महित जो कि ऐसे सूखे उत्पादों में मिनाया जाए परन्तु यह तब जब यह मिलावट एसे किसी कक्ष में की जाती है जो इस अध्याय के 21 में दिया गया है या एक बन्द मिश्रण प्रणाली द्वारा और माफ एवम स्वच्छ कर्य प्रणाली से आर ऐसी प्रक्रिया में जो मझम प्राधिकांगे द्वारा विहित की जाए ।

18.4 किसी भी खाद्य सूखे अण्डों का पाउडर पुनः गठिन, पुनः निर्जीवीकरण और पुनः सुखाकर साफ किया जा सकेगा, जब वह किसी साफ स्वच्छ रीति से सम्पन्न को जाती है और ऐसी प्रक्रियाओं के अनुसार जो सक्षम प्राधि-कारी द्वारा विहित की जाए।

18.5 झाड़न पर्दो और जुग वैंग सूखी सकेदी मे क्रुग बैंग के लिए के सिवाए और प्रनुचित रून से सूखे या दुग्ध पाउडर से प्राप्त किया गया खाद्य सूखे प्रण्डों के पाउडर का पुनः गठन, पुनः निर्जीवीकरण और पुनः सूखाकरन किया जा सकेगा।

18.6 प्रत्येक अन्तराल के समग्र लगभग पट्टा और ब्रन्तिम मुखाने वाली इकाइयों से ब्रनुचित रूप से मुखाने या दग्ध पाउडर की जांच की जाएगी।

19. सफेदी सुखाने की मुविधाओं की प्रक्रिया

19.1 सुखाने की सुविधाएं इस प्रकार की हों कि जिससे पूर्ण सफाई हो सके और यह अनुमोदित फिल्टरों के यन्त्र से युक्त होंगी।

19.2 ग्रन्थर जाने वाली हुवा के स्त्रोत, धूल और गन्दगी से मुक्त होंगें।

19.3 यदि पूर्व मिश्रित प्रकार की भट्टियां प्रयोग की जासी हों सो यह अनुमोदित हवा के फिल्टरों से युक्त होंगी। 19.4 किंव्वन टैंकों, सुखाने के वर्तनों या बेल्टस छीलने वाला क्यूरिंग रैकों और सूत्री सफेदी के मूर्ण करने से तसले के लिए प्रयोग किए गए उपकरण किसी ऐसे तरीके की अनुमोदित सामग्री के बने होंगें जो सफाई के लिए योग्य होगी।

19.5 बदलने वाले स्यीनों की संरचना ग्रनुसोदित सामग्री द्वारा की जाएगी तथा इस प्रकार के उपारुरण पूर्णतः स्वच्छ होंगे और एत्यूमयून किस्म के उत्पादों के निर्दिष्टिकरण के ग्रनुसार होगा।

20 एल्यूमन फ्लैक प्रक्रिया सुखाने का संचालन

20.1 किष्यन सुखाने और क्यूरिंग कक्ष को धूल मुक्त स्थिति में और मक्खियों, कीटों तथा क्रुन्तक से मुक्त रखा जाएगा।

20.2 मुखाने की इकाई, रैकों और ट्रकों को साफ और स्वच्छता की स्थिति में रखा जाए।

20.3 सुखाने केवर्तन, ट्रे, बेज़्टस, छिलने वाला या क्युरिंग रैकों का यदि प्रयोग किया जाता है तो इनको स्वच्छता को दंगा में रखा जाए ।

20.4 तेल लगाने में प्रयोग किए गए तेलों और बाक्स काप्रयोग युखाने वाले बर्तनों में ट्रेयों में खाद्य क्यालिटी के होंगें।

20.5 संत्रेपण या वहते सूखी एत्यूमन के लिए प्रयोग किए गए ज्यकरण स्वच्छ दशा में रखा जाएगा।

21. सुखाना संनिध्रण, पैकिंग और ताप उपचार कक्ष और सुविधाएं

21.1 सामान्य-प्रक्रिंग कक्ष को स्वच्छता की स्थिति में रखा जाए तथा मक्खियों, कीटों और क्रुन्तकों से मुक्त रखा जाएगा, सुखाते समिश्रण और पैंकिंग कनरों को पूर्णतः प्रकाशमध होंगे और छत दीवार और सतह टाइल से बन्द की जाएगी तथा एनेमल पेण्ट या पानी के रिसाव की सामग्री से बचाया जाएगा।

- (1) छत को सतह को टूटी हुई या खुरदरा होने से मुक्त रक्षा जएगा जहां पर कि गंदे पानी का रिसाय हो।
- (2) दोगार के अन्तरीय साग और छात के गंद पानो का निकालने के निए नाली बनाई जाएगी।
- (3) जौजारों और उपसाधनों के भण्डारकरण के लिए धातु की भण्डारण रैकों या केबिनटों का प्रबन्ध किया जाएगा।

21.2 खाद्य अण्डा उत्पादों के सुखे संमिश्रण जिसमें खाद्य सूखे संघटों का संवर्धन भी सम्मिलित है और/ अथवा छिड़कात सुखाने के उत्पादों की पैकिम प्रन्य प्रसंस्करण संक्रियाओं से पृथक किसी कक्ष में की जाएगी। सूखे संमिक्षण किसी अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता हैं परन्तु यह है कि यह किसी भ्रनुमोदित बन्द संमिश्रण प्रणाली से संपादित हो।

- (1) पास्चुरीकृत उत्पादों के लिए संमिश्रण और पैकिंग कक्ष में बाहर की ग्रनुमोदित फिल्टरीक्वत अनुकूल हवा ग्राने का प्रबन्ध किया जाएगा।
- (2) संमिश्रण और पैकिंग उपकरण और उपसाधन जो सूखे उत्पाद के सम्पर्क में ग्राते हैं किसी यनुमोदित संरचना बिना खुली दरारों वाली होगी और ऐसी सामग्री की संरचना होगी जिसे साफ रखा जा सके तथा जिसका उत्पाद पर हानिकारक प्रभाव न पड़ सके। काम करने की मेजें बिना खुली परतों के प्रनुमोदित धातु की संरचना होगी और जिसकी सतहों की ग्रासानी से पूर्णत: सफाई की जा सके।
- (3) फ्लेंज लाइनर स्वच्छता को किसी ऐसी रीति से रखे जाएंगे जिससे संचालन में प्रयोग किए गए उपकरण और प्रदाय फर्ण से दूर रखा जा सके।
- (4) सूखे अर्थ्डों के पैकेर्जिंग में प्रयोग किए गए बर्तन हमेशा स्वच्छ रखे जाएंगें और जब भी संदूषित हो, स्वच्छता से साफ किए जाएंगे । उदर्गेती, बूशों, कापियों और अन्य समान उपकरण का ऐसे सेनीटरी केबिनेटों या रैकों में भण्डारण किया जाएगा जिनकी इस प्रयोग करने के लिए व्यवस्था की गई हो।
- (5) स्वचालित डिब्बा पूरक किसी ऐसी किस्भ का होगा जो डिब्बों में उत्पाद की दी गई माला को यथोचित रूप से भर सके। भरे गए डिब्बों का भार यथोचित रूप से जांच करने के लिए पैमानों का प्रबन्ध किथा जाएगा। सूखे ग्रण्डा उत्पाद के यान्त्रिकतः पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण प्रतिदिन निर्वात साफ होंगे।

21.3 उप्मा उपवार कक्ष किसी अनुमोदित संरचना के होंगें और उसका रख-रखाव स्वच्छ दशा में होगा। वह कक्ष या कमरे पर्याप्त आकार के होगा/होंगें, जिससे उप्मा उपचारित किए जाने वाले उत्पाद के लिए यथोचित उप्मा और ह्या घऋण के लिए खाली स्थान मिल सके। कक्ष यथोचित उप्मा प्रदाय और लगातार हवा चऋण प्रणाली से युक्त होगा।

22. सूखे ग्रण्डों का भण्डारण :----सूखे ग्रण्डों का भण्डारण प्लांण्ट में उत्पादन इस प्रकार होना चाहिए ताकि उसको उचित रूप से परितक्षित किया जा सके और उसको साफ तथा स्था और आपसिअनक गंधों से सुक्त रखा जाएगा।

23. धलाई और कक्षों की सफाई या क्षेत्रींग भविशाएँ

23.1 कमरे या परिसरों में पर्याप्त प्रकाण व्यवस्था होगी। तथा गंचालन के समय जो अनुपात अपेक्षित हो उसके आधार पर संचालक पर्याप्त ग्राकारों के उचित रूप मे उन उपक गों की धुलाई और सफाई ग्रन्झेय हो सके। पर्याप्त एग्जास्ट यह मुनिध्चित करने के लिए उगाए जाएंगे कि उनवे दुर्गन्ध और वाष्पों का सुरन्त उन्मूलन होता रहे तथा नोड़ने के कक्ष में हवा का प्रवाह नहीं होगा। यदि धुलाई और सफाई तोड़ने के कक्ष में नहीं जाती है तो वह क्षेत्र तोड़ने के क्षेत्रों से ग्रलग होंगे तथा मुब्यरिथत रूप से हवा हेनु उसमें रोणनदान होंगे जो कि संचालन प्रक्रियाग्रों से सीधे नहीं जुड़े होंगे नार्कि दुर्गन्ध ग्रीर वाष्प तौड़ने के क्षेत्रों में प्रवेश न कर मके।

23.2 दीवारों क्रौर छतों की सतह टाइलों, एनेमल पेण्ट या कोई ग्रन्भ जलरोधी सामग्री से बनी होंगी।

23.3 फर्श में नालियों के लिए पर्याप्त ढलान होगी श्रौर वह कटाव ग्रौर क्षरण सतह से मुक्त होंगे जहां पानी श्रौर धूल का प्रवेश नहीं होगा ग्रौर दीवार केश्राक्तरिक भागमें पानीं नहीं पहुंचेगा।

- 24. सफाई एवंग स्वच्छता सम्बन्धी अपेक्षाएं
- 24.1 सफाई :
- (1) क्रण्डे प्रसंस्करण प्रक्रिया में जो उपकरण तरल ग्रण्डों या बाह्य खाद्य उत्पाद की सफाई के लिए जो ग्रंबर्णक तत्व को निकालने ग्रौर वर्णक ग्रवशिष्टों को निकालने के लिए हैं उन्हें स्वच्छतापूर्वक सफाई से रखा जाएगा, जबकि उन्हे विशेष प्रभाव सेसाफ न किया जाए, इसमें सफाई की कोई भी पढ़ति अपनाई जा सकती है, परन्तु प्रसुख रूप से जब तक सफाई में उच्च दाव का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठोस उपकरणों को ठण्डे पानी से प्रवाहित कर देना चाहिए। जब भी ग्रावश्यक हो उसको ग्रण्डों में डिटर्जेण्ट युक्त गर्म पानी में प्रक्षालक से ब्रूण करके तथा पानी से खंगाल कर रखना चाहिए । यह आवद्भक होगा कि उपकरण की सतह को बारीकी सेसाफ किया जाए, यदि आवश्यक होतो प्रभावी रूप से सफाई भीकी जासकती है।
- (2) उपकरणों को ऐसी वारम्बारता से साफ किया जाएगा जिसमें कि सफाई सम्बन्धी अपेक्षाओं के ग्रन्तर्गत श्रन्यत विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रिया श्रौर उपकरण का विशेष प्रकार सम्बन्ध होगा।

(3) स्थान पर ही सफाई मान्य होगी (सी. प्राई. पी.) यदि प्रक्रिया और पद्धांत में मानव द्वारा सफाई की गयी हो या उस उपकरण की सफाई खण्डों में की गयी हो, उसी स्थिति में मान्य होगी। सक्षम प्राधिकारी स्थान पर ही सफाई अपेक्षाओं (प्रक्रियाओं) को स्वीकार्य करेगी और जीवाणु आंच की अपेक्षाएं तथा उपकरणों के कालिक खण्ड में ऐसी तिश्चितनाओं के आधार होंगे।

24.2 स्वच्छता :

- (1) ऐसी पद्धति से सम्पन्न होगी जो सक्षम प्राधि-कारी द्वारा अन्मोदित हों।
 - (क) रसायन और मिश्रण जो स्पच्छता के लिए प्रयोग किए जाएंगे वे सक्षग प्राधिकारी ढारा ग्रन्मोदित होंगें।
 - (ख) सफाई के लिए यदि हाईपोवलोराइड प्रयोग किया जाता है या सफाई उपकरण की सतहों की सफाई करने के लिए ऐसा घोल जिसमें ग्राधिकतम क्षमता 200 पी पी एम उपलब्ध क्लोरीन या उसके समतुल्य कोई घोल सम्पन्न होगा। जब कभी इन घोलों की क्षमता 100 पी पी एम या उपलब्ध क्लोरीन से कम या इसके **समतु**ल्य हो जाती है तो बदल दिया जाएगा।
- (2) प्रण्डे के छिलकों को स्वच्छता से ग्रौर जिस उपकरण को साफ किया गया है ग्रोर जो उपकरण खाद्य उत्पादों के सम्पर्क में ग्राते हैं, उनको स्वच्छता के उपरास्त याफ जल से खंगाल। जाएगा । यदि हाईपोचलोराइट से भिन्न कोई स्वच्छता माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब तक या या ग्रन्थया ग्रनुमोदित नहीं किया जाता है, उनका प्रयोग नहीं किया जीएगा।

25 कार्मिकों का स्वास्थ्य और स्वच्छता

25.1 कार्मिक सुविधाएं, जिसमें प्रसाधन भी सम्मिलित होंगें, शौचालय, लांकर्स श्रौर ड्रेसिंग कक्ष यथोचित मात्रा में होंगे और खाद्य प्रसंस्करण प्लांट पूरा करने केलिए पर्याप्त होगा ।

25.2 प्रसाधन कक्ष और ट्रेसिंग कक्ष में साथ तथा दुर्गन्ध हटाने के लिए पर्याप्त माता में रोजनदान होंगे तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में साबुन, तौलिया ग्रौर टिसूज रखे जाएंगे, प्रसाधन कक्ष के बाहर भी पर्याप्त प्रकाश ब्यबस्था होगी। 3946 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919 [PART II--SEC. 3(ii)]

25.3 कोई भी व्यक्ति संकामक रोगों से प्रभावित नहीं होगा या छुआछुत की स्थिति में नही होगा या किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होगा या किसी भी प्रकार के फोड़े, घाव या छुआछुत वाले जरूम या हाथों पर पटि्ट्यां नहीं बंधी होगी यह किसी भी व्यवस्था में अण्डों के सम्पर्क में नहीं आएगा या ऐसे अण्डों की प्रक्रिया में जो उपकरण प्रयोग में आते हैं, उनके सम्पर्क में नहीं आएगा।

25.4 जो कार्मिक तरल या सूखे घ्रण्डों, डिब्बों, ग्राधानों या उपकरणों के सम्पर्क में ग्राते हैं, एक चोगा पहनेंगे जो कि साफ होगा।

25.5 एकक कार्मिक खुले खाद्य उत्पाद पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपने हाथ धोऐंगे और कार्य कक छोड़ने के पश्चात् काम से लौटने पर भी हाथों को साफ करेंगे ।

25.6 धूकना खंखारना एवम घ्रन्य ग्रस्वास्थ्यक^प तरीके ग्रन्जेय नहीं होंगे।

25.7 तम्बाक् का किसी भी अवस्था में प्रयोग न करना या ग्राभूषण पहनना, नाखून, पालिण या सुगंधित द्रव किसीभी क्षेन्न में अनुजेय नहीं होंगे जहां पर खाद्य पदार्थ खुले में रखे हो ।

25.8 बालों की जाली या टोपी सभी कार्मिक उचित रूप से पहनेंगे चाहे वे तोड़ने के कक्ष में हों या पैकिंग कक्ष में हों।

26. तरल भ्रण्डों का पेस्चुरीकरण

26.2 पेस्चुरीकरण संकालन :----सभी उत्पादों के प्रत्येक कप को भ्रवेक्षित ताप के लिए उप्मायित किया जाना चाहिए और अपेक्षित न्यूनतम समय लगाने तक के लिए जैसा इस भ्रध्याय में आगे दिया गया है उस ताप का ठहराव किया जाना चाहिए। इस अध्याय की सारणी 2 में सूूचीयद्ध नाप और समयधारणकरन न्यूनतम हैं। उत्पाद उच्च तापों में उप्माति किया जा सकता है। पेस्चुराकरण प्रक्रियाएं पेस्चुराइज्ज्ञन और उसके ठहराव पैकिंग सुविधाओं को पूर्ण सुनिश्चित करेगी और संचालन इस प्रकार से होगा जो उत्पाद का संदूषण से बचाव कर सकेगा।

_ _ _

26.3 पेस्चुराइजेणन की अन्य पदाति सक्षम प्राधि-कारी द्वारा अनुमोदित होंगी, जब इस प्रकार के उपचार उन उत्पावों के लिए जो इस अध्याय के पैरा 26.2 में विनिर्दिष्ट उपचारों के समतुल्य प्रभाव देतें हैं या क्रन्य उत्पाद और परिणामस्वरुप भ्रन्य उत्पादनों में साल्मोन्नेला भून्य नहीं होगा।

27 सूखे सफेद हेतु ताप उपचार :---सफेद सूखे उत्पाद के लिए ताप ग्रपेक्षाएं पेस्चुराइजेशन पद्धति द्वारा ग्रनुमो-दितानुसार होंगी और उत्पाद को नियमित ऐसे समय में गर्म करते रहना चाहिए, परिणामस्वरूप ऐसें तापों में सालमोन्नेला की उपस्थिति गनण्य होगी।

27.1 तापीय उपचार किए जाने वाले उत्पाद को बन्द डिब्बों में ग्रध्याय कक्ष में तापीय उपचार हेतु रखा जाएगा और यह मुनिश्चित किया जाएगा कि उस स्यान में पर्याप्त ताप प्रवेश कर गया है और वायु चक्रम की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रत्येक डिब्बे पर उत्पाद के प्रकार की पर्हाचान होगी। स्प्रे या बर्तन में सुखाया हुन्ना और उस पर लाट न. या उत्पाद कोड नम्धर भी अंकित किया जाएगा।

27.2 स्प्रे या धतंन में सुखाए हुए एस्युमेन के उप्म उपधार के लिए न्यूनतम ग्रपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :----

- (1) छिड़क कर सुखाया हुम्रा एल्युमिन हमेशा 55 डिग्री सें. ग्रे. के सापमान से कम नहीं होगा और सात दिन से कम पर लगातार नहीं रखा जाएगा और जब तक कि उसमें सालमोनेल्ला शून्य न हो जाए।
- (2) बर्तन में सुखाया हुम्रा एलयुमिन 52 डिग्री सें, ग्रे. से कम ताप पर निरन्तर रखा जाएगा और इसी ताप पर 5 दिन से कम नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसमें सालमोन्नेला गून्य न हो जाएं।
- (3) इस अध्याथ के पैरा 27.2 (1) और 27.2 (2) में सूचीबद्ध से भिन्न स्प्रें या बर्तन में सुखाए एलयूमिन के ताप उपचार की पद्धतियों उन संतोष इनक नाक्ष्यों की प्राप्ति पर कि ऐसी पद्धतियां परिणामस्वरूप उत्पादों में सालमो-न्नेल्ला नगण्य दिखाएगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मनुमोदित की जा सकेगी।

[भाग II -- • थांग 3(ii)]

27.3 युखाए गए सकेंद भाग को जुरुक रूप में लाने के लिए उनको प्रधिकतम नाप पर गर्म किया आएगा, उनका नमूना लिया जाएगा और सालमोन्नेस्ला की उगल्विति का बिइनेवग किया जाएगा जैसा श्रष्ट्याय XII के 11 में अपेक्षित है।

27.4 एक वर्ष के लिए निम्नलिखित ग्रभिलेश्व रखे जाएंगे :--

- (1) उत्पाद के प्रकार
- (2) लॉट 🖡 की संख्या

- 27.3 सक्वाए गए सकेंद्र भाग को ज़ुष्क रूप में (3) उष्मा उपचार कक्ष में के लिए
 - (4) उत्पाद का ताप
 - (5) उष्मा उपचार कक्ष में उत्पाद को दी गयी अवधि
 - (6) सालमोन्नेल्ला की उपस्थिति, प्रक्षेगणाला विष्ठे-षण के सभी परिणाम ।

27.5 इस ध्रध्याय में विनिध्तित्ट सभी लाग् अपेक्षा जो सूखे सफेद भाग के प्रसंस्करण किए गए है उनके प्रेस्चराइज लेबलिन किया जाएगा।

सारणी----।

तरल अगई उत्पाद के लिए न्यूनतम जीतन और ताप अपेक्षाएं

तोड्ने के 2 अण्टे के भीतर का अनपेस्च्राइड उत्पाद ताप

'उत्प¦द	तरल उत्ताद से भिन्न 8 ६ण्टे या उससे कम रखा जाने	तरल लवण उत्पाद से भिन्न, 8 ६ण्टे अधिक रखा जाने	तरल लंबणीय उत्ताद	पेस्चुराइजिंग करने के इपरान्त 2 घण्टे के भीतर का ताप	स्थिरता के बाद 3 घण्टे के अन्तराल का तापमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफेद (अस्थिर) सफेद (स्थिर) अन्य सभी उत्पाद (सिबाय जिसमें 10% नमक या उसमे अधिक मिला हो	। 3° सी यः न्यून 2:1° सी यान्यून 7° सी यान्यून	7 या न्यून 13 या न्यून 5 या न्यून		7° या न्यून 1.3° या न्यून, पदि 8 घण्टे रखा गया हो 7° में.ग्रे. न्यून या 5 डिग्रा, सें.ग्रे. या 8 घण्टे न्यून	
तरल अण्डा उत्पाद जिसमें 10% नमक मिलाया गया हो					30 घण्टे या न्यून या अधिक 18 डिग्री में. 7 डिग्री सें. ग्रे. 0 न्रूनसम न्यूनतम

- 1. ग्लोकोस निकालने के बाद अँसा कि संभव हो, स्थिर सरल प्रदेत सुखाया। जाएगा, लगालार प्रक्रिया के लिए तरल म्वेत का एक मीमां तक भण्डारण आवण्यक होगा।
- 2. णीतलन प्रक्रिया लगातार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई नमक का उत्पाद 24 घण्टे से अधिक समय तक ध्रुद्ध किंता गयाहो, ठण्डा माना जाएगा और 7° सें० ग्रे० पर या उससे न्यूनतम पर स्थिर रखा जाएगा। 2007 Gt/97—5

यारणी'----- ⊉

पेस्चर(इजेशन अपेक्षाएं

तरल अण्डे उत्पाद	न्यूनतम ताप अपेक्षाएं (डिग्री सें. ग्रेड)	न्यूनतमं रखे गए समय सम्बन्धी अपे- झाए (मिनटें)		
(1)	(2)	(3)		
एल्यूमिन (बिना रसायन के)	55		3,5	
सामुत अण्डे	60	3,5	6.2	
साबुत अण्डों का संमिश्रण 2^{0+}_{Z0}	61	3,5		
अण्डे के अतिरिक्त मिलाई गयी न्यूनतम सामग्री	60	6, 2		
साबुत अण्डों को सुरक्षित रखना	61		3.5	
और इसका मिश्रण 2438% ठोस अण्डे $2-12\%$	अण्डो के			
अतिरिक्त मिश्रण स।मग्री	60		6, 2	
साबुत अण्डों पर नमक लगान।	63	3.5		
2% या उससे अधिक नमक संहित	62		6.2	
साबुत अण्डों में शर्करा मिश्रण	61	3.5		
12—12% शर्कश सहित सादा,	60		6.2	
माद्या जर्दी	61		3.5	
	60	6, 2		
शर्करा जर्दी 12% या अधिक	63		3.5	
अतिरिक्त शर्करा मिश्रण	62		6,2	
नमक की जर्दी 12 — 12^{o} / $_{ m o}$ अधिक	63		3,5	
नमक मिश्रण	62		6.2	

प्रयोगशाला

11 प्रयोगणाला परीक्षण और विश्लेषण

प्रयोगणाला के परीक्षण और विश्लेषण

अनुमोदित प्लांट नियमों और विनियमों की अनुपालना मुनिश्चित करने के लिये परीक्षण और विग्लेषण करेगी।

- (1) नमूने तरल प्रतिभातित या सूखं ग्रण्डे उत्पादों के लिये जायेंगे, और उत्पाद लेवल जो कि पहचान की ग्रनुपालना यदि कोई हो मानक हेतु विश्लेषण किया जायेगा।
- (2) यथोचित पैस्चरीकरण मुनिष्चित करने के लिये पेस्चरीक्रुत अण्डा उत्पादों और उष्मा उपचारित सूखे अण्डे का श्वेतन के नमूने लिये जाएंगे और एंग्रे अनुक्रम, आवृत्ति तथा अनुमोदित प्रयोगणाला पद्धति जो इन नियमों में विदित है, के अनुसार माल्पोनेल्ला की उपस्थिति के लिये सक्षम प्राधिकारी ढारा विश्लेषण कियाजायेगा।

- (3) विश्लेषण और परीक्षण परिणाम सक्षम प्राधिकारी को उपसब्ध करा दियं जाएंगे।
- (4) सक्षम प्राधिकारी पुष्टिकरण, नमूने लेगा तथा उनको प्लांट की जांच और विग्लेषण की यथेष्टता ज्ञात करने के लिये उसी के खर्च पर प्रयोगणाला में भेजेगी।

ग्रध्याय⊸-XIII

उत्पाद का पक्षचान करना

1. अप्रण्डा उत्पाद में लेबलों की आवश्यकता:

खाद्य ग्रण्डा उत्पादों के डिब्बे तथा सहजता सेले जाने बाली टकियां पर अनुमोदित प्लांट को छोड़ने से पर्व इस अध्याय के पैरा 2 से 5 तक के अनुसार लेखल लगाये जायेंगे तथा पैरा 3 की आकृति 2 या 5 की आकुति में दणित शासकीय चिन्ह धारण करेगा, तरल पेस्चुराइज्ड अण्डे उत्पाद का भारी यातायात पोत लदान गैर सरकारी मील द्वारा बन्द नहीं किया जाएगा। 2.1 कोई डिब्बा, या पैंकिंग सामग्री, जिस पर णासकीय पहुंचान लगी हो उस पर कोई झूटा या भ्रमिक करने वाला विवरण नही लगेगा, कोई भी लेवल, डिब्बा या पैंकिंग सामग्री जिस पर णासकीय पहुंचान लगी हो केवल जो सक्षम प्राधिकारी विहित करे उसी तरीके के प्रनुसार ही प्रयोग किया जायेगा कोई भी लेवल, डिब्बा या पैंकिंग सामग्री जिस पर णासकीय पहुंचान हो तब तक भ्रेयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि इस प्रध्याय के पैरा 2.2 के प्रनुसार सक्षम प्राधिकारी ढारा प्रनुमोदित न हो, श्रन्तिम लेवलों का प्रयोग सभम प्राधिकारी ढारा यथाबिहित ग्रनुमोदन के प्रनुसार, किया जायेगा, यदि लेबल छपा हुग्रा हो या डिब्बा, पैंकिंग सामग्री पर सीधा लगा दिया गया हो तो उस पर प्रदर्शित लेबल को प्रधान के रूप में माना जायेगा।

2.2 कोई भी लेबल डिब्बा या पैंकिंग सामग्री जिस पर शासकीय पहुचान हो तब तक नहीं छपवाया जा सकता या प्रयोग के लिये तैयार किया जा सकेगा जब तक मुद्रणकर्ता या अन्य अन्तिम प्रूप इ.स अध्याय के विनियमों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाते है। अनुमोदन के लिये दी गई प्रत्येक लेबल की प्रतियां निम्न-लिखित सहित संलग्न होंगी।

 अण्डा उत्पाद जिस आकार में प्रयोग किया जाता है, का वर्णन जिसमें साधारण या प्रचलित गब्दों के प्रकार और तत्वों की प्रतिशतता प्रदर्शित की जायेगी (उदाहरणतया तरल या सूख।) समय-समय पर प्रतिशतता परिवर्तित होती रहती है, ऐमे भामलों में वहां लगभग प्रतिशतता रेज दी जा सकेगी।

2. जब भी अपेक्षित होगा, वैद्यानिक आंकड़े यह प्रदर्शित करेंगे कि तत्व या मिश्रण संरक्षित है और उसके आधायित प्रयोग करने पर प्रभावी होगा।

2,3 झासकीय पहचान धारण करने वाले उत्पाद के डिब्बों पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जायगी।

(i) साधारण या प्रचलित नाम, यदि कोई हो और यदि उत्पाद में थो या ग्रधिक तख समाबिष्ट है, भार तख ग्रायतक के अनुसार अनुपातों में से प्रवरोही अम में सूचीखवा किये जायेंगे, जब जल इसमें वह भी सम्मिलित है, जो संधारित सुखाए हुए तत्व सामान्य मिश्रण में वापिस ग्राजाते हैं, तरल या प्रणीतित ग्रण्डों में मिलाया जाता है या उसे तरल तत्व में मिलाया जाता है, दन तत्वों में सामान्य से जल ग्रधिक होगा, मिश्रित जल की कुल माता जिसमें जाते हों, वह लेवल पर तत्वों के विवरण में कुस उत्पाद भार की प्रतिणतता लिखे हुए होंगे।

(ji) नाम, पता और निर्यातक कापिन कोड

- (iii) लोट संख्या या उत्पाद की कोड संख्या
- (iv) णुद्ध माल,
- (v) शामकीय पहचान चिन्ह तथा प्लाट संख्या.
- (vi) अण्डा उत्पाद जो कि अनुमोदित संयत्न में वर्तमान उत्पादन से भिन्न केखाद्य ष्टिलके उत्पादित हैं या अन्य ग्रण्डा उत्पाद जो कि वर्तमान अण्डा उत्पादन से भिन्न के दिलके वाले ग्रण्डों से उत्पादित किय गये हैं, उस पर स्पष्ट रूप से और एक दूसरे से प्रलग-ग्रलग प्रकार का लेबल जो कि उत्पादन श्राम या सामान्य नाम के समीप होगा जैसा कि "बर्तमान उत्पादन से भिन्न के अण्डों से निर्मित"।
- (vii) प्रण्डा उत्पाद जो कि खाद्य हिलके वाले प्रण्डों या उत्पादित हुए ग्रण्डा उत्पाद को टर्की, बत्तख हंसनी या गिनिया फादन घरेलू मुर्गी से उत्पादित हुए हैं, उनके बारे में उत्पादों पर स्पप्ट रूप से प्रलग से दिखाने वाले लेवनों पर उत्पाद का नाम या सामान्य नाम यह दिखाए कि ग्रण्डों का प्रकार या ग्रण्डा उत्पाद जो कि उत्पाद में प्रयोग में ग्राये हैं जैसे कि ''जमे हुए साबुत टर्की ग्रण्डे जम्मे हुए साबुत चिकित अंर टर्की ग्रण्डे जम्मे हुए साबुत चिकित अंर टर्की ग्रण्डे 'ं ग्रण्डा उत्पादों जिन पर बिना ग्रहक णब्दों में लेवल लगे हुए है, उनको घरेलू मुर्गी के हिलके वाले ग्रण्डों से उत्पादित किये जाएगें या अण्डा उत्पाद वैसे ही फिलके वाले ग्रण्डों मे उत्पादित किये जाएंगे।

2.4 तरल या जमें हुए अप्धों उत्पाद जिनकी पहचान साबुत अण्डों और अनको प्राक्वतिक अनुपात में भिन्न तैयार किया गया है, जैसे छिलके से टूटा हुआ, उनके प्रन्दर 24.20 प्रतिशत या अधिक कुल अण्डा टोस अंतर्वस्तु विसमान होगी।

2.5 अण्डा उत्पादो पर लगाए गए लेबललोक पर थोषण सामग्री की सभी सूचना सम्मिलित की जाएगी, ऐसी लेबलिग के लिए प्रचालिक्ष विनियमों को जो कि लागू हैं उनकी घार्ती को पूरा करना चाहिए, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डिब्बा बन्द अण्डा उत्पादों की अपेक्षा जो कि बेचने या बांटने के लिए नहीं है, और विनियम उनसे अलग है, लेवल जो प्रस्तुत किए जाएंगे उनके साथ यह सूचना उपर्वाधत होगी कि वह उपभोक्ता वाले या बड़े मान्ना के उत्पाद के डिब्बे है, उत्पाद में पोषक तत्व जंसे प्रोटीन, विटामिन और खनिज डाले गए हों तो पोषण तत्वों की लेबलिंग आवष्यक है या जब पोषकता के लिए घोषणा या सूचना प्रस्तुत की गयी है, लेबलिंग के सम्बन्ध में, निम्न-लिखित के बारे में जिनके अलावा जो पोषकना सम्बन्धी लेबलिंग से मुक्त हो THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919 [PART IL-Sec. 3(ii)]

- (1) अण्डा उत्पाद जो कि बड़ी माला में केवल दूसरे खांचों के निर्माण के लिए भेजे गए हैं, घरेषू उपभोक्लाओं के लिए बड़ी माला में या डिक्बों में नहीं रखे जायेंगे।
- (2) अण्डा उत्पाद जिनमें शामिल है विटामिन, श्वनिज या प्रोटोन, इनके बारे में लेबल पर पोषकता के बारे में घोषणा की गयी हो या विद्यापन में जो कि संस्थान में केवल खाद्य प्रयोग के लिए प्रदाया किया गया है, परन्तु निर्माता के बारे में पोषकता के बारे में प्रावक्ष्यक सूचना संस्थानों को सीखें उपलब्ध कराता है।
- (3) कोई भी पोषकता मात्र घौद्योगिकी प्रयोजन के लिए उत्पाद में णामिल किए गए हैं, बिना पोषक तत्वों के लेबलिंग करने की अनुपालना की घोषणा केवल तत्वों के यदि पोषक तत्व की अन्ध्य नेबलिंग के संदर्भ के प्रति निर्धेण से या लेबलों के विद्यापन में नहीं किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी ढारा अन्मोदन नहीं किया जाएगा ।

 शासकीय पहचान चिह्न और निशीक्षण निशान का एप।

3.1 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आक्रुति-1 में टी गई सील में अन्तविष्ट अक्षर शामकीय पहचान चिह्न होगा ।

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

ग्र।कृति-- ।

3.2 खाद्य प्रण्डा उत्पादों के डिब्बों पर जो निरीक्षण का चिह्न प्रयोग में लाए जाने हैं, उनको प्रास्थप की बाहरी रेखाओं के भीतर धनाया जाएगा और इस घ्रध्याय की म्राक्वति 2 में दिए गए शब्दों और डिजाइन वाला होगा. सिवाय इसके यदि किसी दूसरे डिब्बे पर लगाया जाता है तो संयंत्र संख्या को भासकीय पहचान हटाया जा सकता है।

त्राइति 2

4. उत्पाद जिन पर शासकीय निरीक्षण चिह्न लगा हो ग्रण्डा उत्पाद जिन पर निरीक्षण चिन्ह लगाने की श्राद्या मिल चुकी हैं उनका खाद्य छिलके वाले श्रण्डों से या दूसरे खाद्य ग्रण्डा उत्पादों के श्रनुसोदित संगंध से प्रसंस्करण किए जाएंगे और उनमें दूसरे खाद्य तथ्व हो सकते हैं, शासकीय चिह्न मुदिल होगा या प्रस्तर मुद्रित होगा और डिब्बे के प्रधान पेक्षल संपदर्श के

द जो कि बधी मात्रा में केवल दूसरे ख/खों एक भाग के रुप में लगाया जाएगा परम्पु अलग होते बाले. के लिए भेजे गए हैं, घरेषू उपभोक्ताओं टक्कन पर नहीं लगाया जाएगा।

5. अन्य शासकीय पहचान का प्रयोग

अन्य शासकीय पहचान जो इस प्रश्न्याय में दर्शित है भुद्रित होगी या प्रस्तर मुद्रित होगी और प्रधान पेमल पर दिखाया गया होगा लेकिन प्रलग होने वाले धक्कम पर नहीं लगाया जाएगा, यदि किसी दूसरे लेवल कर या डिब्बे पर लगाया जाता है तो संयंद्ध संख्या को पहचान में हटाया जा सकता है, ऐसे उत्पाद सभी घ्रपेक्षाओं को पुरा करेंसे जो कि धण्डा उत्पावों के लिए पैरा 3 में दर्शित जासकीय निरोक्षण चित्न धारण करने के लिए प्रनुताप पास्क्ये निरोक्षण चित्न धारण करने के लिए प्रनुताप पास्क्ये स्था जो मलम घांधकारी ढारा ध्रनुमोदित की जाएंगी।

5.1 अण्डा उत्पादों में पैक किए गए रूप में किसी अनुमोदित संयंत्र में भेजे गए सभी अलपास्प्रीकृत को इम अध्याय की काक्वति 3 में दिए गए पहचान चिह्न से चिह्नित किया आएगा । पास्चुरीकरण या उपचार के बाद उत्पाब पर 5.2 में दिखाए गए के मनुसार शासकीय निरीक्षण का निशान लगाया जा सकता है ।

> शण्डः उत्पाद ब्रतुमोदित प्लांट में श्रागोमी प्रसंस्करण

म्राकृति – 3

 अनुमोदित लेवल का अप्राधिकृत प्रयोग अथवा उसका प्रयोग न किया जाना ।

6.1 डिब्बे अथवा लेबल जो पैरा 2 के अनुसरण में प्रयोग के लिए अनुमोदित शासकीय पहचान धारण करते हैं केबल उस प्रयोजन के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे जिसके लिए अनुमोदित किए गए हैं । अनुमोदित डिब्बे या लेबलों के जो शासकीय पहचान धारण करते हैं किसी अप्राधिक्वंत प्रयोग अथवा उसका प्रयोग न किए जाने से अनुमोदन निरस्त हो जाएगा ।

6.2 इन मियमों के अनुसरण में किसी अनुमोधित संयंत्र में निरीक्षण सेवाओं की समाप्ति पर शासकीय पहचान धारण करने वाले सभी लेवल मुहरें, बंधन प्रथवा पैकिंग मामग्री को सक्षम प्राधिकारी के किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के ब्रधीन या तो नज्ट कर विया जाएगा या शासकीय पहचान को पूर्ण रूप से मिटा दिया जाएगा या शासकीय भर दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य किसी रीति में सील बम्द कर विया जाएगा।

7. जिन्होंकन और पैकिंग का पर्यवेक्षण

7.1 लेबल अनुमोबन की साक्ष्य ः–सक्षम प्राधिकारी किसी परीक्षण किए गए उत्पाद पर शासकीय पहुचान के प्रयोग की अनुका तब लक नहीं देगा जब ठक फाइल पर यह

3**9**50

r 🚃

साक्ष्य नहीं हो जाता है कि इस प्रकार की शासकीय पहचान या रखने वाली पैकिंग सामग्री पैरा 2 के निर्वेधन के श्रनुमार ग्रनुमोदित की गई है।

7.2 शासकीय पहचान का लगाया जाना :--ममक्ष प्राधकारी के ग्रलावा किसी के द्वारा किसी उत्पाद या डिख्वा पर कोई शासकीय पहचान नहीं चिपकाई जाएगी या चिप-काया जाना कारित किया जाएगा या लगाई जाएगी । इस प्रकार सभी उत्पादों का निरीक्षण इन नियमों के अनुसार किया जाएगा, किसी शासकीय पहचान रखने वाली सभी सामग्री के प्रयोग और रख-रखाव पर सक्षम प्राधिकारी देखभाल करेगा ।

8. शासकीय पहचान रखने वाले डिव्बों का पुनः प्रयोग निषिद्ध :- किसी भी व्यक्ति द्वारा शासकीय पहचान रखने वाले डिब्बों का पुनः प्रयोग (किए जाने वाले) जब सक ऐसें पहचान उसमें पुनः पैक उत्पाद सभी प्रकार में लागू नहीं होते है । ऐमे दृष्टान्तों में डिब्बे और लेबल का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु यह तब जब पैकेजिंग का कार्य सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में सम्पन्न किया जाता है और डिब्बा श्रध्याय XII के पैरा 3 की श्रनुपालना में है ।

ग्रध्याय - XIV

1. সম্বা

1.1 ''अण्डे'' से अभिप्राय है घरेलू मुर्गी, टर्की, बत्तख, हसनी या गुइनिया फोउल कुछ नाम जो अण्डे के छिलके को लाग होते है वे निम्न प्रकार है :---ं

- (i) "चैक" सें म्राभिप्राय प्रण्डे क। छिलक। टूटा होना व छिलका में दरार परन्तु छिलका की झिल्ली प्री ठीक हो और ग्रन्सर्वस्तु रिसाव युक्त न हो ।
- (ii) ''साफ और छिलका अण्डा सें अभिप्राय है अण्डा जिसका छिलका चिपकाने वाली सामग्री सें मुक्त है और जो दरार मुक्त और टूटा हुग्रा नहीं है।
- (iii) "गन्दे मण्डे सें ग्रभिप्राय है कोई अण्डा जिसका छिलका टूटा हुग्रा नहीं है और जिस पर चिपकने वाली गंदगी बाह्य सामग्री या मुख्य धब्वे लगे हुए है।
- (iv) "श्रण्डा का स्वरित उत्पादन" ग्रण्डे का तुरन्त किया हुग्रा उत्पादन जो कि विपणन के लिए उचित माध्यम से प्राप्त किया जाता है वह 60 दिन मे ग्राधिक ग्रवधि का न हो ।
- (V) "इनेडेबल" से प्रभिप्राय है प्रण्डे का काला रोट पीला रोट, सफेद रोट, मिश्रित सडापन, खट्टा, हरा, सफेद, स्टक पीला वाला अंडा, माल्डी अंडा सारसोई अंडा, खूनी अंडा परत के अंडे और एमत्री अंडा (खून के घेरों की सतह पर या उसके बाहर)

- (vi) "लोकर" से म्रभिप्राय है वह अंडा जो जिसमें छिलके के दरार या टूटा है और उसकी झिल्ली इस मात्र तक विस्कृत है कि अंडे की म्रन्तर्वस्तु दिखाई दे या रिस रहा है या छिलका में रिसने के लिए मुक्त है ।
- (vii) ''अंडा सेने के यंत्र द्वारा ग्रस्वीकृत'' से मभिप्राय कोई अंडा जो सेने के लिए रखा गया है और जो अंडे सेने की किपा सें अंडा सेंने के संचालन के दौरान उसें प्रजनन करने के ग्रयोग्य या अन्यया न सेंने योग्य होने के कारण हटा लिया जाता है।
- (viii) "क्षति" से अभिप्राय है जो अंडे मानव खाद्य के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि उसमें फूटने या टूटने के कारण उसके तत्व लीक कर रहे हैं, या ग्रधिक उष्मायित या जमाए गए हैं, या संदूषित है, वे किसी अंडा सेने वाली मुर्गी द्वारा प्रस्वीक्वत हैं या चूंकि उसमें खूनी सफेदी ज्यादा मास के धब्बे अधिक माद्या में खून या अन्य बाह्य सामग्री मौजुद है।
 - (ix) "प्रतिबंधित अंधे" सें प्रभिप्राय है कोई छिलका में दरार वाला अंडा, गंदा अंडा सेने के यंक्ष से प्रस्वीकृत ग्रखाद्य रिसने वाला या क्षति वाला अंडा।
 - (X) "सफेद" या एल्यूबामिल" से श्रभिप्राय किसी अंडा उत्पाद को तोड़कर छिलका और जरदी से है श्रलग करके प्राप्त किए गए उत्पाद से है ।

[फाईल सं० 6/1/95-ई ग्राई एण्ड ईपी] कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2078.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963, (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement : (a) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

PART-1 [APPLICABLE FOR EXPORT TO EUROPEAN UNION (EU)]

2. Definitions : In this part unless the contexts otherwise requires, the following definitions shall be applicable :

- (i) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (b) "Agency" means any agency for quality control or inspection or both established or recognised under Section 7.

- (c) "Batch" means a quantity of egg products which have been prepared under the same conditions and in particular treated in single continuous operation;
- (d) "Certificate" means certificate issued under sub-section (3) of section 7 of the Act stating that the commodity conforms to the conditions regarding quality control and inspection;
- (e) "Competent Authority" means any one of the Export Inspection Agencies at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963;
- (f) "Consignment" means a quantity of egg products for a single delivery to one destination for further processing by the food industry or intended for direct human consumption;
- (g) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;
- (h) "Country of Destination" means the country to which egg products are despatched from India;
- "Egg Products" means products obtained from eggs, their various components or mixtures thereof after removal of the shell and membranes, intended for human consumption; they may be partially supplemented by other food-stuffs or additives; they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;
- (j) "Country of Despatch" means India;
- (k) "Merchant Exporter" means an exporter who buy the egg products from the approved egg processing plants under these rules for the pupose of exports.
- (1) "Farm of production" means Farm supplying eggs intended for manufacture of egg products;
- (m) "Packing" means the packing of egg products in any form of package;
- (n) "Plant" means any premises where egg products are processed;
- (o) "Potable Water" means water that has been approved by State Health Authority or other Agency or Laboratory acceptable to the Competent Authority as safe for drinking and suitable for food processing.

3. Basis of compliance : It is primarily the responsibility of the processors t_0 ensure that the egg products intended for exports are handled, processed at all stages of production, storage and transport under proper hygienic conditions so as to meet the health requirements laid down under these rules and that the products conforms to the specifications given in the order by the Central Government under Section 6 of the Act.

The Competent Authority shall ensure that all the processors comply with the requirements by regular monitoring of the plant as per the control measures prescribed in the para 4.18 of this part. For effective monitoring of the scheme, Council will issue necessary instructions in this regard from time to time.

4. The egg products for Exports shall be subjected to the following conditions :

4.1 Any statutory restriction imposed by any State/Central Government with respect to commercial environmental conservation measures from time to time shall strictly be adhered to.

4.2 They must have been obtained from hens, ducks, geeses, turkeys, guinea fowls or quaila eggs, but not a mixture of eggs of different species.

4.3 They must bear an indication of the percentage of egg ingredients they contain when they are partially supplemented by other food stuffs.

4.4 They must have been treated and prepared in an approved plant which complies with Annexure I and II of the Part I, and satisfy the requirements of these rules.

4.5 They must have been prepared under hygienic conditions complying with Annexure III and V of the Part I from eggs meeting the requirements laid down in Annexure IV of the Part 1.

4.6 They must have undergone a treatment process which enables them to meet inter alia the analytical specifications laid down in Annexure Vl of the Part 1.

4.7 They must have undergone a health check in accordance with Annexure VII of the Part I.

4.8 They must have been packed in accordance with Annexure VIII of the Part I.

4.9 They must be stored and transported in accordance with Annexure IX and X of the Part I.

4.10 They must bear the mark of wholesomeness provided for in Annexure XI of the Part 1 and, where intended for direct human consumption, must meet the requirements of Council Directive 79/112/EEC of 18th December 1978 relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer, as last amended by Directive 86/97/EEC.

4.11 Samples for laboratory examination are taken in order to check that the analytical specifications set out in Annexure VJ of the Part 1.

4.12 Egg products that may not be kept at the ambient temperature are transported or stored at the temperatures stipulated in Annexure IX and X of the Part I.

4.13 The period during which the conservation of egg products is assured as indicated by the processor.

4.14 The results of the various checks and tests are recorded and kept for presentation to the competent authority for a period of two years.

4.15 To detect any residues of substances having a pharmacological or hormonal action, and of antibiotics, pesticides, detergents and other substances which are harmful or which might alter the organileptic characteristics of egg products or make their consumption dangerous or harmful to human health.

4.16 If the egg products examined show traces of residues in excess of the permitted levels fixed, they must not be allowed either for the manufacture of foodstuffs or for direct human consumption.

4.17 Tests for residues must be carried out in accordance with proven and scientifically recognised methods.

4.18 Having satisfied itself that the plant meets the requirements with regard to the nature of the activities if carries out, the competent authority shall accord approval to such plant.

4.19 The Competent Authority may take the assistance of a representative each from Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), Directorate of Marketing and Inspection (DMI), Ministry of Food Processing Industries and representative of industry in the matter of approval of processing plants.

4.20 The competent authority shall draw up a list of the approved plants, each of which have an official number and the competent authority shall furnish to appropriate authorities the list of approved plants and subsequent change thereof.

4.21 The inspection and monitoring of plant and packaging centres shall be carried out regularly by the competent authority, which shall at all times have free access to all parts of the plant, in order to ensure that these rules are being observed.

PART---II [APPLICABLE FOR UNITED STATES OF AMERICA (USA)]

2. Definition : In these rules unless the context otherwise requires, the following definitions shall be applicable :

- (a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);
- (b) "Acceptable" means suitable for the purpose in tended and acceptable to the Competent Authority;

3952

- (c) "Agency" means any agency for quality control or inspection or both established or recognised under Section 7;
- (d) "Applicant" means any person who requests any inspection, service as authorised under the rules or the regulations of this part;
- (e) "Capable of use as human food" means any egg product, unless it is denatured, or otherwise identified, deter its use as human food;
- (f) "Certificate" means certificate issued under sub-section (3) of Section 7 of the Act stating that the commodity conforms to the conditions regarding quality control and inspection;
- (g) "Competent Authority" means any one of the Export Inspection Agencies at Mumbai, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection Act, 1963;
- (h) "Condition" means any condition (including, but not limited to the state of preservation, cleanliness, soundness, wholesomeness, or fitness for human food) of any product which affects its merchant ability or any condition, including but not being limited to, the processing, handling or packaging which affects products;
- (i) "Container" or 'Package' includes any box, can, tin, plastic or other receptacle, wrapper or cover;
- (j) "Council" means the Export Inspection Council established under Section 3 of the Act:
- (k) "Merchant Exporter" means an exporter who buy the egg products from the approved egg processing plants under these rules for the purpose of exports.
- (1) "Egg product" means the products obtained from eggs their various components or mixtures thereof, after removal of the shell and membranes, intended for suman consumption; they may be partially supplemented by other foodstuffs or additives; they may be liquid, concentrated. dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;
- Explanation : In this aforesaid definition "egg product" shall not include products such as freez dried products, imitation egg products, egg substitutes, dietarv foods, dried no-bake custard mixes, egg nog mixes, acidic dressings, noodles, milk and egg dip, cake mixes, french toast, and sandwiches containing eggs or egg products. Balut and other similar ethenic delicacies are also not included;
- (m) "Incubator reject" means an egg that has been subjected to incubation and has been removed from incubation during the hatching operations as infertile or otherwise unhatchable;
- (n) "Lebel" means a display of any printed, graphic, or other method of identification upon the shipping container if any, or upon the immediate container;
- (o) "Pasteurize" means subjecting of each particle of egg products to heat or other treatments to destroy harmful viable microoganisms by such processes as may be prescribed by these regulations;
- (p) "Plant" means any premises where egg products are processed;
- (q) "Potable water" means water that has been approved by State Health Authority or other Agency or Laboratory acceptable to the Competent Authority as safe for drinking and suitable for food processing;
- (r) "Processing" means manufacturing of egg products, including breaking eggs or filtering, mixing, blending, pasteurizing, stabilizing, cooling, freezing or drying or packaging egg products plants approved by the Competent Authority;
- (s) "Sampling" means the act of taking samples of any product for inspection or analysis:

(1) "Sanitize" means the application of bactericidal treatment which is approved as being effective in destroying micoorganisms, including pathogens;

- (u) "Shipping Container" means any container used in packaging a product;
- (v) "Stabilization" means the subjection of any egg product to a desugaring processing;
- (w) "White or albumen" means for the purpose of this part, the product obtained from the egg as broken from the shell and separated from the yolk.

3. Basis of Compliance : It is primarily the responsibility of the processor to ensure that the cgg products intended for export are handled, processed at all stages of production, storage and transport under proper hygienic conditions so as to meet the health requirement laid down under these rules and that the product conforms to the specifications given in the order by the Central Government under Section 6 of the Act.

The Competent Authority shall ensure that all the processors comply with the requirement by regular monitoring of the plant as per the control measures prescribed in para 4.4 of this part. For effective monitoring of the scheme. Council will issue necessaray instructions in this regard.

4. The egg products for export shall be subjected to the following conditions :

4.1 Any statutory restriction imposed by any State/Central Government with respect to commercial/environmental conservation measures from time to time shall strictly be adhered.

4.2 They must comply with sanitary, processing and facility requirements laid down in Annexure XII of the Part II.

4.3 They must comply with Identifying and marking of c_{2g} products laid down in Annexure XIII of the Part II.

4.4 Having satisfied itself that the plant meets the requirements with regard to the nature of the activities they carry out, the competent authority shall accord approval to such plant;

4.5 The Competent Authority may take the assistance of a representative each from Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and Directorate of Marketing and Inspection (DMI), Ministry of Food Processing Industries and a representative of Industry in the matter of approval of processing plants.

4.6 The competent authority shall draw up a list of the approved plants, each of which have an official number and the competent authority shall notify to appropriate authorities of its list of approved plant and subsequent change thereof

4.7 The inspection and monitoring of plant and packaging centres shall be carried out regularly by the competent authority, which shall at all times have free access to all parts of the plant, in order to ensure that these rules are being observed.

5. CERTIFICATION

On request from the plant unit. the competent authority shall issue veterinary health certificate in the prescribed proforma after satisfying itself that plants having valid approval number and after satisfying the relevant requirement.

5.1 The Competent Authority shall also issue any other certificates on request from the processor or exporter after satisfying itself that the requirements of the relevant standards are met; 6. FEE :

3954

6.1 A fee of Rs. 2000 shall be paid by the processor alongwith the application for approval of the egg processing plant as per clause 4.18 of Part I and 4.4 of Part II of these rules ;

6.2 A fee at the rate of 0.2% of F.O.B. value shall be paid by the processor, exporter or merchant exporter of the egg processing plants approved under rule 6.1 above, to the Competent Authority.

NOTE :

The amount of fee for each consignment payable by the processor/exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee then if such a part is 50 paise or more, it shall be increased to one rupee and, if such part is less than 50 paise, it shall be ignored.

7. Competent Authority shall take measures if the requirement ceases to be met.

8. APPEAL :

8.1 Any person aggrieved by the :

- (i) Decision of the competent authority is not according the approval as per rule 4.18 of Part I and rule 4.4 of Part II;
- (ⁱi) Refusal of competent authority to issue Veterinary Health Certificate as per rule 5 of this notification ;
- (iii) Decision of the competent authority to withdraw approval as per rule 7 of this notification.

8.2 Any person aggrieved by the Appellate Authority may prefer an appeal within 10 days of reccipt of such decision to an Appellate Authority appointed by the Central Government;

8.3 The Appellate Authority shall consist of five members appointed for the purpose by the Central Government ;

8.4 At least two-thirds of the total membership of the Appellate Authority shall consist of non-officials;

8.5 The quorum for any meeting of the Appellate Authority shall be three ;

8.6 The appeal shall be disposed off within 15 days of its receipt.

ANNEXURE I

GENERAL CONDITIONS OF APPROVAL AND OPERATION

I. ESTABI ISHMENTS MUST POSSESS AT LEAST :

1. In areas where cggs are stored and where cgg products are manufactured or stored :

- 1.1 Waterproof flooring which is easy to clean and disinfect, rotproof and laid in such a way as to facilitate the draining of water: the water must be channelled towards drains fitted with gratings and raps to prevent odours;
- 1.2 Smooth, durable, impermeable walls, with a lightcoloured, washable coating up to a height of at least two metres and upto at least storage height in chilling or refrigeration rooms and in stores. Wall to floor junctions must be rounded or similarly finished in such a way as to facilitate cleaning;

- 1.1. Doors in material that does not deteriorate and, if of wood, with a smooth and impercable covering on both sides ;
- 1.4 Ceilings which are easy to clean and which have been built and finished in such a way as to prevent the accumulation of dirt and the formation of mould, the possible peeling of paint-work and the condensation of water vapour;
- 1.5 Adequate ventilation and, if necessary, good steam extraction t
- 1.6 Adequate natural or artificial lighting;
- 1.7 As near as possible to the work stations :
 - An adequate number of facilities for the cleaning and disinfecting of hands and the cleaning of equipment with hot water. Taps must not be operable by hand or the arms. For the cleaning of hands, these facilities must be provided with hot and cold numing water or water premixed to a suitable temperature, cleaning and disinfecting products and hand towels which can be used once only;

Facilities for the disinfacting of tools;

2. An appropriate number of changing rooms, with emooth, implermeable and washable walls and floors, washbasins and flush lavatories. The latter must not give directly on to the work-area Wash-basins must have hot and cold ruoning water or water premixed to a suitable temperature, materials for cleaning and disinfecting hands, and hand towels which can be used once only. Wash-basin taps must not be hand-operable. There must be a sufficient number of washbasins close to the lavatories;

3. A separate area and adequate facilities for cleaning and disinfecting fixed and mobile containers and tanks. However, this area and these facilities shall not be required if there are provisions for the cleaning and disinfecting of containers and tanks at other centres;

4. Facilities for the supply of potable water. However, facilities supplying non-potable water are authorised for steam production, fire fighting and the cooling of refrigeration equipment, provided that the pipe installed for this purpose preclude the use of such water for other purposes and present no risk of contamination to the egg products. The steam and water concerned may not come in to contact with the egg or be used for cleaning or disinfecting containers, plant or equipment which come into contact with the egg products. Pipes carrying non-potable water must be clearly distinguished from those carrying potable water;

5. Appropriate equipment for protecting against pests such as insecs and rodents ;

6. Equipment, couplings and instruments or their surfaces which are intended to come into contact with egg products must be made of smooth material which is easy to wash, clean and disinfect, resistant to corrosion and does not transfer substances to the egg products in such quantities as to endanger human health, cause deterioration in the composition of the eva products or adversely affect their organoleptic characteristics.

ANNEXURE IT

SPECIAL CONDITIONS FOR THE APPROVAL OF PLANT

In addition to the general conditions laid down in Annexure-I establishments must have at least:

! Suitable rooms large enough for the separate storage of the evens and the finished egg products, where necessary, with refrigeration equipment to keen the eva products at the appropriate temperatures, cold stores must be canoned with a thermometer or a remote recording thernumeter:

? Where dirty epgs are used, facilities for washing and disinfecting the eggs; a list of products authorised for performing this disinfection shall be drawn, 3. i. A special room with appropriate facilities for breaking eggs and collecting their contents and removing the parts of shell and membrane;

(ii) A separate room for operations other than those referred to in (i). Where egg products are pasteurized, pasteurization may be carried out in the room referred to in (i), when the establishment has a closed pasteurization system; in other cases pasteurization must be carried out in a separate (room referred to (ii)). In the latter case, every step must be taken to prevent the contamination of egg products after their pasteurization;

4. Suitable facilities for in-plant conveying of egg con-

5 In the cases, provided for in these rules, equipment a proved by the competent authority for the treatment of lagg products, fitted at least with :

- (i). In the case of pasteurization :
- --- Automatic temperature control
- --- A recording theremometer,
- An automaic safety device proventing insufficient heating:
- (ii) In the case of a continuous pasteurization system, the equipment must also be fitted with :
 - An adequate safety system preventing the mixture of pasteurized egg products with incompletely pateurized egg products, and
 - An automatic safety recording device preventing the aforementioned mixture;

6. A separate room for the storage of other food stuffs and e-ldHives:

7. Where the products are packed in disposable containers, in appropriate and, if necessary, separate area for the storage of such containers and the faw materials intended for their manufacture.

8. Facilities for the immediate removal and separate storage of emoty shells, and of eggs and egg products which are unfit for human consumption:

9. Suitable equipment for the hygienic plackaging of egg products;

10. To carry out analysis and examinations in accordance with the requirements of these rules on raw materials and ene products, the plant must have a laboratory. If it does not, it must secure the services of a laboratory, that fulfils these requirements. In the latter case, it shall inform the competent authority accordingly;

11. Where required, suitable equipment for the thawing of frozen end products which must undergo treatment and further handling in an approved plant;

12. A separate room for the storage of cleaning and disinfection of products,

ANNEXURE III

INCIENT PROTUBENENTS RELATING TO THE PRE-MISES, EQUIPMENT AND STAFF OF PLANTS

The highest devree of cleanliness must be required of staff, promises and equipment :

1. Staff who treat or handle eggs and egg products must, in particular, wear clean working clothes and headgear. They must wash and disinfect their hands several times in the course of each workine day and on each resumption of work. It must be forbidden to smoke, eat, shi or chew in areas where eggs and egg products are handled and stored:

2 No animal should enter in the plant. Any rodents, directs or other vermin found must be systematically destroyed; 2007, GU/97-6

3 Premises, equipment and instruments used for working on egg products must be kept clean and in a good condition. Equipment and instruments must be carefully cleaned and disinfected several times if necessary during the working day, at the end of the day's work and before being reused where they have been soiled. Closed pipeline systems for conveying egg products must be provided with an appropriate cleaning system which ensures their cleaning and disinfection in all parts. After having been cleaned and disinfected, pipes prust be rinsed out with potable water;

4. Premises, instruments and equipments must not be used for purposes other than the processing of egg products except the processing of other foodstuffs either simultaneously or at different times after the authorization of the competent authority has been obtained, provided that all appropriate measures are taken to prevent contemination of or adverse changes in the products covered by these rules;

5. Potable water must be used for all purposes, however non-potable water may be used in exceptional cases for steam production provided that the pipes installed for this purpose preclude the use of this water for other purposes and present no darger of contamination of eggs or egg products. In addition, the use of non-potable water may be authorized in exceptional cases for the cooling of refrigeration equipment. Non-potable water pipes must be clearly distinguished from pipes used for potable water;

Detergents, disinfectants and similar substances must be used and stored in such a way that instruments, equipment and end products are not adversely affected. Their use must be followed thorough rinsing of such instruments and equipment with polable water;

7. Persons who are possible sources of contamination must be prohibited from working with or handling egg or egg products;

8. Any person employed to work or handle eggs or egg products must be required to produce a medical certificate. The medical certificate must be renewed yearly unless another staff medical checkup scheme offering similar guarantees is recognised by the competent authority.

ANNEXURE IV

RFOUIRFMENTS CONCERNING FGGS INTENDED FOR THE MANUFACTURE OF EGG PRODUCTS

1. Eggs used for the manufacture of cgg products must be put up in suitable packaging.

2. (i) For the manufacture of egg products, only nonincubated eggs which are fit for human consumption may be used: their shells must be fully developed and contain not breaks;

(ii) By way of derogating from (i), cracked eggs may be used for the manufacture of egg products provided they are delivered directly from and the farm of production to an approved plant, where they shall be broken as quickly as possible.

3. Eggs and cag products which are unfit for human consumption must be removed and denatured in such a way that they cannot be re-used for human consumption. They must immediately be placed in the room provided for in point 8 of Annexure-II.

ANNEXURE V

SPECIAL HYGIENF REOUREMENTS FOR THE MANUFACTURE OF EGG PRODUCTS

All operations must be carried out in such a way as to avoid all contamination during the production, handling and storage of egg products and in particular;

1. Eggs and eas products presented for subsequent treatment at an approved plant must be stored immediately on arrival in the rooms provided for in Aunexure-IJ point 1 until they are processed. The temperature of these rooms must be such as to ensure that they are not contaminated. Travs of shell ergs should not be placed directly on the flour;'

2. Eggs must be unpacked, and, if necessary, washed and disinfected, in a room which is separate from the breaking room, packaging material should not be taken into the breaking room;

3. Eggs must be broken in the room provided for Annexure-II, point 3(i); cracked eggs as mentioned Annexure-IV, point 2(ii) must be processed without delay; in

4. Dirty eggs must be cleaned before being broken; this must be carried out in a room which is separate from the breaking room or from any room where exposed egg contents are handled. Cleaning procedure must be such as to prevent contamination or adulteration of the egg con-tents. Shells must be sufficiently dry at the time of breaking to prevent adulteration of the egg contents by the remains of the cleaning water;

5. Eggs other than hen eggs or those of turkeys or guinea fowl must be handled and processed separately. All equipment must be cleaned and disinfected when processing of hen eggs and those of turkeys and guine fowl is resumed ;

6. Breaking, whatever procedure is used, must be carried out in such a way as to avoid as far as possible contamination of the egg contents. To that end, the contents of eggs may not be obtained by the centrifugation or crushing of eggs, nor may centrifugation be used to obtain the remains of egg whites from empty shells. The remains of shells or membranes must be kent out of the egg product as far as possible and must not exceed the quantity specified in point 2(iii) of Annexure-VI;

7. After breaking, each particle of egg product must under-7. After breaking, each particle of egg product must indica-go treatment as quickly as possible: heat treatment consists of treating the egg product at an appropriate temperature for an appropriate period in order to eliminate any pathogenic organisms present. During heat treatment, tem-peratures must be repistered continuously. The records of each batch having undergone treatment must be kept at the disposal of the competent authority for two years. A batch which has been insufficiently treated may immediately undergo treatment again in the same plant provided that the new treatment renders it fit for human consumption. should it he found to be unfit for human consumption, it must be denatured in accordance with point 3 of Annexure-JV:

8. If treatment is not carried out immediately after breakne, the end contents must be stored under satisfactory hygienic conditions either frozen or at a temperature of not more than 4 Degree Calcius. The storage period at 4 Degree, Celcius must not exceed 48 hours, except in the case of incredients to be desugared;

9. The following general conditions are complied with :

- (i) They must be nackaned checked, transported and handled in accordance with the requirements of these rules:
- (ii) They must be labelled in accordance with the reunirements Isid down in Appevure-XI. The nature of the roods must be indicated as follows :

'non restenrized eer products-to be treated at place of destination-date and time of breaking;

10. Further processing operations after treatment must ensure that there is no recontamination of the ere product: liquid products or concentrated products which have not been stabilized so as to keep at room temperature must be either dried or cooled to a temperature not exceeding 4 Degree Celeius immediately, or after undergoing a fermentution process: products for freezing must be frozen immediately after treatment

11. For products must be kept at the temperatures reoutred by these rules until they are used for the manufacture of other foodstuffs:

12 In approved plants, the preparation of egg products from raw materials which are not suitable for the manu-facture of foodstuffs is prohibited, even for non-food purposes,

ANNEXURE VI

ANALYTICAL SPECIFICATIONS

1. MICROBIOLOGICAL CRITERIA :

All batches of egg products must, after treatment, underso microbiological checks by sampling in treatment plants in order to guarantee that they meet the following meet the following criteria :

- (i) Salmonellae · absence in 25 g or ml of egg products; (ii) Other criteria :
- Mesohilic aerobic bacteria : M=10⁵ in 1 g or 1 ml. . _ .
 - : $M = 10^{\circ}$ in $\cdot g$ or - Enterobacteriaceae l ml
 - -- Etaphylococci ; absence in 1 g of egg product,
- M=value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more sample units is M or more.

2. OTHER CRITERIA :

All batches of egg products must undergo checks by sampling in treatment establishments in order to guarantee that they meet the following criteria :

- (i) The concentration of 3 OH-butyric acid must not exceed 10 mg/kg in the dry matter of the unmodified egg products;
- (ii) In order to ensure the hygienic handling eggs and egg products before treatment, the following standards shall apply :
 - The lactic acid content must not exceed 1000 mg/kg of egg products dry matter (applicable only to the untreated product).
 - The succinic acid content must not exceed 25 mg/kg of egg product dry matter,
- In the case of fermented products, however, these values are those recorded before the fermentation process;
- (iii) The quantity of egg shell remains, egg membrane and any other particles in the egg produce must not exceed 100 mg/kg of egg product;
- (iv) The residual quantities of the substances may not exceed the tolerances limits.

ANNEXURE VII

HEALTH CONTROL AND SUPERVISION OF PRODUCTION

1. Plants will be subject to supervision by the competent authority Supervision by the competent authority will include any supervision measures considered necessary to ensure that manufacturers of egg products meet the requirements of these rules, and in particular :

- Checks on the origin of eggs and the destination of egg products and of the records.
- Inspection of eggs intended for the manufacture of egg products.
- Inspection of egg products on despatch from the plants.
- Verification of the cleanliness of the premises, facilities and instruments and of staff hygiene.
- Taking of any samples required for laboratory tests to ensure that eggs and egg products comply with the requirements of

- -

these rules the results of such tests must be entered in a register and notified to the egg products manufacturer.

2. At the request of the competent authority, manufacturers of egg products must increase the frequency of the laboratory tests where this is considered' necessary to ensure hygienic production of the egg products.

ANNEXURE VIII

PACKAGING OF EGG PRODUCTS

1. Egg products must be packaged in satisfactory hygiene conditions so as to ensure that they are not contaminated.

Containers must comply with all rules of hygiene, including the following :

- They must not be such as to impair the organoleptic characteristics of the egg products;
- They must not be capable of transmitting to the egg products sustances harmful to human health;
- They must be strong enough to protect the egg products adequately.

2. The room in which containers are stored must be dust and vermin free; materials for making disposable containers must not be stored on the floor.

3. Containers used for egg products must be cleaned prior to being filled ; re-usable containers must be cleaned, disinfected and reinsed before being filled.

4. Containers must be brought into the work room in a hygienic manner and must be used without undue delay.

5. Immediately after packaging, the containers must be closed and placed in the storage rooms referred to in Annexure—II, point I.

6. Containers intended for egg products may be used for other loodstuffs if required, provided they are cleaned and disinfected so as not to contaminate the egg products.

7. Containers which are to be used for the transport of egg products in bulk must comply with all the rules of hygiene, and in particular the following :

- Their inside surfaces and any other part which may come into contact with the egg product must be made of a smooth material which is easy to wash, clean and disinfect, resists corrosion and does not transfer substances to the egg product in such quantities as to endanger human health, cause deterioration in the composition of the egg product or adversely affect its organoleptic characteristics;
- They must be designed so that the egg product can be removed completely, if they are fitted with taps, these must be easy to

remove, dismantle, wash, clean and disinfect;

- They must be washed, cleaned, disinfected and rinsed immediately after each use and, if necessary, before re-use.

- They must be appropriately sealed after being filled and remain scaled during transportation until they are used ;
- -- They must be reserved for the transport of egg products.

ANNEXURE IX

STORAGE

1. Egg products must be stored in the storage rooms referred to in point 1 and Annexure-II.

2. Egg products for which certain storage temperatures are required must be maintained at those temperatures. The storage temperatures must be recorded continuously, the cooling rate must be such that the product reaches the required temperatures as quickly as possible and the containers must be stored in such a way that air can freely circulate round them.

3. The temperature in storage must not exceed the following values :

- Deep frozen products—18 Degree Celcius.
- Frozen products-12 Degree Celcius.
- --- Chilled products +4 Degree Celcius.
- --- Dehydrated products (excluding egg whites) -- 15 Degree Celcius.

ANNEXURE X

TRANSFORT

1. Vehicles and containers for the transport of egg products must be designed and equipped in such a way that the temperature required by these rules can be maintained continuously throughout the period of transport.

2. Egg products must be despatched in such a way that they are adequately protected during transportation from anything which may be detrimental to them.

3. The temperatures prescribed in point 3 of Annexure-IX, must be maintained during transport.

ANNEXURE XI

MARKING OF EGG FRODUCTS

1. Every consignment of egg products in the plant must have label bearing the following particulars :

- (i) EITHER :
 - On the upper part, the initial letter or letters of the consigning country in capital, i.e. B|D|DK|KL|ESP|F|IRL|I|L|NL|P|UK, followed by the approval number of the plant

- On the lower part, one of the following sets of initials : CEE EEC-EEG-EOK-EWG-EOF ;
- (ii) OR :
 - On the upper part, the name of the consigning country in capitals ;
 - In the centre, the approval number of the plant ;
 - --- On the lower part, one of the following sets of initials : CEE-EFC-EEG-EOK-EWG-EOF ;

(iii) The temperature at which the egg products must be maintained and the period during which their conservation may thus be assured. The label must be legible, indelible and in easily decipherable characters.

2. The transport documents must in particular include :

- (i) The nature of the products with an indication of the species of origin;
- (ii) The batch numbers ;
- (iii) The place of destination and the name and address of the first addressee.
- (iv) This information, and that contained in the mark of wholesomeness, must be given in the Official language or language of the country of destination.
- ANNEXURE XII (APPLICABLE FOR EXPORT TO USA)
 - I. SANITARY, PROCESSING AND FACI-LITY REQUIREMENTS :

1. PLANT REQUIREMENTS :

1.1 The plant shall be free from objectionable odours, dust, and smokeless air.

1.2 The premises shall be free from refuse, rubbish, waste, and other materials and conditions which constitute a source of odours or a harbour for insects, rodents, and other vermin.

1.3 The buildings shall be of sound construction and kept in good repair to prevent the entrance or harbouring of vermin.

1.4 Rooms shall be kept free from refuse, rubbish waste materials, odours, insects, rodents, and from any conditions which may constitute a source of odours or engender insects and rodents. Materials and equipment not currently needed shall be handled or stored in a manner so as not to constitute a sanitary hazard.

1.5 Doors and windows that open to the outside shall be protected against the entrance of flies and other insects. Doors and windows, serving rooms where edible product is exposed shall be so designed and installed to prevent the entrance of dust and dirt. Doors leading into rooms where edible product is processed shall be of solid construction and such doors, other than freezer and cooler doors, shall be fitted with self-closing devices.

1.6 Doors and other openings which are accessible to rodents shall be of rodent-proof construction.

1.7 There shall be an efficient drainage and plumbing system for the plant and premises. Drains and gutter shall be properly installed with approved traps and vents. The sewage system shall have adequate slope and capacity to readily remove waste from the various processing operations. Floor drains shall be equipped with traps, and constructed so as to minimize clogging. In new or remodelled construction the drainage systems from toilets and lavoratories shall not be connected with other drainage systems within the plant.

1.8 The water supply (both hot and cold) shall be ample, clean, and potable, with adequate pressure and facilities for its distribution throughout the plant or portion thereof utilized for egg processing and handling operations and protected against contamination and pollution

1.9 The floors, walls, ceiling partitions, posts, doors, and other parts of all structures shall be of such materials, construction, and finish to permit their ready and thorough cleaning. The floors and curbing shall be water-tight.

1.10 Each room and each compartment in which any shell eggs or egg products are handled or processed shall be so designed, constructed, and maintained to ensure processing and operating conditions of a clean and orderly character, free from objectionable odours and vapours, and maintained in a clean and sanitary conditions.

1.11 Every precaution shall be taken to exclude dogs, cats, and vermin (including, but not being limited to, rodents and insects) from the plant, or portion thereof utilized in which shell eggs or egg products are handled or stored.

- 1.12 (i) There shall be a sufficient number of adequately lighted dressing rooms and toilet rooms, ample in size, conveniently located and seperated from the rooms and compartments in which shell eggs or egg products are handled, processed, or stored. The dressing rooms and toilet rooms shall be seperately ventilated, and shall meet all requirements as to sanitary construction and equipment.
 - (ii) The following formula shall serve as a basis for determining the toilet facilities required :

PFRSON	OF SAME S		BOWLS QUIRED
01 to 15,	ihclusive	******	1
16 to 35, 36 to55,	inclusive inclusice		3
* 56 to 80, * For eabh add	inclusive itiohal20 perse	ons	4
4 n excess 80		······································	

3958

1.13. Lavoratory accommodations (including, but not being limited to, hot and cold running water, single service towels, and soap which does not impart an odour which interferes with accurate evaluation of the product) shall be placed at such locations in the plant to assure cleanliness of each person handling any shell eggs or egg products. The hand washing facilities in the processing areas shall be operated by other than hand operated controls and the drains shall be trapped and connected to the plumbing system.

1.14 Suitable facilities for cleaning and sanifizing utensils and equipment shall be provided at convenient locations through-out the plant.

1.15 Refuse rooms shall be provided for the accumulation and storage of shells, trash and other refuse. There shall be separate rooms completely enclosed without door ways opening into breaking rooms or rooms where egg products or packaging materials are handled or stored and have concrete floors with approved drains, facilities for cleaning and an approved exhaust system vented to the outside. Alternative systems of handling shells, trash and other refuse may be approved by the Competent Authority when such system adequately contain all refuse and provide equivalent sanitary methods for the handling and removal of refuse.

2. EQUIPMENT AND UTENSILS : POLY-CHLORINATED BIPHENYLS (PCB) CON-TAINING EQUIPMENT

2.1 Equipment and utensils used in processing shell eggs and egg products shall be of such design, material and construction as will :

- (i) Enable the examination, segregation and processing of such products in an efficient, clean and satisfactory manner;
- (ii) Permit easy access to all parts to insure thorough cleaning and sanitizing. So far as is practicable, all such equipment shall be made of metal or other impervious material which will not affect the product by chemical action or physical contact.

2.2 Except as authorized by the Competent Authority in new or remodeled equipment and its installations, the equipment installed shall comply with the applicable Sanitary Standards and Accepted Practices in effect for such equipment.

2.3 New or replacement equipment or machinery (including any replacement parts) brought on to the premises of any approved plant shall not contain liquid polychlorinated biphenyls (FCBs) in concentrations above 50 PPM by weight of the liquid medium. This provision applies to both food processing and non-food processing equipment and machinery and any replacement part for such equipment and machinery. Totally enclosed capacitors containing less than 3 pounds of PCBs are exempted from this prohibition.

3. GENERAL OPERATING PROCEDURE :

3.1 Operations involving processing, storing, and handling of shell eggs, ingredients and egg products shall be strictly in accordance with clean and sanitary methods and shall be conducted treatment, stabilization and other processes shall be in accordance with this part and as approved by the Competent Authority. Processing methods and temperatures in all operations shall be in such a way as will prevent deterioration of the egg products.

3.2 Shell eggs and egg products processed in approved plants shall be subjected to constant and continuous inspection throughout each and every processing operation. Any shell egg or egg product which has not been processed in accordance with these regulations or is not fit for human food shall be removed and segregated.

3.3 All loss and inedible eggs or egg products shall be placed in a container clearly labelled "inedible" and containing a sufficient amount of approved denaturant or decharacterant, such as brown, blue, black or green colours, meat grain and milling by-products or any other products as approved by the Competent Authority, that will accomplish the pur-poses of this section. Shell eggs shall be crushed and the substance shall be dispersed through the product in amounts sufficient to give the product a distinctive appearance or odour. Netwithstanding the foregoin, and upon permission of the Competent Authority the appearance or odour. Notwithstanding the foregoing, clearly labelled inedible which do not contain a denaturant if such inedible product is denatured or decharacterized prior to shipment from the approved plant: provided, that such product is properly packaged, labelled, segregated and inventory controls are maintained. In addition, product shipped from the approved plant for industrial use or animal food med not be denatured or decharacterized if it is shipped under Government seal.

3.4 The Competent Authority may, prior to receipt of laboratory results for salmonella, or for other reasons such as labelling as to solids content, permit egg products to be shipped from the approved plant when they have no reason to suspect non-compliance with any of the provisions of this Annexure. However, such shipments shall be made under circumstances which will assure the return of the product to the plant for reprocessing, relabelling, or under such other conditions as the Competent Authority may determine to assure compliance with this Annexure.

3.5 Pasteurizing stabilizing, or drying operations shall start as soon as practicable after breaking to prevent deterioration of product preferably within 72 hours from time of breaking for egg products other than whites which are to be desugared. 3.6 Each person who is to handle any exposed or unpacked egg products or any utensils or container which may come into contact with egg product, shall wash his hands and maintain them 12 a clean condition.

3.7 No product or material which creates an objectionable condition shall be processed, stored or handled in any room, compartment, or place where any shell eggs or egg products are processed stored or handled.

3.8 Only germicides, insecticides, rodenticides, detergents, or wetting agents or other similar componds which will not deleteriously affect the eggs or egg produc's and which have been approved by the Competent Authority may be used in an approved plant. The use of such compounds shall be in a manner satisfactory to the Competent Authority.

3.9 Utensils and equipment which are contaminated during the course of processing any shell eggs or egg products shall be removed from use immediately and shall not be used again until cleaned and sanitized.

3.10 Any substance or ingredient added in the processing of any egg product shall be clean and fit for human food.

3.11 Packages or containers for egg products shall be of sanitary design and clean when being filled with any egg products and all reasonable precautions shall be taken to avoid soiling or contaminating the surface of any package or container liner which is, or will be, in direct contact with such egg products. Only new containers or used containers that are clean, in sound condition and lied with suitable inner lining shall be used for packaging edible egg products. Fiber containers used without liners nequire the approval of the Competent Authority.

3.12 Egg products shall be inspected to determine the wholesomeness of the finished product.

3.13 Egg products shall be processed in such a manner as to ensure the immediate removal of blood and meat spots, shell particles, and foreign materials.

3.14 Utensils and equipment, except drying units, powder conveyors, sifters, blenders, and mechanical powder coolers shall be cleaned and sanitized at the start of processing operations. Equipment and utensils shall be kept clean and sanitized during all processing operations.

3.15 Egg products prior to being released into consuming channels shall be pasteurized in accordance with para 26 of this Annexure except that dried whites prepared from unpasteurized liquid shall be heat treated in accordance with para 27 of this Annexure.

(i) To a sure adequate pasteurization, egg products shall be sampled and tested for the presence of salmonella. Sampling for the presence of salmonella shall be in accordance with IJ of Annexure-XII and product if found to be salmonella positive shall be reprocessed, pasteurized, and analyzed for the presence of salmonella, or denatured. (ii) Unpasteurized or salmotella positive egg product may be pasteurized, repasteurized, or heat treated in an approved plant. The containers of such unpasteurized or salmonella positive product shall be marked with the identification mark shown in Figure 3 of Annexure-XIII.

<u>_____</u>

3.16 Air which is to come in contact with product or with product contact surfaces shall come from approved filtered outside air sources.

3.17 All liquid and solid waste material in the approved plant shall be disposed off in a manner approved by the Competent Authority to prevent product contamination and in accordance with acceptable environmental protection practices.

4. Candling and Transfer-room facilities and Equipment ;

4.1 The room shall be so constructed that it can be adequately darkened to assure accuracy in removal of inedible or loss eggs by candling. Equipment shall be arranged so as to facilitate cleaning and the removal of refuse and excess packing material.

4.2 The construction of the floor shall allow thorough eleaning. The floors shall be of water-resistant composition and provided with proper drainage.

4.3 An approved exhaust system shall be provided for the continuous removal directly to the outside of any steam, vapours, odours, or dust in the room. The room shall be maintained at reasonable working temperatures during operations.

4.4 Candling devices of an approved type shall be provided to enable candlers to detect loss, inedible, dirty, or checked eggs and eggs other than hen's eggs.

4.5 Leaker trays shall be made of a material and of such design that is conducive to easy cleaning and sanitizing.

4.6 Containers made out of material and of such design, which are conducive to easy cleaning shall be provided for inedible eggs. All such containers shall be conspicuously marked.

4.7 Containers made out of material and of such design, which are conducive to easy cleaning shall be provided for trash unless clean, disposable containers are furnished daily.

4.8 Shell egg conveyors shall be constructed so that they can be thoroughly cleaned.

5. Candling and Transfer-room Operations :

5.1 Candling and transfer rooms and equipment shall be kept clean, free from cobwebs, dust, objectionable odours and excess packing materials.

5.2 Containers for trash and medible eggs shall be removed from the candling rooms, as often as necessary, but at least once daily; and shall be cleaned and treated in such a manner as to prevent objectionable odours or conditions in the plant. 5.3 Shell eggs shall be handled in a manner to minimize sweating prior to breaking.

5.4 Shell eggs with extensively damaged shells, unless prohibited under 6.4 of this Annexure shall be placed into leaker trays and shll be broken promptly.

6. Classifications of shell eggs used in the processing of egg products :

6.1 The shell eggs shall be sorted and classified into the following categories in a manner approved by the Competent Authority.

- (i) Eggs listed in paragraph 6.4 of this Annexure.
- (ii) Dirty.
- (iii) Leakers as described in paragraph 6.3(ii) of this Annexure.
- (iv) Eggs from other than chicken, duck, turkey, guinea, fowl and goose eggs.
- (v) Other eggs-satisfactory for use as breaking stock.

6.2 Shell eggs having strong odours or eggs received in cases having strong odours shall be candled and broken separately to determine their acceptability.

6.3 Shell eggs, when presented for breaking, should be of edible interior quality and the shell has to be sound and free from adhering dirt and foreign material except that :

- (i) Checks and eggs with a portion of the shell missing may be used when the shell is free of adhering dirt and foreign material and the shell membranes are not ruptured.
- (ii) Eggs with clean shells which are damaged in candling and/or transfer and have a portion of the shell and shell membranes missing may be used only when the yolk is unbroken and the contents of the egg are not exuding over the outside shell. Such eggs shall be placed in leaker trays and be broken promptly.
- (iii) Eggs with meat or blood spots may be used if the spots are removed in an acceptable manner.

6.4 All loss or incdible eggs shall be placed in a designated container and be handled as required in 3.3 of this Annexure. Inedible and loss eggs for the purpose of this Annexure and 9.9 of this Annexure are defined to include black rots, white rots, mixed rots, green whites, eggs with diffused blood in the albumen or on yolk, crusted yolks, stuck volks, developed embryos at or beyond the blood ring stage, mouldy eggs, sour eggs and eggs that are adulterated as such term is defined pursuant to this part, and any other filthy and decomposed eggs including the following :

(i) Any egg with visible foreign matter other than removable blood and meat spots in the egg meat.

- (ii) Any egg with a portion of the shell and shell membranes missing and with egg meat adhering to or in contact with the outside of the shell.
- (iii) Any egg with dirt or foreign material adhering to the shell and with cracks in the shell and shell membranes.
- (iv) Liquid egg recovered from shell egg containers and leaker trays.
- (v) Open leakers made in the washing operation.
- (vi) Any egg which shows evidence that the contents are or have been exuding prior to transfer from the case.

6.5 Incubator reject eggs shall not be brought into the approved plant.

7. Egg Cleaning Operations :

7.1 The following requirements shall be met when washing shell eggs to be presented for breaking.

- (i) Shell egg cleaning equipment shall be kept in good repair and shall be cleaned after each day's use or more frequently, if necessary.
- (ii) The temperature of the wash water shall be maintained at 32 Degree C or higher, and shall be atleast 11 Degree C warmer than the temperature of the eggs to be washed. These temperature shall be maintained throughout the cleaning cycle.
- (iii) An approved cleaning compound shall be used in the wash water. (The use of metered equipment for dispensing the compound into solution is recommended).
- (iv) Wash water shall be changed approximately every 4 hours or more often if needed to maintain sanitary conditions and at the end of each shift. Remedial measures shall be taken to prevent excess foaming during the egg washing operation.
- (v) Replacement water shall be added continuously to the wash water of washers to maintain a continuous overflow. Rinse water and chlorine sanitizing rinse may be used as part of the replacement water. Iodine sanitizing rinse may not be used as part of the replacement water.
- (vi) Waste water from the egg washing operation shall be piped directly to drains.
- (vii) The washing operation shall be continuous and shall be completed as rapidly as possible. Eggs shall not be allowed to stand or soak in water. Immersion-type washers shall not be used.
- (viii) Prewetting shell eggs prior to washing may be accomplished by spraying a continuous flow of water over the eggs in a manner which permits the water to drain away, or by other methods which may be approved by the Competent Authority. The tempe-

rature of the water shall be the same as prescribed in this Annexure.

(ix) – Washed eggs shall be spray rinsed with an approved sanitizer of not less than 100 PPM nor more than 200 PPM of available chlorine its equivalent.

7.2 Shell eggs shall not be washed in the breaking room or any room where edible products are procossed.

7.3 Shell eggs shall be sufficiently dry at time of breaking, to prevent contamination or adulteration of the liquid egg products from free moisture on the shell.

8. Breaking room facilities :

8.1 The breaking room shall have atleast 30 footcandles of light on all working surfaces exceed that light intensity shall be atleast 50 feet candles at breaking and inspection stations. Lights shall be protected with adequate safety devices.

8.2 The surface of the ceiling and walls shall be smooth and made of water-resistant material.

8.3 The floor shall be of water-proof composition, reasonably free from cracks or rough surfaces sloped for adequate drainage, and the intersections with walls he impervious to water.

S.4 Ventilation shall provide for := -

- (i) A positive flow of outside filtered air through the room;
- (ii) Air of suitable working temperature during operations.

8.5 There shall be adequate hand washing facilities. which are easily accessible to all egg breaking personnel, and adequate supply of warm water, clean towels or other facilities for drying hands, odourless coap, and containers for used towels. Hand washing facilivies shall be operated by other than hand operated controls.

8.6 Containers for packaging egg products are not acceptable as liquid egg buckets.

8.7 A suitable container conspicuously identified shall be provided to the disposal of ejected liquid.

8.8 Strainers, filters, or centrifugal clarifiers of approved construction shall be provided for the effective removal of shell particles and foreign material, unless specific approval is obtained from the Competent Authority for other mechanical devices.

8.9 A separate drawoff room with a filtered positive air ventilation system shall be provided for packaging liquid egg product, except product packaged by nutotratic, closed packaging systems.

9. Breaking room operations :

9.1 The beaking room shall be kept in a dust-free clean condition and free from flies, insects, and

redents. The floor shall be kept clean and reasonably dry during breaking operations and free of egg meat and shells.

9.2 All breaking room personnel shall wash their hands thoroughly with odourless soap and water each time they enter the breaking room and prior to receiving clean equipment after breaking on inedible egg.

9.3 Paper towels or tissues shall be used at breaking tables, and shall be reused. Cloth towels are not permitted.

9.4 Breakers shall be use a complete set of clean equipment when starting work and effect unch periods. AB table equipment shall be totated with clean equipment every 2-5 hours.

9.5 Cups shall not be filled to overlowing,

9.6 Each shall egg shall be broken in a satisfactory and sanitary manner and inspected for wholesomeness by smelling the shell or the egg meat and by visual examination at the time of brocking. All egg meat shall be re-examined by a person qualified to perform such functions before being empited into the tank or churn, except as otherwise approved by the Competent Authority.

9.7 Shell particles, meat and blood spots, and other foreign material accidentally falling into the cups or trays shall be removed with a spool or other approved instrument.

9.8 Whenever an inedible egg is broken, the affeced breaking equipment shall be closed and sanitized.

9.9 Inedible and loss eggs as defined in 6 of this Annexure should apply.

9.10 The contents of any cup or other liquid egg receptable containing one or more inedible or loss eggs shall be rejected.

3.11 Contents of drip trays shall be emptied into a cup and smelled carefully before pouring into liquid egg bucket Drip trays shall be emptied at least once for each 15 dozen eggs or every 15 minutes.

9.12 Edible leakers as defined in 6.3(ii) of this Annexure and checks which are liable to be smashed in the breaking operation shall be broken at a separate station by specially traind personnel.

9.13 Ingredients and additives used in, or for, processing egg products, shall be handled in a clean and sanitary manner.

9.14 Liquid: egg containers shall not pass through the candling room.

9.15 Test kits shall be provided and used to determine the strength of the canitizing solution.

9.16 Leaker trays shall be washed and sanitized, whenever they become soiled and at the end of each shift.

9.17 Shell egg containers whenever dirty shall be cleaned and drained; and shall be cleaned, sanitized, and drained in the tend of each shift

- ----

9.18 Belt type shell egg conveyors shall be cleaned and sanitized approximately every 4 hours, in addition to continuous cleaning during operation. When not in use, belts shall be raised to permit air drying.

9.19 Cups, knives, facks, separators, trays, spoons liquid egg pails, and other breaking equipment, except for mechanical egg breaking equipment, shall be cleaned and sanitized at least every 2-3 hours. This equipment shall be cleaned at the end of each shift and shall be cleaned and sanitized immediately prior to use.

9.20 Utensils and dismantled equipment shall be drained and sir dried on approved self-draining metal tacks and shall not be nested.

9.21 Dunp tanks, drawoff tanks, and churns shall be cleaned approximately every 4 hours. All such equipment and an other liquid handling equipment, unless cleaned by acceptable cleaned in place methods, shall be dismantled and cleaned after each shift. Pasteurization equipment shall be cleaned at the end of each day's use or more often if accessary. All such equipment shall be cleaned and shall be sonitized prior to placing in use.

9.22 Strainers, clarifiers, filtering and other devices used for removal of shell particles and other foreign material shall be cleaned and sanitized each time. It is necessary to change such equipment, but at least once each 4 hours of operation.

9.23 Breaking room processing equipment shall not be stored on the floor.

9.24 Metal containers and lids for other than dried products shall be thoroughly washed, rinsed, sanitized, and drained immediately, prior to filling. The foregoing sequence shall not be required if equally effective measures approved by the Competent authority inwriting are followed to assure clean and sanitary containers at the time of filing.

9.25 Iiquid egg holding wats and containers (inoluding tank trucks) used for transporting liquid eggs shall be cleaned after each use. Such equipment shall be cleaned and sanitized immediately prior to placing in use.

9.26 Tables, shell conveyors, and containers for inedible egg product shall be cleaned at the end of each shift.

9.27 Mechanical egg breaking machines shall be operated at a rate to maintain complete control and accurately inspect and segregate each egg to ensure the romoval of all loss and inedible eggs. The machine shall be operated in a sanitary manner.

(i) When an inedible egg is encountered on mechanical egg breaking equipment, the inedible egg and contaminated liquid shall be removed. The machine shall be cleaned and sanitized, or contaminated parts replaced with clean ones for the type of inedible egg encountered and the kind of egg breaking machine.

- (ii) Systems for pumping egg liquid directly from egg breaking machines shall be of approved sanitary design and construction, and designed to minimize the entrance of shells into the system and be disconnected when inedible eggs are encountered. The pipeline of the pumping system shall be cleaned or flushed as often as needed to maintain them in a sanitary condition, and they shall be cleaned and sanitized at the end of cach shift. Other pumping system equipment shall be cleaned and sanitized approximately every 4 hours or as often as needed to maintain it in a sanitary condition. All liquid egg pumped directly from egg breaking machines shall be re-examined, except as otherwise prescribed and approved by the Competent Authority
- (iii) Mechanical egg breaking equipment shall be cleaned and sanitized prior to use, and during operations, they shall be cleaned and sanitized approximately every 4 hours or more often, if needed, to maintain them in a sanitary condition. This equipment shall be cleaned at the end of each shift.

10. Liquid Egg Cooling :

10.1 Liquid egg storage rooms, including surface coolers and holding tank rooms, shall be kept clean and free from objectionable odours and condensation. Surface coolers and liquid holding vats containing product shall be kept covered while in use. Liquid cooling units shall be of approved construction and have sufficient capacity to cool all liquid eggs to the temperature requirements specified in this Annexure.

10.2 Compliance with temperature requirements applying to liquid eggs shall be considered as satisfactory only if the entire mass of the liquid meets the requirements.

10.3 The cooling and temperature requirements for liquid egg products shall be as specified in Table-I of this Annexure.

10.4 Upon written request and under such conditions as may be prescribed by the Competent Authority, liquid cooling and holding temperatures not otherwise provided for in this Annexure may be approved.

10.5 Agitators shall be operated in such a manner so as to minimise foaming.

10.6 When ice is used as an emergency refrigerant by being plyaced directly into the egg meat, the source of the ice must be certified by the local or State Board of health approved by State Health Authority or other Agency or Laboratory acceptable to the Competent Authority as safe and suitable for food processing.

11. Liquid Egg Holding :

11.1 Tanks and vats used for holding liquid eggs shall be of approved construction, fitted with covers, and located in rooms maintained in a sanitary condition. Notwithstanding the foregoing, tanks designed for installation partially outside of a room or building are acceptable, providing all openings into the tanks terminate in the processing room.

11.2 Liquid egg holding tanks or vats shall be equipped with suitable thermometers and agitators.

11.3 Inlets to holding tanks or vats shall be such as to prevent excessive foaming.

11.4 Gaskets, if such, shall be of a sanitary type.

12. Freezing Facilities :

12.1 Freezing rooms, either on or off the premises shall be capable of freezing all liquid egg products in accordance with the freezing requirements as set forth in 13 of this Annexure. Use of off-premise freezing facilities is permitted only when prior approval is obtained in writing from the Competent authority.

12.2 Adequate air circulation shall be provided in all freezing rooms.

13. Freezing operations :

13.1 Freezing rooms shall be kept clean and free from objectionable odours.

13.2 Requirements :

- (i) Unpasteurized egg products which are to be frozen shall be solidly frozen or reduced to a temperature of -12 Degrees C or lower within 60 hours from time of breaking.
- (ii) Pasteurized egg products which are to be frozen shall be solidly frozen or reduced to a temperature of -12 Degree C or lower within 60 hours from time of pasteurization.
- (iii) The temperature of the products not solidly frozen shall be taken at the centre of the container to determine compliance with this Annexure.

13.3 Containers shall be stacked so as to permit circulation of air around the containers.

13.4 The outside of liquid egg containers shall be clean and free from evidence of liquid egg.

13.5 Frozen egg products shall be examined by organoleptic examination after freezing to determine their fitness for human food. Any such products which are found to be unfit for human food shall be denatured and any official identification mark which appears on any container thereof shall be removed or completely removed or completely obliterated.

14. Defrosting Facilities :

14.1 Approved metal defrosting tanks or vats constructed so as to permit ready and thorough cleaning shall be provided. 14.2 Frozen egg crushers, when used, shall be of approved metal construction. The crushers shall permit ready and thorough cleaning and the bearings and housing shall be fabricated in such a manner as to prevent contamination of the egg products.

14.3 Service tables shall be of approved metal construction without open seams and the surfaces shall be smooth to allow thorough cleaning.

15. Defrosting operations :

15.1 Frozen egg products which are to be defrosted shall be defrosted in a sanitary manner.

15.2 Each container of frozen eggs shall be checked for condition and odour just prior to being emptied into the crusher or receiving tank. Frozen eggs which have objectionable odours and are unfit for human food (e.g., sour, musty, fermented, or decomposed odours) shall be denatured.

15.3 Frozen whites to be used in the production of dried albumen may be defrosted at room temperature. All other whites shall be defrosted in accordance with para 15.4 of this Annexure.

15.4 Frozen whole eggs, whites and yolks may be tempered or partially defrosted for not to exceed 48 hours at a room temperature no higher than 5 Degrees C or not to exceed 24 hours at a room temperature above 5 Degrees C : Provided, that no portion of the defrosted liquid shall exceed 10 Degrees C while in or out of the container.

- (i) Frozen eggs packed in metal containers may be placed in running cold tap water without submersion to speed defrosting.
- (ii) The defrosted liquid shall be held at 5 Degrees C or less except for product to be pasteurized or stabilized by glucose removal. Defrosted liquid shall not be held for more than 16 hours prior to processing or drying.

15.5 Sanitary methods shall be used in handling containers and removing egg product.

15.6 Crushers and other equipment used in frosting operations shall be dismantled at the end of each shift and shall be washed, rinsed, and sanitized:

- (i) Where crushers are used intermittently, they shall be flushed after each use and again before being placed in use.
- (ii) Floors and work tables shall be kept clean.

16. Spray process drying facilities :

16.1 Driers shall be of a continuous discharge type and so constructed and equipped to prevent an excess accumulation of powder in the drier, bags, and powder conveyors.

16.2 Driers shall be of approved construction and materials. with welded seams, and the surfaces shall be smooth to allow for thorough cleaning.

16.3 Driers shall be equipped with approved air intake filters.

16.4 Air shall be drawn into the drive from sources free from foul odours, dust, and dirt.

16.5 Indirect heat or the use of an approved premixing device or other approved devices for securing complete combustion in direct-fired units is required. A premix-type burner, if used, shall be equipped with approved air filters at blower intake

16.6 High-pressure pump heads and liges shall be φ_1 stainless steel construction or equivaler' which will fallow for thorough cleaning.

16.7 Prcheating units, if used, shall be of stainless steel construction, or equivalent which will allow thorough cleaning.

16.8 Power conveying equipment shall be so constructed as will facilitate thorough cleaning.

16.9 Sifters shall be constructed of an approved inetal or metal lined interior. The sifting screens and frames shall be of an approved <u>metal</u> construction. Sifters shall be so constructed that accumulations of large particles or lumps of dried eggs can be removed continuously while the sifters are in operation

17. Spray process drying operations ----

17.1 The drying room shall be kept in a clean condition and free of flies, insects, and rodents.

17.2 Low pressure lines, high pressure lines, high and low pressure lines, high and low pressure pumps, homogenizers, and pasteurizers shall be cleaned by acceptable in place cleaning methods or dismantled and cleaned after use or as necessary when operations have been interrupted.

- (i) Spray nozzles, orifices, cores, or whizzers shall be cleaned immediately after cessation of drying operations.
- (ii) Equipment shall be sanitized within 2 hours prior to resuming operations.

17.3 Drying units, conveyors, sifters, and packaging systems shall be cleaned whenever wet powder is encountered or when other conditions occur which would adversely affect the product. The complete drying unit including sifters, conveyors, and powder coolers shall be either wet washed or dry cleaned. A combination of wet washing and dry cleaning of the complete drying unit shall not be permitted unless that segment of the unit to be cleaned in a different manner is completely detached or disconnected from the balance of the drying unit.

- (i) Sifters and conveyors used for other than dried albumen shall be cleaned of powder when such equipment is not to be used for a period of 24 hours or longer.
- (ii) Collector bags shall be cleaned as often as needed to maintain them in an acceptable clean condition.

17.4 Powder shall be sifted and the screen shall be replaced whenever torn or worn.

17.5 Accumulations of large particles or lumps of dried eggs shall be removed from the sifter screens continuously.

17.6 All openings into the drier around ports, augers, high-pressure lines, etc., shall be closed to the extent possible during the drying operation to prevent entrance of unfiltered air.

17.7 Openings into the drying unit shall be closed when the drier is not in use, except when the drying unit has been completely emptied of powder and wet washed. This includes, but is not limited to. openings, for the air intake and exhaust systems. nozzle openings, ports, augers. etc.

18. Spray Process Powder : Definitions and Requirements.

- 18.1 Definition of product :
 - (i) "Primary powder" is that powder which is continuously removed from the primary or main drying chamber while the drying unit is in operation.
 - (ii) "Secondary powder" is that powder which is continuously and automatically removed from the secondary chamber and/or bag collector chamber while the drying unit is in operation.
- (iii) "Sweep-down powder" is that powder which is recovered in the brush-down process from the primary or secondary chamber and conveyors.
- (iv) "Brush bag powder" is that powder which is brushed from the collector bags.

18.2 Secondary powder shall be continuously discharged and mixed with the primary powder by methods approved by the Competent Authority.

18.3 Edible dried egg products, including edible ingredients which may be added to such dried products, may be dry blended. provided, that the blending is done in a room as provided in 21 of this Annexure or in a closed blending system and in accordance with clean, sanitary practices and such procedures as may be prescribed by the competent Authority.

18.4 Any edible, dried egg powder may be reconstituted, repasteurized, and redried when accomplished in a clean, sanitary manner and in accordance with such procedures as may be prescribed by the Competent Authority.

18.5 Edible dried egg powder obtained from the sweep down, screenings, brush bag (except for brush bag powder from albumen driers), and improperly dried or scorched powder shall be reconstituted, repatseurized, and redried

18.6 Approximately the first and last 80 kgs of powder from the main driers for each continuous operation shall be checked for improperly dried or scorched powder.

19. Albumen Flake Process Drying Facilities :

19.1 Drying facilities shall be constructed in such a manner as will allow thorough cleaning and be equipped with approved intake filters.

19.2 The intake air source shall be free from foul odours, dust and dist.

19.3 Premix type burners, if used, shall be equipped with approved airfalters at blower intake.

19.4 Fermentation tanks, drying pans, trays OF belts, scrapers curing racks, and equipment used for pulverizing pan dried albumen shall be constructed of approved materials in such a manner as will permit thorough cleaning.

19.5 Sifting screens shall be constructed of approved materials in such a manner as will permit thorough cleaning and be in accordance with the specification for the type of albumen produced.

20. Albumen flake process drying operations .

20.1 The fermentation drying, and curing rooms shall be kept in a dustfree condition and free of flies, insects, and rodents

20.2 Drying units, racks, and trucks shall be kept in a clean and seritary condition.

20.3 Drying pans, trays, belts, scrapers, or curing racks, if used, shall be kept in a clean condition

20.4 Oils and waxes used in oiling drying pans or trays shall be of edible quality.

20.5 Equipment used for pulverizing or sitting dried albumen shall be kept in a clean condition.

21. Drying, Blending, Packaging and heat treatment rooms and facilities :

21.1 General : Processing rooms shall be maintained in a clean condition and free of flies, jusects, and rodents. The drying, blending, and packaging rooms shall be well-lighted and have ceilings and walls of a tile surface, enamel paint, or other waterresistant material.

- The floors shall be free from cracks or (i) rough surfaces where water or dirt could accumulate.
- (ii) The intersections of the walls and floors shall be impervious to water and the floor shall be sloped for adequate drainage.
- Metal storage racks or cabinets shall be (iii) provided for storing of tools and accessories.

21.2 Drying blending of edible egg products, including adding edible dry ingredients, and/or packaging of spraydried products shall be done in a room

separate from other processing operations. Dry blending may also be done in other areas provided that it is accompanied in an approved closed blending system.

ł

- Blending and packaging rooms for pasteu-(i) – rized products shall be provided with an adequate positive flow of approved outside filtered air.
- (ii) Blending and packaging equipment and accessories which come into contact with the dried product shall be of an approved construction without open seams and of or materials that can be kept clean and which will have no deleterious effect on the product. Service tables shall be of approved metal construction without open seams and surfaces shall be smooth to permit thorough cleaning,
- (iii) Package liners shall be inserted in a sanitary manner, and equipment and supplies used in the operation shall be kept off the floor,
- (iv)Utensils used in packaging dried eggs shall be kept clean at all times and whenever contaminated shall be cleaned and sanitized. When not in use, scoops, brushes, tampers, and other similar equipment shall be stored in sanitary cabinets or racks provided for this purpose.
- (v) Automatic container fillers shall be of a type that will accurately fill given quantities of product into the containers. Scales shall be provided to accurately check the weight of the filled containers. All equipment used in mechanically packaging dried egg products shall be vaccum cleaned daily.

21.3 The heat treatment room shall be of an approved construction and be maintained in a clean condition. The room or rooms shall be of sufficient size so that product to be heat treated can be so Spaced to assure adequate heat and air circulation. The room shall have an adequate heat supply and a continuous air circulation system.

22. Dried egg storage :

Dried egg storage shall be sufficient to adequately handle the production of the plant and shall be kept clean, dry, and free from objectionable odours.

23. Washing and Sanitizing room or area facilities :

23.1 This room or area shall be well lighted, and of sufficient size to permit operators to properly wash and sanitize all equipment at the rate required by the size of the operation. Adequate exhaust shall be provided to assure the prompt removal of odours and vapours and the air flow shall be away from the breaking room. If the washing and sanitizing is not done in a separate room, it shall be in an area well segregated from the breaking areas and well-ventilated with air movement directed away from thc breaking operations so that odours and vapours do not permeate the breaking areas.

3966

23.2 Ceiling and walls shall have a surface of tile, enamel paint, or other water-resistant material.

23.3 Floors shall be adequately sloped for proper drainage, be free from cracks or rough surfaces where water and dirt could accumulate and the intersections with walls shall be impervious to water,

24. Cleaning and sanitizing requirements :

- 24.1 Cleaning :
 - (i) Equipment used in egg processing operations which comes in contact with liquid eggs or exposed edible products shall be cleaned to eliminate organic matter and inorganic residues. This may be accomplished by any sanitary means but it is preferable (unless high pressure cleaning is used) to flush soiled equipment with clean cool water, dismantle it when possible, wash by brushing with warm water containing a detergent and followed by rinsing with water. It is essential to have the equipment surfaces thoroughly clean if effective sanitizing is to be attained.
 - (ii) Equipment shall be cleaned with such trequency as is specified elsewhere under the sanitary requirements for the particular kind of operation and type of equipment involved.
- (iii) C.I.P. (cleaned-in-place) shall be considered to be acceptable only if the methods and procedures used accomplish cleaning equivalent to that obtained by thorough manual washing and sanitizing of dismantled equipment. The Competent Authority shall determine the acceptability of C.I.P. cleaning procedures and may require bacteriological tests and periodic dismantling of equipment as a basis for such determination.
- 24.2 Sanitizing :
 - Sanitizing shall be accomplished by such (i) methods as approved by the Competent Authority,
 - (a) Chemicals and compounds used for sanirizing shall have approved by the Competent Authority.
 - (b) Sanitizing by use of hypochlorite or other approved sanitizing solutions shall be accomplished by subjecting the equipment surfaces to such sanitizing solution containing a maximum strength of 200 PPM of available chlorine or its equivalent. These solutions shall be changed whenever the strength drops to 100 PPM or less of available chlorine or its equivalent.
- (ii) Shell eggs which have been sanitized and equipment which have been sanitized and equipment which comes in contact with edible products shall be rinsed with clean water after sanitizing if other than hypochlorites are used as sanitizing agents un-

less or otherwise approved by the Competent Authority.

25. Health and hygine of personnel :

25.1 Personnel facilities, including toilets, lavatorics, lockers, and dressing rooms shall be adequate and meet requirements for food processing plants.

25.2 Toilets and dressing rooms shall be kept clean and adequately ventilated to eliminate odours and kept adequately supplied with soap, towels, and tissues. Toilet rooms shall be ventilated to the outside of the building.

25.3 No person affected with any communicable disease in a transmissible stage or a carrier of such disease or with boils, sores, infected wounds, or wearing cloth bandages on hands shall be permitted to come in contact with eggs in any form or with equipment used to process such eggs.

25.4 Workers coming into contact with liquid or dried eggs, containers, or equipment shall wear clean outer uniforms.

25.5 Plant personnel handling exposed edible product shall wash their hands before beginning work, and upon returning to work after leaving the work room.

25.6 Expectorating, or other unsanitary practices, shall not be permitted.

25.7 Use of tobacco in any form of the wearing of jewellery, nail polish, or perfumes shall not be permitted in any area, where edible products are exposed.

25.8 Hair nets or caps shall be properly worn by all persons in breaking and packaging rooms.

26. Pasteurization of Liquid Eggs :

26.1 Pasteurization facilities : The facilities for pasteurization of egg products shall be adequate and of approved construction so that all products will be processed as provided for in this Annexure. Pasteurization equipment for liquid egg product shall include a holding tube, an automatic flow diversion valve, thermal controls, and recording devices to determine compliance for pasteurization as set forth in para 26.2 of this Annexure. The temperature of the heated liquid egg product shall be continuously and automatically recorded during the process.

26.2 Pastcurizing operations : Every particle of all products must be rapidly heated to the required temperature and held at that temperature for the required minimum holding time as set forth in this Annexure. The temperatures and holding times listed in Table II of this Annexure are minimum. The product may be heated to higher temperatures and held for longer periods of time. Pasteurization procedures shall assure complete pasteurization, and holding, packaging, facilities and operations shall be such as to prevent contamination of the product.

26.3 Other methods of pasteurization may be approved by the Competent Authority when such treatments give equivalent effects to these specified in para

26.2 of this Annexure for those products or other products and results in a salmonella negative product.

27. Heat Treatment of Dried Whites :

Heat treatment of dried whites is an approved method for pasteurization and the product shall be heated throughout for such times and at such temperatures as will result in salmonella negative product.

27.1 The product to be heat treated shall be held in the heat treatment room in closed containers and shall be spaced to assure adequate heat penetration and air circulation. Each container shall be identified as to type of product (sprav or pan dried) and with the lot number or production code number.

27.2 The minimum requirements for heat treatment of spray or pan dried albumen shall be as follows :

- (i) Spray dried albumen shall be heated throughout to a temperature not less than 55 Degrees C and held continuously at such temperature not less than 7 days and until it is salmonella negative.
- (ii) Pan dried albumen shall be heated throughout to a temperature of π ot less than 52 Degrees C and held continuously at such temperature not less than 5 days and until it is salmonella negative.

(iii) Methods of heat treatment of spray dried or pan dried albumen, other than listed in para 27.2 (i) and (ii) of this Annexure may be approved by the Competent Authority upon receipt of satisfactory evidence that such methodes will result in salmonella negative products.

27.3 Dried whites which have been heat treated in the dried form shall be sampled and analyzed for the presence of salmonellae as required in II of Annexure-XII.

27.4 Records shall be maintained for one year of the following

- (i) Types of product;
- (ii) Lot number;
- (iii) Heat treatment room temperatures.
- (iv) **Product** temperatures;
- (v) Length of time product is held in heat treatment room;
- (vi) Results of all laboratory analysis made for the presence of salmonella.

27.5 Dried whites processed and tested in accordance with all of the applicable requirements specified in this Annexure may be labelled "Pasteurized."

MINIMUM COOLING AND TEMPERATURE REQUIREMENTS FOR LIQUID EGG PRODUCTS (Unpasteurized product temprature within 2 hours from time of breaking) Liquid (other than salt product) to Liquid (other than salt product) to be held in excess or 8 hours be held 8 hrs. or less 7°C or lower White (not to be stabilized) 13°C or lower

TABLE-1

Whites (to be stabilized) 21°C or lower 13°C or lower All other product (except product 7°C or lower 5°C or lower with 10 per cent or more salt added) Liquid egg product with 10 percent or more salt added

Temperature within 3 hours after Temperature within 2 hours after Liquid salt product stabilization pasteurization 5 6 4 7°C or lower (1)if to be held 8 hours or less 7 Deg. if to be held 8 hours or less 7 Deg. C or lower. C or lower. (or)(0r)5°C or lower if to 5°C or lower if to.

If to be held 30 hrs

. or less; or more

Product

18 Deg. C ; 7 Deg. C*

"lower : or lower

1, Stabilized liquid whites shall be dried as soon as possible after removal of glucose. The temperature of stabilized liquid whites shall be limited to that necessary to provide a continuous operation.

2. The cooling process shall be continued to assure that any sale product to be held in excess 24 hours is cooled and maintained at 7 Degrees C or lower.

Liquid Fgg Product	Minimum Tempera- ture Requirements (Deg. C)	Minimum Holding Time Requirements (Minutes)	
1	2		4
Albumen (without use of chemicals)	55	56	3.5
Whole egg	60	3.5	
Whole egg blends (less than 2 per cent added	61	3.5	
non-egg ingredients)	60	6.2	
Fortified whole egg and blends (24-38 per cent	61		3.5
egg solids. 2-12 per cent added non-egg ingredients)	60		6.2
Salt whole egg (with 2 per cent or more salt	63	3.5	
added)	62		6.2
Sugar whole egg (2-12 per cent sugar added)	61	3.5	
-	60		6.2
Plain yolk	61		3.5
	60	6.2	
Sugar yolk (2 per cent or more sugar added)	63		3,5
	62		6.2
Salt yolk (2-12 per cent salt added)	63		3.5
	62		6.2

TABLE—II PASTEURIZATION REQUIREMENTS

LABORATORY

II. LABORATORY TESTS AND ANALYSIS

Laboratory tests and analysis :

The approved plant, at their expense, shall make tests and analysis to determine compliance with the rules and the regulations.

- (i) Sample shall be drawen from liquid, frozen, or dried egg products and analyzed for compliance with the standards of identity (if any) and with the product label.
- (ii) To ensure adequate pasteurization, pasteurized egg products and heat treated dried egg whites shall be sampled and analyzed for the presence of salmonella in accordance with such sequence, frequency, and approved laboratory methods as prescribed in these rules by the Competent Authority. The samples of pasteurized egg products and heat treated dried egg whites shall be drawn from the final packed form.
- (iii) Results of the analysis and tests shall be made available to the Competent Authority.
- (iv). Competent Authority will draw confirmation samples and send them to their Jaboratory at their expenses to determine the adequacy of the plants tests and analysis.

ANNEXURE XIII

IDENTIFYING AND MARKING PRODUCT

1. EGG PRODUCTS REQUIRED TO BE LABELLED :

Containers and portable tanks of edible egg products, prior to leaving the approved plant shall be labelled in accordance with para 2 to 5 of this Annexure and shall bear the official identification shown in figure 2 of para 3 or figure 3 of para 5. Bulk transport shipments of liquid pasteurized egg products to non-official outlets need not be sealed,

2. REQUIREMENT OF FORMULAS AND APP-ROVAL OF LABELS FOR USE IN-APPROVED PLANTS FOR EGG PRODUCTS:

2.1 No label, container, or packaging material which bears official identification may bear any statement that is false or misleading. Any label, container or packaging material which bears any official identification shall be used only in such manner as the Competent Authority may prescribe. No label. container, or packaging material bearing official identification may be used unless it is approved by the Competent Authority in accordance with para 2.2 of this Annexure. The use of finished labels must be approved as prescribed by the Competent Authority. If the label is printed in or otherwise applied directly to the container or packaging material the principal display panel thereof shall be considered as the tabel,

2.2 No label, container, or packaging material bearing official identification may be printed or prepared for use until the painters or other final proof has been approved by the Competent Authority in accordance with the regulations in this Annesure. Copies of each label submitted for approval shall be becompatiled by !

- (i) A statement showing by their common of istual names the kinds and percentages (of the ingredients comprising the egg product in the form in which it is to be used (i.e. liquid oil dried). Approximate percentages (range) may be given in cases where the percentages may vary from time to time.
- (ii) When required, scientific data demonstrating that the substance or mixture is safe and effective for its intended use.

2.3 Containers of product bearing official identification shall display the following information:

- (i) The common or usual name, if any, and if the product is comprised of two or more ingredients, such ingredients shall be listed in the order of descending proportions by weight volume. When water (cxeluding that used to reconstitute dehydrated ingredients back to their normal composition) is added to a liquid or frozen egg product or water content of that ingredient). The total amount of water added including the water content of any cellulose or vegetable gums used shall be expressed as a percentage of the total product weight in the ingredient statement on the label.
- (ii) The name, address, and pin code of the exporter.
- (iii) The lot number or production code number.
- (iv) The net contents.
- (v) Official identification and plant number.
- (vi) Egg products which are produced in an approved plant from edbile shell eggs of other than current production or from other egg products produced from shell eggs of other than current production shall be clearly and distinctly labelled in close proximity to the common or usual name of the product e.g., "Manufactured from eggs of other than current production".
- (vii) Egg products produced from edible shell eggs or the egg product produced from such shell eggs or the turkey, duck, goose or guinea fowl shall be clearly and distinctly labelled as to the common or usual name of the product indicating the type of eggs or egg products used in the product e.g.. "Frozen whole turkey eggs", "Frozen whole chicken and turkey eggs". Egg products labelled without qualifying words as to the type of shell egg used in the product shall

he produced only from the edible shell egg of the domesticated hen or the egg product produced from such shell eggs.

2.4 Liquid or frozen egg products indentified as whole eggs and prepared other than in natural proportions as broken from the shell, shall have a total egg solids content of 24.20 per cent of greater.

2.5 Nutrition information may be includes on the label of egg products providing such labelling complies with the provisions of the prevailing regulations in force. Since these regulations have different requirements for consumer packaged products that for bulk packaged egg products not for sale or distifbution to household consumers, label submission shall be accompanied with information indicating whether, the label covers consumer packaged on bulk packaged product. Nutrition labelling is required when nutrients such as proteins, vitamins and minerals are added to the product or when a nutritional claim or information is presented on the labelling except for the following which are exempt from nutrition labelling requirements:

- (i) Egg products shipped in bulk form for use solely in the manufacture of other food and fiot for distribution to household consumers in such bulk form or containers.
- (ii) Products containing an added vitamin, mineral or protein or for which a nutritional claim is made on the label or in advertising which is supplied for institutional food use only; provided, that the manufacturer directly to those institutions.
- (iii) Any nutrient(s) included in product solely for technological purpose may be declared solely in the ingredients statements, without complying with nutrition labelling. If the nutrient(s) is otherwise not referred to in labelling or in advertising labels will not be approved by the Competent Authority.

3 FORM OF OFFICIAL IDENTIFICATION SYMBOL AND INSPECTION MARK:

3.1 The shield set forth in Figure 1 containing the letters shall be the official identification symbol for purpose of this chapter.

SEAL OF THE COMPETENT AUTHORITY

FIGURE--1

3.2 The inspection mark which is to be used on containers of edible egg products shall be contained within the outline of a shield and with the wording and design set forth in Figure 2 of this Annexure except the plant number may be omitted from the official identification if applied else where on the container. _______

· _ . _ . _ . ·

3971

SEAL OF THE COMPETENT AUTHORITY

INSPECTED

EGG PRODUCTS

PLANT NO.

FIGURE--2

4. FRODUCTS BEARING THE OFFICIAL IN-SPECTION MARK — Egg products which are per-mitted to bear the inspection mark shall be pro-cessed in an approved plant from edible shell eggs or other edible egg products and may contain other edible ingredients. The official mark shall be printed or lithographed and applied as a part of the principal display panel of the container but shall not be applied to a detachable cover.

5. USE OF OTHER OFFICIAL IDENTIFICA-TION .- Other official indentification as shown in this Annexure shall be printed or lithographed and applied as a part of the principal display panel but shall not be applied to a detachable covert. The plant number may be omitted from the identification if applied elsewhere on the label or container. Such products shall meet all requirements for egg products which are permitted to bear the official inspection mark shown in para 3 except for pasteurization heat treatment or other such methods of treatment approved by the Competent Authority.

5.1 All unpasteurised egg products shipped from an approved plant in packed form shall be marked with the identification set forth in Figure-3 of this chapter. After pasteurization or treatment, the product may bear the official inspection mark as shown in Figure 3.

EGG PRODUCTS FOR FURTHER PROCESSING IN AN APPROVED PLANT

FIGURE----3

6. UNAUTHORISED USE OR DISPOSITION OF AFEROVED LABELS .--

6.1 Containers or lebels which bear official identification approved for use pursuant to para 2 shall be used only for the purpose for which approved. Any unauthorized use or disposition oſ approved containers or labels which bear any official identification may result in cancellation of the approval.

2007 GI/97-8

6.2 Upon termination of inspection service in an approved plant pursuant to these rules, all labels, seals, tags or packaging material bearing official identification shall under the supervision of a person of the Competent Authority either be destroyed or the official identification completely obliterated or inventorised and scaled in a manner acceptable to the Competent Authority.

7. SUPERVISION OF MAKING AND PACK-AGEJNG :

7.1 Evidence of lable approval :

The Competent Authority shall not allow the use of official identification on any inspected product unless it has on file evidence that such official identification or packaging material bearing such official identification has been approved in accordance with the provision of para 2.

7.2 Affixing of official identification :

No official identification shall be or caused to be affixed to or placed on any product or container except by the Competent Authority. All such products shall have been inspected in accordance with these The Competent Authority shall have superrules. vision over the use and handling of all material bearing any official identification-

8. REUSE OF CONTAINERS BEARING OFFI-CIAL IDENTIFICATION PROHIBITED

The reuse, by any person, of containers bearing official identification is prohibited unless such identification is applicable in all respects to product being re-packed therein. In such instances the container and label may be used provided the packaging is accomplished under the supervision of the Competent Authority and the container is in compliance with para 3 of Antiexure-XII.

ANNEXURE XIV

1. "EGG" :

1.1 "Egg" is the shell egg of the domesticated hen, turkey, duck, geose, or guinea fowl. Some of the terms applicable to shell eggs are as follows :

> (i) "Check" is an egg that has a broken shell or crack in the shell but has its shell membranes intact and contents not leaking.

(ii) "Clean and sound shell egg" is any egg whose shell is free of adhering dirt or foreign material and is not cracked or broken.

3972

- (iii) "Dirty cgg" or "Dirties" is an cgg(s) that has a shell that is unbroken and has adhering dirt, foreign material or prominent stains.
- (iv) "Eggs of current production" is shell eggs which have moved through the usual marketing channels since the time they were laid and are not in excess of 60 days old.
- (v) "Inedible" is eggs of the following descriptions: Black rots, yellow rots, white rots, mixed rots, sour eggs. eggs with green whites, eggs with stuck yolks, moldy eggs, musty eggs, eggs showing blood rings and eggs containing embryo chicks (at or beyond the blood ring stoge).
- (vi) "Leaker" is an egg that has a crack or break in the chell and shell membrane to the extent that the egg contents are exposed or are exuding or free to exude through the shell.
- (vii) "Incubator reject" is an egg that has been subjected to incubation and has been removed from incubation during the hatching operations as infertile or otherwise unhatchable.
- (viii) "Loss" is an egg that is unfit for human food because it is smashed or broken so that its contents are leaking or overheated, frozen or contaminated or an incubator reject or because it contains a bloody white, large meat spots, a large quantity of blood or other foreign material.
- (ix) "Restricted egg" is any check, dirty egg, incubator reject, medible, leaker or loss.
- (x) "White or albumen" means for the purpose of this part the product obtained from the egg as broken from the shell and separated from the yolk.

IF. No. 6/1/95-EI & EP.] KUM. SUMA SUBBANNA, Director

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 4 भ्रगस्त, 1997

का॰ग्रा॰ 2079---नें पंजाब किकेट एसोसिसन 299 सैक्टर 16 क चंडीगढ़ 160015 को फलड लाइटिंग उपकरन के ग्रायात के लिए 1,07,27,000 रु॰ (एक करोड़ सात लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) के लिए एक ग्रायात साइसेंस सं॰ पी/ए/1532405 दिनांक 30-10-95 प्रदान कया गया था। 2. फर्म ने इस प्राधार पर कि उक्त साइसेंस की यूभ विनिमय नियंक्षण प्रति खो गई है या प्रस्थानस्य हो गई है उपर्युक्त लाइसेंस की विनिमय नियंवण प्रयोजन की डुप्सी केट प्रति जारी करने हेतु आवेदन किया है। फर्म ने ग्रागे जिस्ह कहा है कि विनिमय नियंवण प्रति तहावग्रेवा और नई पिहली (सीमा णुल्क सदन) में पंजीइत थी और सीमा णुल्क प्रयोजन प्रति का 2,35,67, 000/- ह० के लिए उपयोग किया गया है।

3. प्रथने कथन के समर्थन में, लाइसेंस-धारक ने नोटरी पच्लिक चंडीगढ़ के समक्ष बाकायदा ग्रापथ लेकर स्टैप्म पेपर पर हलफनामा दाखिल किया है। तक्षनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि प्रायात लाइसेंस सं० पी/ए/1532405 दिनांक 30-10-95 की भूल बिनिमय नियंन्नण प्रति फर्म द्वारा खो गई है या प्रस्थानस्थ हो गई है। डी जी एक टी, नई दिन्ली द्वारा जारी आदेश सं० का० ग्रा० 1060 (ग्र) दिनाक 1-12-93 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिशन को जारी विनिभय नियंन्नण प्रति सं० पी/ ए/1532405 दिनांक 31-10-95 को एतद्वारा रद्व किया जाता है।

4. उक्त लाइसेंस की डुप्लीकेट विनिध्ध नियंक्षण प्रति पार्टी को ग्रालग में जारी की जा रही हैं।

[फा० सं० एम पी एल/एन एस-11/978/ए एम० 96/ एस एल एस/302]

एसः के० सामल, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

(Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2079.—M/s Punjab Cricket Association, 299, Sector 16-A, Chandigarh-160015 were granted in import licence No. P/A/1532405 dated 30-10-95 for Rs. 1,07,27,000 (Rupees One Crote seven lakhs twenty seven thousand only) for import of Flood Lighting Lquipment.

The firm has applied for issue of duplicate copy of Exchange control purpose copy of the above mentioned licence on the ground that the original exchange control copy of the licence has been lost or misplace. It has further been stated that the Exchange Control copy of the licence was registered with Nhavasheva and New Delhi (Custom House) and as such the value of Customs purpose copy has been utilized for Rs. 35,67.000.

2. In support of their contention, the licensee has filed an Affidavit on Stamped paper duly sworn in before Notary Public, Chandigarh on 27-6-87. I am accordingly certified that the original Exchange Control Copy of import Licence No, P/A/1532405 dated 30-10-95 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred on me under order S.O. 1660(E) dated 31-12-93 issued by DGIT, New Delhi, Exchange Control Copy No. P/A/1532405 dated 30-10-95 issued to M/s. Puniab Cricket Association is hereby cancelled.

Duplicate Exchange Control Copy of the said licence is being issued to the party separately.

F. No. SPL/NS-11/978/AM.96/SLS/302] S. K. SAMAL, Dy. Director General of Foreign Trade